संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
प्रधानमंत्री आवास योजना के कियाविचेत्त के संबंध में।

विवरण— प्रदेश में कियायालिग की जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास— 2022 शहरी) के विस्तृत विश्लेषण

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास— 2022 शहरी):—

दिनांक 25.06.2015 को भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य, महाराष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना बिबि.सी.एक्स। (सबके लिए आवास— 2022 (शहरी) प्रारंभ की गई है। विपिन्तृत विश्लेषण खारे जाने जाते हैं कि भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंडल की नीम्दिकी से उपलब्ध है।

केंद्रीय आय हर्ष (EWS) एवं निम्न आय हर्ष (LIG) के लिये निम्न मानक निर्धारित हैं:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>आय वर्ग (LIC) अधिकारमान</th>
<th>श्रेण 3.00 लाख तक</th>
<th>श्रेण 3.00 लाख से अधिक 6.00 लाख तक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>कमजोर आय वर्ग (EWS)</td>
<td>कमजोर आय वर्ग (EWS)</td>
<td>35 से 40 वर्गमीटर</td>
<td>30 से 40 वर्गमीटर</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>निम्न आय वर्ग (LIG)</td>
<td>निम्न आय वर्ग (LIG)</td>
<td>45 से 50 वर्गमीटर</td>
<td>40 से 60 वर्गमीटर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

शहरी क्षेत्र में आवासीय इकाई अधिक से अधिक निर्मित हो सके जिससे भारत के अनुसार पूर्वोत्तर हो सके इसके लिये आवश्यक संसाधनों के साथ निम्न बाणी प्रेरित किया जायेगा।

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना के कियाविचेत्त के विकल्प—
• "In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.
• Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.
• Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.
• Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction.
2.2 उक्त वास्तविक में शहरी गरीबों को किसी एक ही विभाग में लाए दिया जा सकता है।
2.3 नगरीय निकाय द्वारा उपरोक्त में से सभी विभागों पर कार्यक्षेत्रों के लिए जानी है।
2.4 योजना का किलाती प्रबंधन निम्नानुसार हैः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>योजना का विकल्प</th>
<th>केन्द्रांग</th>
<th>राज्यांग</th>
<th>पात्र हितोपदेशी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>&quot;In-Situ&quot; Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS)/हितोपदेशी को राशि ₹ 1,00,000 तक के स्थल योजने किया।</td>
<td>केन्द्रांग मुख्य आयुक्त को कराई जाएगी।</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के हितोपदेशी को, 15 साल की अवधि के लिए राशि ₹ 60,000 तक के गुद्ध योजन श्रेणी 6-5 प्रतिशत ब्याज की अनुदान (Interest Subsidy).</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Affordable Housing in Partnership with Public &amp; Private sectors.</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS) एवं सरकारी हितोपदेशी को राशि ₹ 1,50,000 तक के स्थल योजने किया।</td>
<td>केन्द्रांग मुख्य आयुक्त को कराई जाएगी।</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction.</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS) एवं सरकारी हितोपदेशी को राशि ₹ 1,50,000 तक के स्थल योजने किया।</td>
<td>राशि ₹ 1,50,000 तक के स्थल योजने किया।</td>
<td>आर्थिक रूप से कर्मचारी (EWS)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में

पूर्व पृष्ठ से

3. सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की कार्यवार्ता---

भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में शहरी क्षेत्र में आवासीय निर्माण (जिनके पास पहले आवास नहीं हैं) को आगामी वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कर हाउसिंग फोर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HPApoA) तैयार किया जाना है।

हाउसिंग फोर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HPApoA) तैयार करने समय यह प्लान स्वयं जानें वि सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्लान 2022 तक का होप्लान दो भाग में दिया जायेगा। स्थानीय निकाय द्वारा जारी विस्तृत सर्वेक्षण का निर्माण वर्ष 2018 तक किया जा सके। उसका प्लान हो एवं वर्ष 2019-2022 तक का दितीय भाग में दिया जायेगा।

हाउसिंग फोर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HPApoA) के साथ सभी हिताधिकारियों को घटकार सूची उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3.1 हिताधिकारियों का सर्वेक्षण---

भारत सरकार, आवास एवं शहरी नगरीय, उपयोग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के प्रारूप 4 के अनुसार हिताधिकारी का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना है एवं हिताधिकारी की प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वित्त वित्त के नाम लेने हैं उनकी सहभागति ली जाये।

3.2 हिताधिकारी का सर्वेक्षण उपलब्ध चयन---

सर्वेक्षण उपलब्ध हिताधिकारियों का चयन म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी आप क्रमांक एन-10-31/18-2/2007 भोपाल हिन्दा 01.11.2014 के प्राधिकारों के अनुसार किया जायेगा एवं प्राधिकार अनुसार जिला कंट्रक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3.3 विस्तृत परियोजना प्रविधिकरण (डी.पी.आर.) तैयार किया जाना---

हिताधिकारियों का सर्वेक्षण एवं हाउसिंग फोर ऑफ प्लान ऑफ एक्शन (HPApoA) तैयार करने के परिप्रेक्ष्णीत सर्वेक्षण हिताधिकारियों के लिए सभी नगरीय निकायों घटकार विस्तृत परियोजना प्रविधिकरण तैयार करवे। विस्तृत परियोजना प्रविधिकरण के साथ चयनित हिताधिकारियों की सूची एवं एम.एच.एम. में प्रविष्ट कर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में।

3.4 आवासों का निर्माण—
आवासों का निर्माण उच्च गुणवत्ता से किया जायेगा तथा संचालनालय से जारी कार्यवाही विशेष दिनांक 2902.2016 एवं पत्र दिनांक 19.05.2017 के अनुसार किया जायेगा।

3.5 प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ऐसी आवासीय परियोजनाओं जिनमें आवासीय इकाई का विकास किया जाने का प्रावधान है, उन परियोजनाओं का विभागीय प्रयोजन भू-संपत्ति विनायक व्यापक करकर (RERA) में कारयार जाने।

4. घटक 01:—जन निजी भागीदारी के माध्यम से"स्व स्थाने" कलम पुनर्विकास ("In Situ" Slum Redevelopment) ?—
इस घटक के अंतर्गत ऐसी महिला विस्मया जो कि अयोग्यता उपर रक्षा हैं जिनका नूतन अवधि है। अगर उन्हें अयोग्यता पक्ष के आवासीय समूह में परिवर्तित किया जाये तो इन भूमियों के Optimum Utilization होने की सामान्य निम्नित्त होगी। ऐसे व्यवस्थापन एवं पुनर्निर्माण से ऐसी शासकीय भूमियों उपलब्ध हो सकती हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग समय हो सकता तथा परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था भी की जा सकती है। इन परियोजनाओं के कियान्वयन में पारदर्शी शासकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से निजी निवेश हारा किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत इस घटक में राष्ट्र रूप: 1.00 लाख प्रतिहिंसाप्रभावित अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जायेगी जिसका Optimum Utilizationकरते हुए Land Use as Resourceसंरचना का प्रावधान किया जायेगा। हालांकि फर्म ऑफ प्लान ऑफ एक्यून (HPAPO) चैयार करते समय अन्य विभिन्न वस्त्रों के Viability Analysisकी जानी होगी, जिससे भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, जान हो। इसके बाद भूमि में उपयोगी है कि उनका उपयोग इस घटक के अंतर्गत किया जा सकता है तो परियोजना इस घटक के अंतर्गत तैयार की जानी होगी।

अगर उन्हें अयोग्यता पक्ष के आवासीय समूह में परिवर्तित किया जाये तो इन भूमियों के Optimum Utilization होने की सामान्य निम्नित्त होगी। ऐसे व्यवस्थापन एवं पुनर्निर्माण, से ऐसी शासकीय भूमियों उपलब्ध हो सकती हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग समय हो सकता तथा परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था भी की जा सकती है। इन परियोजनाओं के
पर्यावरण योजना के किरायन के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से

किरायन में पारदर्शी प्रशासकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से निजी निवेश द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त उदाहरण के लिए, नगरीय निकायों को ऐसी परियोजनाओं को किरायन करने के लिए अधिकृत किया, जाता है। परियोजना का किरायन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

4.1.1 नगरीय निकाय अपने क्षेत्रीय विभाग में आने वाली ऐसी हस्तियों का (HFAPs) करें। जहां हस्तियों के स्थान पर रहस्यांकित कर उपलब्ध कराने से कीमती शासकीय भूमि उपलब्ध होगी जिसके निर्माण से परियोजना के लिए वित्तीय तथ्यों रोकते हैं।

4.1.2 नगरीय निकाय वस्त्री का चयन करते समय उसकी साध्यता (Feasibility) पर विचार करेगा। तदोपरांत इसके परियोजना का Techno-economic feasibility survey किया जायेगा जिसके लिए आवश्यक साधनों की पूर्ति की जाएगी।

4.1.3 निकाय परियोजना के अंतर्गत निर्मित आवासों एवं आवासिता की गुणवत्ता के लिए अपना पर्यावरण अधिकारी नियुक्त करेगा। निजी निवेशक तथा निकाय में इस विषय पर कोई मतभेद होता है तो उससे निराकरण आयतन, नगरीय प्रशासन एवं विकास के द्वारा किया जायेगा, जो ऐसे कीमती पक्षों को बंद करने की तारीख होगी।

4.2 निवेशाधीन मुख्य निम्न तौर पर मापदण्ड (Parameter) में से किसी एक पर विदेश जायेगी।

(a) महिला वस्त्री में निवास सरकार हिताहितों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हिताहितों के लिए निषुल्क आवासीय इकाईयों की संख्या।

(b) महिला वस्त्री में निवास सरकार हिताहितों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासीय इकाईयों की संख्या निर्धारित करते हुए अधिशुल्क मूल्य पर दी जाने वाली अधिशुल्क (Premium) की राशि।
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

पृष्ठ पृष्ठ से

(c) मलिन बस्ती में निवासस्तर हितग्राहियों के लिए निर्मित की जाने वाली आवासीय इकाईयों एवं अतिशेष भूमि के अतिरिक्त शेष होने वाली भूमि।

4.3 योजनांतर्गत भूमि का विकास--

4.3.1 "परियोजना भूमि" वह भूमि कहलाएगी जो कि मलिन बस्ती को अन्य यथास्थापित करने पर रिकार्ड होगी। परियोजना भूमि के दो भाग होने एक भाग में मलिन बस्ती में निवासस्तर परिवर्तन के लिए आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जायेगा जिसे "मलिन बस्ती विस्थापन" भूमि कहा जायेगा एवं एक भाग Concessionaire को विकास करने के लिए दी जायेगी जिसे "अतिशेष भूमि" कहा जायेगा।

4.3.2 यदि भूमि स्वामित्व प्रम. शासन, राजस्व विभाग एवं नगरीय निकाय के अतिरिक्त अन्य विभाग की होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा उस विभाग से सहभागी एवं विभाग की स्थिति से साथ प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तुत करना होगा।

4.3.3 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अथवा अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर परियोजना भूमि नगरीय निकाय को स्थानांतरित की जायेगी। वह क्षेत्र जिस पर भूमिवासियों के आवास निर्माण होंगे तथा आत्मीक अवसंरचना निर्माण के जायेंगी। नगरीय निकाय का स्वामित्व पर रहेगी। अतिशेष भूमि नगरीय निकाय द्वारा Concessionaire को Freehold मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग से,प्राप्त कर अंतर्गत की जायेगी। इस अंतर्गत में अनेक वाले आवश्यक stamp/registration शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व Concessionaire का होगा।

4.3.4 उक्त स्थिति के अतिरिक्त यदि कोई भूमि शेष होती है तो वह नगरीय निकाय अपने आविष्कार में होगी जिसका उपयोग अन्य परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।
पूर्व पृष्ठ से

4.3.5 RFP Document के आधार पर निवेदा आमंत्रित करने के पूर्व परियोजना में सम्मिलित नूतनियों के यथोचित वृत्त उपयोग उपलब्ध की कार्यवाही निगरानी नियम द्वारा कराया जायेगा।

4.4 परियोजना तैयार करने के लिए मुख्य तकनीकी प्रावधान--

4.4.1 परियोजना तैयार करते समय मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बने नियम मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनियल) का राजिस्त्रीकरण नियम तथा वर्तनी नियम, 1998 के प्रावधान का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.4.2 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम नियंत्रण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश शृंखला विकास नियम, 2012 का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.4.3 परियोजना का प्रस्ताव उस शहर के मास्टर प्लान के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए।

4.4.4 भवन का आकार कॉर्टिंग एण्डर आरिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए 30 वर्गमीटर एवं निम्न आय वर्ग के लिए 60 वर्गमीटर का होगा।

4.4.5 बड़े मौजिला भवनों की स्थिति में भू-मूल में न्यूनतम 2.4 बीटर ऊँचाई की स्टील पार्किंग रखी जायेगी।

4.4.6 अधिकतम FAR/FSI उच्च शहर के मास्टर प्लान के अनुसार रहेगा।

4.5 परियोजना प्रस्ताव निम्न किन्द्रों पर तैयार किया जायेगा:—

4.5.1 परियोजना में वृत्ति 4.4 में नामी तकनीकी प्रावधानों को सम्मिलित किया जायेगा।

4.5.2 मलिन वस्त्रों में निवासील हितार्थी परिवारों की संख्या।

4.5.3 नामी बहुमूल्य परियोजनाओं में 2.4 बी.स्टीली पार्किंग का अनिवार्य रूप से प्रावधान किया जायेगा।

4.5.4 परियोजना अंतर्गत एक अवधि एक से अधिक मलिन वस्त्रों का समूह के रूप में भी नियम जा सकता है।

4.5.5 उक्त परियोजना क्षेत्र का नक्शा (पटवारी नक्शा एवं व्यू प्रिंट) दिया जाना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में।

4.5.6 परियोजना के कियान्वयन में सम्मिलित विभिन्न एजन्सियों की पूर्णता एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण।

4.5.7 मलिन बस्ती के व्यवस्थापन के लिए निर्मित किये जाने वाले स्थलपृष्ठ आवासों की संख्या तथा अध्योपरिवर्तन विकास के निर्माण करने के लिए आवश्यक कुल राशि।

4.5.8 उक्त आवासगृहों को निर्मित करने के लिए स्थल पर आवश्यक अध्योपरिवर्तन विकास के लिए राशि की गणना। इस राशि में सड़क, विहंग, बाउंडर्सटोल, जल प्रदाह, सीमेज सिस्टम, ड्राइव सामुदायिक सुविधा आदि सम्मिलित की जायेंगी।

4.5.9 In-situ विकास की स्थिति में अगर डिजिटल विकास का अवश्यक आवास उपलब्ध कराना होगा तो ऐसे अवश्यक आवासों पर होने वाला व्यय। निर्माण अवधि के दौरान सलन बासियों को स्वास्थ्य आवास एवं आवश्यक अध्योपरिवर्तन विकास करना परियोजना विकासकर्ताओं(Concessionaire) का उत्तरदायित्व होगा।

4.5.10 परियोजना लागत आवश्यक परियोजना पुरूष करने में अनुमानित व्यय एवं सलाहकार द्वारा निर्माण करने के लिए आवश्यक धन पृथक एवं Common open spaces का कुल क्षेत्रफल।

4.5.11 डिजिटल विकास में निर्माण निर्मित करने के लिए आवश्यक धन पृथक एवं Concessionaire का कुल क्षेत्रफल।

4.5.12 "अतिशय भूमि" का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा तथा एक विविध भूमि तेज़ी में उसका नु-रूपांतरण आवश्यक होगा। "अतिशय भूमि" का कोलेक्टर गहराई का अंतिम मूल्य।

4.5.13 परियोजना को कियान्वयन करने के लिए राज्य तथा केंद्र शासन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान राशि का विवरण।

4.5.14 परियोजना कियान्वयन के लिए मलिन बस्ती में निवासीहस्तियों का कम से कम 70 प्रतिशत सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

4.5.15 निवासीहस्तियों से परियोजना लागत का नु-रूपांतरण कितना लिया जाएगा यह नगरपालिका द्वारा सूचनित किया जाएगा।

4.5.16 परियोजना का अंतगत चयनित भूमि का वर्तमान एवं प्रस्तावित एफआर/एफआरसई।
पूर्व पृष्ठ से

4.5.17 परियोजना प्रतिवेदन में आवासों की संख्या अवसर संरचना का विस्तृत विवरण उनके Specification का विस्तृत विवरण देना होगा।

4.5.18 अख्तियार में कोई आवश्यक हो तो।

4.6 परियोजनाओं की स्वीकृति—

4.6.1 परियोजना प्रस्ताव तैयार कर नगरियों निकाय, निकाय की स्वीकृति उपरंतु प्रणाली आवास योजना अंतर्गत नामांकित नोडल एच.एस.ई, संचालनालय, नगरियों प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करेगा।

4.6.2 नगरियों निकाय द्वारा तैयार की गयी परियोजना का प्रथमांक परीक्षण प्रणाली आवास योजना अंतर्गत गठित, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) के द्वारा किया जायेगा।

4.6.3 राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) के अनुमोदन उपरंतु प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जो आवश्यक विचार कर यथोरुप होते स्वीकृति प्रदान करेगी।

4.6.4 राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) के स्वीकृति के उपरंतु राज्य सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4.6.5 नगर सरकार की स्वीकृति के उपरंतु नगरीय निकायों द्वारा पारदर्शी प्रतिक्रिया का पालन करते हुए योजना का किया जायेगा।

4.6.6 निर्माण प्रक्रिया Concessionaire को नियुक्त करने हेतु EPC (Engineering Procurement Contract) माध्यम से की जायेगी।

4.6.7 परियोजना कार्यनिर्माता करने के लिए तैयार RFP डॉक्यूमेंट के अनुसार राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) के द्वारा किया जायेगा।

4.6.8 भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुमोदन एवं वित्तलाभ अंश से प्राप्त होने वाली सार्वजनिक निकायों के कोष में जमा कर जायेगी। जिसका उपयुक्त निवेदन उपरंतु उत्तर होने वाली स्थिति अनुसार इसी परियोजना में अन्य अन्य वित्तलाभ स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) के अनुमोदन उपरंतु किया जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के किया/निर्माण के संबंध में।

4.7 निर्मित भवनों के आवंटन/बिक्री के सम्बंध में--

4.7.1 उक्त नियोजना में निर्मित सभी संपत्तियों पर मायदान नगर पालिका निकाय (अवल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 के अनुसार किया जायेगा।

4.7.2 “मलिन बस्ती विकास” भूमि में निर्मित की गईं परिसंपत्तियों का आधिकारिक नगरीय निकाय को Concessionaire द्वारा किया जायेगा। नगरीय निकाय हितग्राही अंश प्राप्त कर निर्मित इकाइयों को हितग्राहियों को आवंटित/आवेदय करेगा। इस प्रकार लगने वाले देय आवश्यक stamp/registration शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व हितग्राहियों का होगा।

4.7.3 अतिशय भूमि पर निर्मित की गई भवनों का उपयोग Concessionaire एवं नगरीय निकाय के द्वारा संयुक्त रूप से Concessionaire द्वारा चालाते करेंगे। अंतरण में देय आवश्यक stamp/registration शुल्क के भुगतान का उत्तरदायित्व होगा।

4.7.4 उपरोक्त के अतिशय अंश कोई भूमि संचालित नहीं है तो उस भूमि का उपयोग नगरीय निकाय द्वारा अन्य मलिन बस्ती विकास कार्यों के लिये किया जा सकेगा।

4.7.5 नगरीय निकाय निजी निवेशकों के मलिन वस्तुओं के लिए निर्मित की जा रही आवासीय इकाइयों के समानुपात में अतिशय भूमि का अंतरण करेगा, जिस पर निजी निवेशक उसी समानुपात में निम्नांक करेगा।

4.7.6 निजी निवेशक के द्वारा नगरीय निकाय को जितनी मलिन वस्तुओं के लिए निर्मित इकाइयों का हस्तांतरण करेगा उसी समानुपात में निजी निवेशक को नगरीय निकाय संपत्तियों के विक्रय का अनुमति देगा।

4.7.7 अनुमति की गणना प्लान एवं रिपोर्ट से की जायेगी।

4.8 निर्मित संबंधि का संचालन एवं संचालन

4.8.1 आवास एवं अधिवासन, भूमि होने पर उसका आवश्यक संचालन नगरीय निकाय को सीधा जायेगा। परियोजना से निर्मित समस्त परिसंपत्ति के संचालन, संचालन की दो वर्षों की जिम्मेदारी निजी निवेशक की होगी, दो वर्ष की प्रातिभ तिथि की गणना अंतिम संपत्ति के अंतरण से की जायेगी। पूर्व के समय को निर्माण समय गिना जाएगा जिसके संचालन संचालन की जिम्मेदारी निजी निवेश की होगी।
पूर्व पृष्ठ से

5. घटक.02-क्रेडिट से पहुँच समस्याओं के माध्यम से किफायती आवास(Affordable Housing through Credit Linked Subsidy):

5.1 भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत ऐसे शहरी गरीबों को बैंक के माध्यम से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू है। इस योजनान्तर्गत, वित्तीय क्रियाओं को पक्का आवास निर्माण, विस्तार एवं मूल्य करने के लिए, इसे गरीब नैनिकानुसार ब्याज अनुदान प्राप्त हो सकता है:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Particulars</th>
<th>EWS</th>
<th>LIG</th>
<th>MIG I</th>
<th>MIG II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Household Income (Rs. Per Annum)</td>
<td>3,00,000</td>
<td>6,00,000</td>
<td>12,00,000</td>
<td>18,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Interest Subsidy (% p.a.)</td>
<td>6.50%</td>
<td>4.00%</td>
<td>3.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maximum loan tenure (in years)</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eligible Housing Loan Amount for Subsidy (Rs.)</td>
<td>6,00,000</td>
<td>9,00,000</td>
<td>12,00,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dwelling Unit Carpet Area</td>
<td>30 Sq. m.</td>
<td>60 Sq. m.</td>
<td>90 Sq. m.</td>
<td>120 Sq. m.</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximum Subsidy Amount</td>
<td>2,67,280</td>
<td>2,35,068</td>
<td>2,30,156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Processing Fees Per loan Case</td>
<td>3000</td>
<td>2000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Period of Implementation</td>
<td>From 17.05.2017 to 31.03.2022</td>
<td>From 1 year starting from 01.01.2017</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.2 भारत सरकार, आवासात्मक एवं शहरी कार्य, मंत्रालय द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने के लिए दो एजेंसी-हड़कों एवं नेशनल हाउसिंग बैंक, को नियुक्त किया गया है।

5.3 विभिन्न विद्यमान संख्याओं (राष्ट्रीयमूल्य बैंक एवं अन्य पैसेंजरटल एजेंसी) के द्वारा हड़कों एवं नेशनल हाउसिंग बैंक से अनुबंध में नियमित किये गये हैं, जिसकी सूची "परिशिष्ट-2" अनुसार है।

5.4 निम्न एवं माध्यम वर्ग के हितिष्ठापित को मात्र इसी विकल्प अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

5.5 बैंकों द्वारा हितिष्ठापित को लोन देते ही बैंक से मांग पर नोटल संस्था द्वारा अनुदान अभियंत्र के रूप में प्राप्त हो जायेगा।
5.6 हितग्राही लोगों बैंक से संपर्क कर ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा नगरीय निकाय के माध्यम से भी बैंक को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5.7 ऋण प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन पत्र निर्धारित नहीं किया गया है बैंकों में जो प्रवचित आवेदन भत्र है उसी में ही हितग्राही को आवेदन करता है।

5.8 नगरीय निकायों एवं ऐंजुली ओर अभिकृत स्टाफ को प्रस्तावित करने के उद्देश्य से प्रति स्वीकृत आवेदन हेतु राशि रु. 250/- प्रोत्साहन राशि पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है।

5.9 नगरीय निकायों से अपेक्षा है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित नामदेव अनुसार कई विकल्पों के मानविश्वविद्यालय का प्रदेश कर दे जिसमें कई हितग्राही उन मानविकियों से किसी एक मानविकी को स्वीकार करते हुए बैंकों में आवेदन करें, ताकि भवन निर्माण अनुदान आदि से वह बच सके।

5.10 हितग्राही द्वारा यदि उच्च मानविकी के अतिरिक्त अन्य किसी मानविकी को अपनाया जाता है तो उसकी अनुदान नगरीय निकाय से प्राप्त करनी होगी।

5.11 प्रदेश की निगरीय निकायों द्वारा हितग्राहियों का संचालन करना जा रहा है कुछ हितग्राहियों द्वारा इस विकल्प का चुना जा रहा है नगरीय निकाय इन हितग्राहियों को उच्च ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करें।

5.12 नगरीय निकाय द्वारा यह सजावट किया जायेगा कि हितग्राही द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के इस विकल्प के अतिरिक्त अन्य किसी योजना में लाभ नहीं लिया जा रहा है।

5.13 यदि किसी हितग्राही द्वारा ऋण अवधि में अथवा ऋण अवधि के बाद विकल्प किया जाता है तो उसे दौड़ दिवाली द्वारा आवास योजना अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य आवासीयोजना से लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.14 आध्यक्त एवं जाज़ि आध्यक्त की गई जनमण्डल के आदर्श प्राप्त होने की स्थिति में जोड़ा जायें।

5.15 इस योजना में भूमि/प्रकोष्ठ का स्वामित्व हितग्राही के उपर में होना अविश्वसनीय है।
पूर्व पृष्ठ से

6. घटक 03— भारीदाई में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors)—इस घटक के अंतर्गत दो तरह से परियोजनाएं विभाजित की जानी है।

6.1 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट—इस घटक के अंतर्गत खुले क्षेत्र पर शहीदी ग्रामिणों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना है।

6.1.1 इस घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर-आवास वर्ग के लिए रक्षा लाख 1.50 उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1.2 कमजोर आवास वर्ग एवं मध्यम आवास वर्ग के लिए व्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

6.1.3 नगरीय निकाय भी इस योजना का अंतर्गत कार्य कर सकते हैं।

6.1.4 यह परियोजना उन निजी भारीदाई से भी करायी जा सकती है। जब निजी भारीदाई से परियोजना की कार्यवाही करने के लिए क्रिया 4 के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

6.1.5 दातायोजन एवं अधिक निजी कॉलेक्टर द्वारा यदि ऐसी परियोजना का निर्माण किया जाता है तो उस परियोजना में कुल आवासों की संख्या अनुसार 35 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से कमजोर आवास वर्ग के लिए होनी चाहिए। इन 35 प्रतिशत आवासों में भारत सरकार द्वारा रक्षा लाख 1.50 उपलब्ध कराया जा सकता है।

6.1.6 एक शहर में एक से अधिक भागों में दूरी योजना क्रियान्वित की जाती है तो उनको समावेश करते हुए एक परियोजना भी बनायी जा सकती है।

6.2 ऐसी मिलने बालिका जो कि कोई परियोजना अवरक्षित नहीं की जा सकती है विभिन्न भूमिगत पर अंतर्गत तरल संचालन विशेष में जिन्हें समन्वित किया जाना आवश्यक है।

6.2.1.1 इस घटक में भारत सरकार द्वारा रक्षा लाख 1.50 लाख एवं शायर सरकार द्वारा लाख 1.50 लाख अनुदान के साथ प्रतियोजित रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। रक्षा अंश अवरक्षित है लाख 2.00 लाख तक ही सिया जाना है।

6.2.1.2 हितग्राही, अथवा अरा की पूर्ति रूप से स्पष्ट से कर सकता है अथवा बैंक से ऋण प्राप्त करके भी कर सकता है।
8.21.3 हितग्राहियों को आसान फिक्षियों पर बैंक/निकाय संस्थाओं से खासण उपलब्ध कराने, हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा पत्र क्रमांक या प्र. /07/2017/8714 दिनांक 4 जुलाई 2017 को सामान्य दिशानिर्देश एवं त्रिप्ल्यूः अनुसार जारी किया गया है जो कि नगरीय निकाय एवं बैंक/निकाय संस्थाओं को मायाम होगा।

8.22 अधोसंरचना विकास के सभी कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया, जाना है।

8.23 आवासीय इकाईयों के निर्माण में राशि रु. 5.00-लाख से अधिक जो शाखा ब्याज होगी वह उस परियोजना की भूमि का वाणिज्यिक, आवासीय में एल., आई.सी. एवं एम.आई.जी. का निर्माण कर कॉस सहिती से पूर्ति की जायेगी।

8.24 अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए नगरीय निकाय, निकाय में संचालित अनेक योजनाओं जैसे- अमृत योजना, नगरीय अधोसंरचना विकास योजना, नगरीय पेक्षा योजना अन्य योजनाएं अधिक समय समय पर उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान के साथ आश्रय निविद का भी उपयोग कर सकेंगे है।

8.25 नगरीय निकाय में निर्माण करने वालों हितग्राहियों के लिए आश्रय रूप से कंपनों-परियोजना के लिए मकान के साथ निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, उच्च आय वर्ग एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी परियोजना बनाई जाये और इससे प्राप्त राशि का उपयोग कॉस सहिती में किया जाये।

8.26 निम्न आय वर्ग एवं मध्य आय वर्ग के लिए गृह रूप पर निम्नानुसार व्यापक अनुदान का प्रमाण हैः—

<table>
<thead>
<tr>
<th>Particulars</th>
<th>EWS</th>
<th>LIG</th>
<th>MIG I</th>
<th>MIG II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Household Income (Rs. Per Annum)</td>
<td>3,00,000</td>
<td>6,00,000</td>
<td>12,00,000</td>
<td>18,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Interest Subsidy (% p.a.)</td>
<td>6.50%</td>
<td>4.00%</td>
<td>3.00%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maximum Loan tenure (in years)</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eligible Housing Loan Amount for Interest Subsidy (Rs.)</td>
<td>6,00,000</td>
<td>9,00,000</td>
<td>12,00,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dwelling Unit Carpet Area</td>
<td>30 Sq. m.</td>
<td>60 Sq. m.</td>
<td>90 Sq. m.</td>
<td>110 Sq. m.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
पूर्व पृष्ठ से

6.27 निम्नलिखित वर्ग मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय इकाइयों का विक्रय कर इससे प्राप्त होने वाली आय से अधिसंरचना विकास एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को काट सक्षम होने के माध्यम से लाभ पहुँचाया जायें।

6.28 वाणिज्यिक संपत्तियों का चयन निकाय करते हुए अधिक से अधिक आय प्राप्त की जाय जिसका उपयोग व्यापारिक विकास एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया जाय।

6.29 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों का चयन एवं आवंटन की प्रक्रिया काफिला 3.2 अनुसार किया जायेगा।

6.2.10 इस योजनांकित निर्मित सभी तरह की आवासीय इकाइयाँ एवं वाणिज्यिक इकाइयां अधिकारी नगर पालिका नियम (अधिकारी संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के अनुसार किये जायें।

6.2.12 निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिए आवासों का आवंटन की प्रक्रिया निम्नलिखित होनीं—

6.2.12.1 आवासीय इकाइयों का आवंटन की होल्ड पर पंजीकरण के माध्यम से किया जायेगा।

6.2.12.2 आवासीय इकाइयों के लिए नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी -एक निर्धारित प्राप्त में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे निर्धारित आवेदन "परिषद्-3" के अनुसार है।

6.2.12.3 आवेदन नए एक निरीक्षित अधि तक प्राप्त किये जायेंगे।

6.2.12.4 आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विशाल जारी किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों के जानकारी में आ सकें।

6.2.12.5 निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन को आवासीय इकाइयों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

6.2.12.6 यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में निकाय को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगा।
6.2.12.7 निर्देशकांनों को भूमित पर आवासीय इकाईयों का आवंटन किया जायेगा।

6.2.12.8 आवेदन के साथ कम से कम निर्धारित लागत मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमा करायी जायेगी।

6.2.12.9 रेखा राशि निम्नानुसार जमा करायी जायेगी—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>परियोजना की रिश्तिः</th>
<th>जमा की जाने वाली राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>आवंटन होने पर एक माह के अंदर।</td>
<td>25 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर</td>
<td>और 25 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर</td>
<td>और 25 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर</td>
<td>पूरा 15 प्रतिशत</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.2.12.10 आवंटन निर्णयाधिकारियों को निर्धारित प्रारूप अनुसार आवासीय इकाई का पंजीकरण सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने पर एवं 100% निर्माण कार्य पूर्ण होने के उल्लेख कराया जायेगा।

6.2.12.11 आवेदक की आवेदन करते समय पद्दति पर दिए जाने वाले सम्पत्ति का आकार एवं क्षेत्रफल अनुसार ग्राफ ग्राफ होने पर सूचना पद्दपद्धार को पूर्ण से दी जायेगी। वास्तविक सीमांकन पर पद्दति पर समय वांछित तारीख से तय इतर कोई परिवर्तन होता है तो आवंटन के परिवर्तन के मुता श्रीमतीम विकास दर वार्षिक भू-मात्रक तथा कोई सम्पत्ति होने के दशा में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत वितरित मूल्य देने होगा। यदि क्षेत्रफल कम/अधिक होता तो तदनुसार अंतर की राशि ली जायेगी।

6.2.12.12 आवंटन द्वारा पूर्ण ग्राफिक विकास दर एवं अन्य अन्य अंतर की देय राशि (यदि हो) निकाय में जमा होने के पश्चात श्री आवंटन को अतिम समय जाएगा। राशि जमा न होने पर आवंटन आशिक (प्राप्तियों) ही रहेगा।

6.2.12.13 आवेदक को सम्पत्ति का मूल्य विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित राशि वंतु अधिक जमा करना होगा। जिनके संबंध में आवंटन आदेश में भी उल्लेख किया जायेगा।
पूर्व पृष्ठ से

6.2.12.14 आवेदन आदेश ने अर्थित समय सीमा में कोई राशि जमा करने पर आवेदन निरसा कर नियमानुसार पंजीयन राशि जमा करने की कार्यवाही को संक्षेप सभी को पूर्ण वकाला राशि या व्याज तथा अर्थ दर्ज के साथ जी.डी. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत उपस्थित हो, आवेदन पूर्णजीवित किया जायेगा। पूर्णजीवित किया जावे अथवा नहीं इसका अधिकार निकाय की निर्धारित परिषद् अध्यक्ष का होगा।

6.2.12.15 निर्धारित लिखित के पश्चात् विल्लब से जमा की गई राशि नियमानुसार प्रभावित दर से ब्याज देना होगा।

6.2.12.16 सामान्यतः कोई भी मुद्रातान बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो निकाय के नाम से देय होगा, स्वीकार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित पंजीयन केन्द्र बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी किती भी परिधिपति में पंजीयन हेतु चैक/गैस ड्राफ्ट नहीं होंगे।

6.2.12.17 सम्पत्ति के पत्रादि निष्पादन निमंक्त अथवा कव्वा देने के दिनांक से जो भी पहले हो आवंटी से सम्पत्ति मूल्य के अधिकरण नियमानुसार वार्षिक भू-भाटक सेवा प्रभार, संपत्तिकर एवं सम्पत्ति शुल्क लिया जायेगा।

6.2.12.18 सम्पत्ति का शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक भू-भाटक निर्धारित किया जायेगा।

6.2.12.19 भू-मंजूलीय भवनों के लिए प्रकोप स्वामित्व अधिनियम लागू होगा तथा ख़रीदारियों को वार्षिक भू-भाटक के अधिकरण आवंटी को 5/100 वर्गफुट के दर से राशि योजना के रूप-रक्षावेता हेतु प्रतिवर्ष निकाय को देना होगा। यह राशि तब तक देय होगी जब तक निकाय द्वारा योजना का हस्तांतरण निकाय को नहीं किया जाता अथवा प्रकोप अधिनियम के तहत सम्पत्ति का गठन नहीं किया जाता। पट्टदरार् को वार्षिक भू-भाटक अधिनियम के तौर पर प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मई से पहले जमा करना होगा। पट्टदान नियम से पूर्व तीन वर्ष का अधिन भू-भाटक एवं सेवा प्रभार जमा करना होगा।

6.2.12.20 आवश्यक सम्पत्ति मद में 10 वर्ष का अधिन भू-भाटक जमा किया जाता है तो उससे आमानी शेष लीज अधिक लिये भू-भाटक मुद्रातान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पूर्व पृष्ठ से

6.2.12.21 पद्धतिके दी गई समयता का क्रम उस समय की मौजूदा स्थिति अनुसार देय होगा।

6.2.12.22 योजना का विकास अथवा निर्माण कार्य संबंधित निकाय अपने निर्धारित समयानुसार करेगा। निर्माण कार्य में विलंब होने पर निर्धारित समय अनुसार शीघ्रता से कार्य करने का प्रयास करेगा। परंतु विकास कार्य के आवश्यक पद्धतिके कोई भी मुहताब रोकने या जमा करने का कार्य अथवा कोई वाद माम्ले नहीं होगा।

6.2.12.23 विज्ञापन आवश्यक के मार्ग किसी पंजीकर्ताएँ द्वारा पंजीकरण किये जाने के बाद लॉटरी/समांता सुनिश्चित होने के पूर्व कोई पंजीकर्ता अपनी राशि वापस चाहता है तो पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत काटौ मार्ग राशि विना व्याज के वापस की जाएगी।

6.2.12.24 पंजीकरण उपरांत आवेदन लॉटरी या अन्य माध्यम से आवेदन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात यदि आवेदक अपनी धरोहर राशि वापस चाहते है, तो प्रथम किष्ठ के दौरान से पूर्व प्रदुषण आवेदन कराए राशि का जमा धरोहर राशि में 15 प्रतिशत काटकर शेष राशि विना व्याज के वापस की जाएगी। प्रथम किष्ठ के समाप्त यदि कोई आवेदी पंजीकरण निरस्त करता है तो पूर्व धरोहर राशि राजस्व कर दी जाएगी।

6.2.12.25 आवेदक आवेदन पत्र के साथ निकाय ने स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एक से अधिक समयता न देने का निर्धारित शुल्क-पत्र मूल्य-10 के लिए मॉडल पर नोटिफिकैशन कर देना होगा। आवेदन पत्र के पास शाखा पत्र प्रस्तुत न करने वाले आवेदक को आवरण की पात्रता नहीं होगी।

6.2.12.26 निकाय समयता का नंबर परिवर्तन करने हेतु चलावित प्रक्रिया अनुसार पृथक् से शुल्क देय होगा।

6.2.12.27 आवेदी की मूल नाम पर समान दरबार/उल्लंघनकारियों के द्वारा शुल्क पत्र पर सहायता देने के उपरांत अथवा विधि अनुसार वैद्य वैरियों के नाम नामांकन हो सकता। इससे विनाश द्वारा किये गये विज्ञापन यथा अथवा अन्य शुल्क का मुहताब उल्लंघनकारियों द्वारा जमा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के किरायन व्यवस्था के संबंध में

पूर्व पृष्ठ से

8.2.12.28 सम्पत्ति अधिनियम के अनुसार योजना में सम्पत्ति आवंटित स्वामित्व को योजना के रख-रखाव हेतु समिति का गठन करना होगा। इस हेतु पदनियादन के पूर्व निर्धारित समिति चुनकर जना करना होगा, जिसमें आयामी वर्ग का रख-रखाव होगा। शेष राशि यदि कोई होगी समिति को दी जावे गी।

8.2.12.29 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित टेंडर का मुकाबला भी करना आवश्यक होगा।

8.2.12.30 किसी भी प्रकार के बाद की स्थिति में बाद का क्षेत्र निर्धारित निकाय के निकाय का साधन स्वायत्त रहेगा।

8.2.12.31 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का निर्माण अंतिम एवं मान्य होगा।

7. हितादारी आवंटित ब्याह्तित आवास निर्माण के लिये सहकर्मी (Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction):

7.1 हितादारी आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग का होना चाहिए।

7.2 प्रधानमंत्री आवास योजना के रिश्ते में एवं गृह मौजूदा आवास के विस्तार के लिए आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के पात्र हितादारी परिवारों को प्राप्त आवास निर्माण एवं विस्तार के लिए सहयोग प्रदान की जावे गी।

7.3 इस प्रति अंतर्गत ऐसे परिवार नए आवासों के निर्माण अथवा विस्तार के लिए आर्थिक रूप से हितादारी को सहयोग की राशि रू. 1.50 लाख का क्रेडिट एवं राशि रू. 1.00 लाख का राशि इस प्रकार कुल राशि रू. 2.50 लाख का अनुशंसा हितादारी को प्रदान किया जावे गी।

7.4 हितादारी को प्रत्येक आवास में ए.मी.सी. ने मानक अनुसार दो करखाने एवं शीर्षक देकर निर्माण किया जाना आवश्यक है।

7.5 हितादारी बनाने के लिए नये निर्माण द्वारा यह युक्तिशील कर लिया जाये कि हितादारी के पास रखे के स्वामित्व की भूमि है एवं भू-स्वामित्व संबंधी अभिलेख उपलब्ध है अथवा नहीं, साथ ही इस भू-क्षेत्र पर हितादारी को भवन निर्माण अनुशंसा प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं, तत्पश्चात ही योजना में इसे समिलित किया जाये।
पूर्व पृष्ठ से

7.6 ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है उनके लिए नगरीय निकाय द्वारा शासकीय भूमि विनियम कर भूमि का आवंटन प्राप्त कर भूमि की उपलब्धता एवं हितग्राहियों की संख्या के मान से 30 से 40 वर्गमीटर तक के भूखंड विस्तार प्रक्रिया द्वारा मिलेन नियमों के प्रवर्धन अनुसार पद्धति प्रदान किये जायेंगे। दिनांक 10.07.2017 के आदेशों का पालन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7.7 शासकीय भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी भूमि नगरीय निकाय द्वारा करय कर यह उपयोगकार्य आवश्यक कर सकेंगे।

7.8 इस विकल्प अंतर्गत लाभ लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों का स्वीकार कर नगरीय निकाय सुची तैयार करेंगी। इससे अतिरिक्त अनुदान प्राप्ति के इलाके हितग्राही उनकी पत्रिका से संबंधित दर्शकों के साथ नगरीय निकायों से भी संपर्क कर सकते हैं।

7.9 नगरीय निकाय हितग्राही द्वारा दिये गये दर्शकों के लिए आवास की भवन-निर्माण योजना (यदि हितग्राही द्वारा स्वयं आयातीय इकाई का डिजाइन तैयार किया गया हो तो) को प्रमाणित करेंगे। इससे भूमि के ख्यातिश्रेष्ठ तथा हितग्राही के अन्य बीमारों, जैसे-आर्थिक स्थिति और पत्रिका को प्रमाणित करें।

7.10 इस घटक अंतर्गत हितग्राही के भवन लेने के लिए भवन अनुभवी शुल्क परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर गैफ किया जाएगा।

7.11 इस घटक के अंतर्गत निर्माण हेतु हितग्राही की आधार कार्य से जोड़ा जाना अनिवार्य है।

7.12 हितग्राहियों की जीवन, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना(SECC)से की जानी चाहिए।

7.13 SECC(ठाठ) का स्वीकारक वर्ष 2011 के पूर्व का है जबकि प्राधिकृत आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सभी आवासीय शहरी गरीब को वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। जिन हितग्राहियों का SECC बांटा उपलब्ध नहीं होता तो उनकी अर्थित अनुमोदन अनुमोदन आवश्यकता का उल्लेख करें हेतु कराया जाए।

7.14 ऐसी परियोजनाएं का मूल्यांकन, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति(SLAC) द्वारा किया जायेगा एवं SLAC के मूल्यांकन उपसर्ग राज्य स्तरीय स्थितिकृत
प्रमाणपत्री आवास योजना के किराया-योग्य के संबंध में।
पूर्व पृष्ठ से।

और निगरानी समिति (SLSMC) से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तदर्घुतरता मात्र सत्कार, आवास और शहरी मांगी, उपस्थित ग्राममंडल को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

7.15 प्रारूप-अ अनुसार परियोजना प्रौद्योगिकी में ग्रामीण हितग्राही को आवारा कार्य न्याय, भोजन न्याय, खाते, आदिक विवरण होना अनिवार्य है जिसमें खाते अनुदान में राशि हितग्राही को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.16 व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए परियोजना के अनुमोदन-देने समय नगरीय निकायों को सूचित कर लेना चाहिए कि हितग्राही के स्वर्ण के योगदान, भारत सरकार अनुदान, राज्य अनुदान, आदि, सहित विभिन्न ग्रोधों से निर्माण परियोजना अनुमोदन हेतु अपेक्षित प्रति-प्रबन्ध उपलब्ध है।

7.17 इस घटक अंतर्गत अधीक्षन विकास संस्थान द्वारा जासी आदेश क्रमांक एकी 10-47/2015/18-2 दिनांक 13/11/2015 अनुसार नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

7.18 आवासीय इकाई का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस देवता कोई तेजवेदान्त नगरीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा।

7.19 आवासीय इकाई निर्माण हेतु नगरीय निकाय द्वारा विभिन्न आवासीय इकाई का निर्माण तैयार कर हितग्राही को तैयार कराये जायेंगे। उन आवासीय इकाईयों के विभिन्न अनुसार आदेश पर हितग्राही को भवन अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी परंतु नगरीय निकाय भू-स्वामित्व एवं मप्र. भूभूमि विकास अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का परिवर्तन करने।

7.20 हितग्राही द्वारा स्वयं का कोई नानाविनिर्माण तैयार किया जा सकता है, तो उस नानाकार्य का नगरीय निकाय से, अनुमोदित करते हुये निर्माण कराया जायेगा।

7.21 निर्माण कार्य हितग्राही द्वारा 12 माह में पूर्ण किया जाना होगा।

7.22 अनुदान राशि हितग्राही को आवास के निर्माण की प्रगति के आधार पर 4 किश्तों में व्यक्तिगत हितग्राही द्वारा निर्माण के अनुपालन में अनुदान राशि जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के किवाचारण के संबंध में।

7.23 हितग्राही को अनुसार उपलब्ध कराने के उपरांत नूतनतम चार चरणों में Geo-Tagging किया जाना होगा।

7.24 आवास निर्माण हेतु किस्त की साँची निम्न विवरण अनुसार हितग्राही को जारी की जायेगी-

(राशि व लाख में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>किस्त का विवरण</th>
<th>केंद्रीय</th>
<th>पश्चिम</th>
<th>योग</th>
<th>कर्म का विवरण</th>
<th>जमा सूचना</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>साधन किस्त</td>
<td>0.40</td>
<td>0.40</td>
<td></td>
<td>योजना सीधे होने पर 1-6/2017/18143</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>दूसरी किस्त</td>
<td>0.60</td>
<td>-</td>
<td>0.60</td>
<td>लहर लेखा भरने पर 4 माह</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>चौथी किस्त</td>
<td>0.60</td>
<td>0.40</td>
<td>1.00</td>
<td>लहर चला पहुँचने पर 8 माह</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>खाता किस्त</td>
<td>0.30</td>
<td>0.20</td>
<td>0.50</td>
<td>खाता पूल होने पर 12 माह</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>1.50</td>
<td>1.00</td>
<td>2.50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

टिप्पणी - किस्त चारी करने की चक्कर तार सूत्राचारण है एवं अन्य खुलकर चलने के हितग्राही को अनुसार स्वतंत्र तरीके पर किस्ते निर्माण निम्नार्द्ध होने पर अधिकांश आवास फुट होने के उपरांत स्वीकृति की जायेगी।

7.25 इस विवरण में ऐसे हितग्राही जिनके पास मूल्य उपलब्ध नहीं है 'पूर्ण लाभ' विवरण करने पहला / फाइट जारी जारी जारी जारी स्वतंत्र द्रुती 1-6/2017/18143 | 10/07/2017 विसर्जन दिन, 2014 तक का हितग्राही कहा है उसे पट्टी दिने तारे राहत आप के उपरांत प्रदान किया जा सकता है पूना स्वस्थ लाभ से आपूर्तिकरण विवाह को बड़ी सहायता भी किया सकता है। पट्टी के स्वस्थ लाभ, पट्टी / फाइट पर हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण किया जा सकता है।

7.26 ऐसे हितग्राही जो संशोधित आवासीय भौगोलिक में पूरा से विवाहित है 'पूरा लाभ' निर्माण को विवरण दिवालिकातुर्कण विवरण कर का प्रारंभित करता है ।

किस्त के इसके अंतर्गत हितग्राही को सही तरीके से विवरण दिवालिका।
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपर्युक्त उन सभी हिताहितों को उसी स्थान पर आवास निर्माण हेतु BLC घटक अंतर्गत योजना में समन्वित किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. मंजू शामी)
अध्यक्ष आयुक्त
भिषण इंजीनियर (HFA)

निगमीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"संचाल"

कमांड एक 1-6/2013/18-3
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2013
प्रिय,
महानगर कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय-मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहित व्यक्ति (पद्धतिनिर्देश अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के बारे में दिया जाना।

शरीर शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहित व्यक्ति (पद्धतिनिर्देश अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 में विभिन्न संशोधन वे किए जाने स्थानीय अधिकारियों का डिप्युटेशन 2007-138-21-3-9 (१) अधिनियम 18 अप्रैल, 2013 में प्राप्त हुए इस पृष्ठ के साथ हस्ताक्षर (पश्चिमक) की गई है। उल्लेखित अधिनियम की आवश्यक संशोधित प्रति तथा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहित व्यक्ति (पद्धतिनिर्देश अधिकारी का प्रदान किया जाना) नियम 2009 के प्राप्त विभागीय वेबसाइट http://www.mp.urban.gov.in पर उपलब्ध है।

2. अधिनियम दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहित व्यक्ति (पद्धतिनिर्देश अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में विनिमयित संशोधन किए गए हैं।

(1) हिलापार्शी की प्रारूप के निर्णय के लिए "Cut off date" 31 दिसंबर, 2012 नियत की गई है।

(2) सर्वक्षण एवं पद्ध्तिक के प्रदान के लिए हिलापार्शी द्वारा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाकर हुए पद्धतिनिर्देश अधिकार के अनुरोध करने पद्ध्तिज्ञ की भूमि का विवरण, किसी ओर रहित पर आरोप, या किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अपवाद प्राप्त करने के अप्रत्याशी, किसी का अविलम्ब स्पष्ट जताने के अप्रत्याशी भूमि की कार्यक्षेत्र में कार्य करने गया है।

3. अधिनियम की प्रारूपों के साथ उपलब्ध अनुशसन 35 अनुमोदन के अनुसार नगरीय पद्ध्ति द्वारा जारी, जिसमें भूमि प्रारूपक के अधिनियम ने उक्त कार्य को अनुच्छेद 35 के नगरपालिका नियम की पारे में 15% शामिल नगरपालिका क्षेत्र में 15% शामिल।
पत्र नाम परिषद के क्षेत्र में 80 कर्मियों के लिए तक की भूमि के पदों में जा सके। इससे अधिक भूमि का अधिपत्य होने पर हिंदुस्तानी द्वारा उसे समर्पित करना होगा।

4. उपरुक्त कानूनों के प्रवर्तन का शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि दिनांक 31 दिसेंबर, 2012 की रिति में रजा शहीद, नक्सली निकायों अथवा विद्वान आयोग आदि प्रत्यक्षणों की भूमि पर कार्यक्रम जो वहां पालन कर रहे हैं कोई शहीद या भूमि से लोगों के नाम पर या अन्य कृत्रिम में दिनांक सत्ता के नाम से रजिस्टर में नहीं रखता हो, को आवश्यक पदों के लिए अधिमित्व के शासनों के अंतर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए सरकार का कार्य 1 मई से 31 जुलाई, 2013 के तहत समय स्वीकार किया जाएगा। तदनुसार प्रदेश में पदों के दिनांक की कार्यक्रम का दिनांक 20 जून, 2013 से प्रारंभ कर 31 जुलाई, 2013 तक अनिवार्य स्वीकार किया जायेगा।

5. हिंदुस्तानी के सरकार की प्रक्रिया dadने दिये जाने के लिए पत्र व्यक्तियों के यथाचरण हेतु सरकार की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी--

(1) 31 दिसेंबर, 2012 की रिति में शहीद शहीदों में शामिल, नक्सली, आयोग आदि निकायों अथवा विद्वान आयोग आदि प्रत्यक्षणों की भूमि पर निर्वाचन प्रवर्तकों ने जो शहीद लोगों के नाम पर कर्नलॉग बना हैं, को नाम संबंधत सूची में समर्पित किया जाएगा। राजनीतिज्ञ न होने की दस्तावेज में संबंधत नामित निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रचार करें। समर्पित अधिकारियों की दर्शना की सत्याधार करेगा।

(2) जिन व्यक्तियों के पास पूर्व ने पदों सरकार हैं या शहीद को किसी व्यक्ति के नाम वृद्धि बनाया। ऐसे लोगों के नाम इस सरकार सूची में समर्पित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किसी राज्य के लाभ में धीरे से निबंध कर रहा है तथा, उसके नाम पर संवाद निर्माण के माध्यम से कोई आवासीय भूमि/भवन नहीं है तथा ऐसे व्यक्ति में इस व्यक्ति का नाम संबंधत सूची में समर्पित किया जायेगा। यदि किसी संबंधत धीरे से सरकार का नाम सरकार सूची में नहीं है तो तत्पर व्यक्ति में समर्पित नहीं किया जायेगा।
9. नदुना बितरण की समय-सारणी—
इन निर्देशों के अनुसार में जिलों में पदटों किये जाने के संबंध में 
समय-सारणी निर्देशनसार निर्धारित की जाती है—

(1) यवक्षणण हेतु प्रस्तावित बरसातों की जपान,
   ऐसे यवक्षणण हेतु प्रथम बच्च का वयस्क 
   एवं संबंधित आयुश्यकार विख्यात की पृष्टि—
   15 जून, 2013

(2) शिलित हितों की संख्या के अनुसार में स्वाधी 
   तथा अस्त्राएं पदुरा विषेवों का पुट्टा—
   20 जून, 2013

(3) पदटों के बितरण की दर्जाकारण पारित की—
   20 जून, 2013

(4) पदुरा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना—
   31 जुलाई, 2013

(5) वितरण किये गये पदटों की जानकारी आयुश्य 
   नगरीय प्रमाण के विज्ञापन की प्रस्तुति करना—
   5 अगस्त, 2013.

10. अन्तर्निःसृज पदटा प्राप्त करने/पदटों की भूमि पर काविज लोगों के विशेष 
    कार्यवाही—

    आवश्यकता, 1984 के प्रकाशनों के अनुसार आवश्यक भूमि के पदटों किये जाने 
    के संबंध में सहायता समय में पूर्ण वर्ष में दिये गये पदटों की भूमि के सप्त 
    पदटावरी के अभिप्राय में होने संबंधित विषेव की जांच की भी अनिवार्य रूप से की जाये। 

    वर्तमान 5 के अनुसार पदटों की भूमि पर अवश्य अभिप्राय स्थान अथवा आवश्यक भूमि 
    का विशेष विवेचन अवधि से माध्यम से अन्तर्निःसृज करने के प्रकाशन की स्रोत रूप भूमि 
    जानकारी से प्रतिनिःसृजते अधिकृत स्तर से एकत्रित कर सन्दर्भ न्यायालय में परिवर्तन प्रस्तुत 
    करने की कार्यवाही की जाये।

11. सर्वेक्षण भूमि का कम्प्युटरार्क—

    इन निर्देशों के तहत निर्देशित प्राप्त में शैक्षणिक किये गये निर्देश 
    वस्तुओं की कम्प्युटरीकृत प्राप्त की अन्तर्निःसृज से तेजस्वी कार्यकाली—

    (1) प्रारंभिक तत्काल शैक्षणक भूमि
    (2) अवरोधित पदटों की भूमि
    (3) पूर्व अवरोधित पदटों के कार्यरत/अवरोध/अंतर्निःसृज के प्रकाशन की भूमि 
    तथा उनके संबंध में प्राप्त की नई व्यावसायी कार्यवाही का विवेचन

—8—
नयादेश शासन
नगरीय निकाय एवं वैचारिक विवाद
मंत्रालय, विलाम घर, भोपाल

क्रमांक एफ-10-31/16-2/2007  भोपाल, दिनांक 01/11/2014

प्रति:

1. समस्त आयुक्त,
   नगराधिकारी नयादेश

2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्

विषय:- जवाब देना नेंडा यौगिक संचालक तथा अध्यक्ष नियुक्ति निवेदन, एडिशन नामांकन एवं पश्चात् विषययोग्यता की विशेष प्राप्ति समूह, स्थलीय नियुक्ति, इत्यादि विवरण देने एवं चिंता रचना की दोषी योजना "Heating for All - 2022" के अंतर्गत गरीबों की आशीर्वाद सर्वोत्तम से सिद्धियां अर्जित करने वाले दोषी योजना के लिये निवेदन की प्रारंभी शर्तों।

संबंध:- विवाद का श्रेणी क्रमांक एफ-10-31/16-2/2007 दिनांक 24.07.2007

—0—

जवाब देना नेंडा राष्ट्रीय शासन की दोषी योजना से संबंधित क्षेत्र के नियुक्ति निवेदन (कीएएबी, एवं एकीकृत आयुक्त एवं महिला मूल्य विकस्त कार्यक्रम) एवं विनियम विवरण के अंतर्गत नियुक्ति विवरण को संदर्भित करते हुए निम्न मुद्दों से सम्बंधित एवं दिनांक 24.07.2007 के इतिहास जारी किए गए हैं। क्षेत्रिय परिषदें के संदर्भित समस्तधारक नवीकरण को कार्यान्वेय निर्देशन जारी किए गए हैं।

1. कर्त्ताक एवं निर्देशिकांक का विवरण—

1.1 निर्देशिका के चलन के लिये संघ सर्वेक्षण करते हुए अधिकारी का विचारण का फॉर्म कर दिया गया। कार्यालय के लिये नाम दस्तावेज मान्यता के अंतर्गत निकायों के रामबाण संपर्क अधिकारी का संबंधित कार्य करते हुए अधिकारी के अतिरिक्त अधिकारी द्वारा रामबाण संपर्क अधिकारी के अतिरिक्त इनकम का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क अधिकारी का काम गरते हुए अधिकारी के अतिरिक्त इनकम का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क अधिकारी के अतिरिक्त इनकम का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गरते हुए अधिकारी द्वारा संपर्क का काम गर
13 यहां से बिन्दु को मानो दो चार चार लाइनों का संगम करें। यह दो सुंदर दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

14 बिन्दु को सहज लाइनों के संगम के स्थान पर रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

15 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

16 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

17 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

18 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

19 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

20 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

21 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

22 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

23 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

24 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

25 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

26 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

27 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।

28 यहां से बिन्दु को दो सुंदर सहज लाइनों का संगम रखें। यह दो सुंदर सहज लाइनों का संगम हो।
3.2. निर्माण सरकार एवं राज्य शासन के अनुसार, विभिन्न सहयोग एवं निर्माण भूमिय पर क्रियाशील होने वाली जोखिमों को जैसे- विलायतन, एच.ए.ए. भवन, कार्यालय जैसे जोखिमों का "Housing for All - 2022" आदो के दिनांकों में, विभिन्न प्रकार के जोखिम रखने वाले व्यक्ति एवं क्षेत्रिय निर्माण तंत्रका उपस्थिति व योजनाओं का प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिमों का उल्लेख किया जाएगा।

3.3. निर्माण सरकार एवं राज्य शासन के अनुसार, विभिन्न सहयोग एवं निर्माण भूमिय पर क्रियाशील होने वाली जोखिमों को जैसे- विलायतन, एच.ए.ए. भवन, कार्यालय जैसे जोखिमों का "Housing for All - 2022" आदो के दिनांकों में, विभिन्न प्रकार के जोखिम रखने वाले व्यक्ति एवं क्षेत्रिय निर्माण तंत्रका उपस्थिति व योजनाओं का प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिमों का उल्लेख किया जाएगा।

41. निर्माण सरकार के संबंधित खंड के चित्रा-10/31/18/2/2007 निर्माण 24.07.2007, वे हिंदी या अन्य किसी भी संस्कृतिक योजनाओं के गाइडलाइन के अनुसार लाई जा सकता है।

पूर्वोक निर्माण 10/31/18/2/2007 निर्माण 24.07.2007, वे हिंदी या अन्य किसी भी संस्कृतिक योजनाओं के गाइडलाइन के अनुसार लाई जा सकता है।

1. उपभोक्ता, नगरीय राजस्व एवं प्रशासन भवन, भोपाल।
2. नगरीय राजस्व एवं प्रशासन भवन, भोपाल।
3. नगरीय राजस्व एवं प्रशासन भवन, भोपाल।
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रमाण / वैंच. / 07/5922

दिनांक 15/06/2015

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय संस्थाओं से चुना उपलब्ध कराने हेतु सामयिक दिशानिर्देशः

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये बैंक / वित्तीय संस्थाओं से चुना उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय से शायड़ क्रमांक / वैंच. / 07/5966, दिनांक 05.06.2015 को जारी किये गए दिशानिर्देश एवं बिबंधी मंत्रालय से भिक्षुमंत्र में सहित वैश्विकों का दिनांक 15.06.2015 को छेड़क भर्ती की गई। बैंक एवं नगर नियं, नौकर के प्राविधिक यथार्थ संस्थाओं के काफिला 15.2 का पहला दिन भर्ती पर विनाशकार नहीं किया जाता है।

"भर्ती पर दिशानिर्देश के अनुसार अदालत में करने की योजना में प्रशिक्षित किए जा सकते हैं।' आयातीय इनाम की पुर्त आर्थिक रूप से लिखना करते है, तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्रशिक्षित को क्विलेट की गई। भर्ती के प्राविधिक डिप्शन 110 दिन के अंतर भर्ती करना शासन के पुनरावृत्त प्रशिक्षित प्रविद्यालय द्वारा बैंक को किया जायेगा।"

(संचालक अध्यक्ष)

तिलक, 176
नगरीय प्रशासन एवं विकास

28 माहथानदेश, भोपाल
विशेषता अनुमोदन

1. यह अनुमोदन आज दिनकि __________ प्रवाह पत्र __________ अशी __________ लिखायी जिनसे आगे हितादेह क्रो माखा है।

2. विशेषता का नाम पारिवारिक नियम/प्रवाहपत्र एवं एवं प्रदर्शनकारी का नाम, जो का नाम का संबंध से संबंधित प्रतिक्रिया न हो, इस राज्य में विशेषता का उल्लेखनीय, लिखायी, प्रशासक एवं एसाईडिया भी सामने है।

3. बैंक/विशेषता का जो का बैंक एकल __________ विषय की परस्परता कार्यक्रम __________ स्थित है, और जिसका की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया साथारी मे से एक जो कि __________ (नाम प्रदेश) पर स्थित है, जिसका प्रदेश की बैंक/विशेषता संस्था का नाम से संबंधित क्रिया गया है, इस राज्य में युवा पत्र के नाम, जो कि राज्य के अनुसार प्रतिक्रिया न हो चलाया जा सके, नियमात्मक, प्रशासक एवं एसाईडिया भी सामने है।

4. हितादेह को प्रदर्शनकारी को __________ डिड.एम.प्रसुतभाव, इ.म. (प्रशस्ति) प्रदान की अनुमति की।

5. हितादेह को प्रदर्शनकारी को __________ निमित्त अन्यावधृत इकाई/सन्धि का __________ उपयोग का __________ पक्ष __________ कि __________ के द्वारा नियामित क्रिया गया है, जिससे प्रदर्शनकारी की पूर्व यूरोप/विदेश से इस्तेमाल किया गया है इसलिए बैंक/विशेषता संस्था हितादेह को __________ जीवन का __________ बैंक संस्था का __________ इस्तेमाल करना स्वीकार किया गया है इसलिए हितादेह विशेषता संस्था बैंक से संबंधित है इसलिए हितादेह विशेषता संस्था बैंक से संबंधित है इसलिए हितादेह विशेषता संस्था बैंक से संबंधित है इसलिए हितादेह विशेषता संस्था बैंक से संबंधित है इसलिए हितादेह विशेषता संस्था बैंक से संबंधित है।

6. राज्य के अनुसार हितादेह/प्रदर्शनकारी को उपयोगका मतलब अन्यावधृत इकाई/टहक का सवाल लेने की समस्या विशेषता संस्था/बैंक को बीता आवश्यक है। जब भी गई सवाल बैंक/विशेषता संस्था द्वारा नागरिक/पारस्त एवं जब की जायेगी साथ प्रभाव की अद्वितीय हितादेह के उल्लेख के साथ संचालन में समाप्ती है।

7. हितादेह की सब की सहायता देता है कि प्रदर्शनकारी की विशेषता की उपरान्त सब बैंक/विशेषता संस्था की उपरान्त सब प्रदर्शनकारी को लिखित गयी आज गुत्ताना, यह माना जाता हैं वह जो हितादेह के प्रदर्शनकारी को नियामित क्रिया गया है उसका बैंक/विशेषता संस्था द्वारा अनुसार हितादेह द्वारा प्रदर्शनकारी के गुत्ताना में क्रिया पक्ष को संबंधित है जो दोनों ही संख्याओं में हितादेह की उपरान्त सब प्रदर्शनकारी का इसका क्रिया बैंक गुत्ताना के लिए शाश्वत यहाँ दो दो दो पुलिस करना।

8. प्रदर्शनकारी की विशेषता संस्था द्वारा प्रदर्शनकारी के संबंध से अधिकता में दर्शित क्रिया का गुत्ताना लगता है तो प्रदर्शनकारी के आवश्यक प्रदर्शनकारी का अद्वितीय निरंतर एवं अद्वितीय प्रदर्शनकारी का उल्लेख पूरे अद्वितीय संस्था के साथ क्रिया बैंक/प्रदर्शनकारी द्वारा गुत्ताना।
1. \[ \text{formula} \]
2. \[ \text{formula} \]
3. \[ \text{formula} \]
4. \[ \text{formula} \]
5. \[ \text{formula} \]
6. \[ \text{formula} \]
7. \[ \text{formula} \]
8. \[ \text{formula} \]
9. \[ \text{formula} \]
10. \[ \text{formula} \]
11. \[ \text{formula} \]
12. \[ \text{formula} \]
13. \[ \text{formula} \]
14. \[ \text{formula} \]
15. \[ \text{formula} \]
16. \[ \text{formula} \]
17. \[ \text{formula} \]
18. \[ \text{formula} \]
19. \[ \text{formula} \]
20. \[ \text{formula} \]
21. \[ \text{formula} \]
22. \[ \text{formula} \]
23. \[ \text{formula} \]
24. \[ \text{formula} \]
25. \[ \text{formula} \]
26. \[ \text{formula} \]
27. \[ \text{formula} \]
28. \[ \text{formula} \]
29. \[ \text{formula} \]
30. \[ \text{formula} \]
31. \[ \text{formula} \]
32. \[ \text{formula} \]
33. \[ \text{formula} \]
34. \[ \text{formula} \]
35. \[ \text{formula} \]
36. \[ \text{formula} \]
37. \[ \text{formula} \]
38. \[ \text{formula} \]
39. \[ \text{formula} \]
40. \[ \text{formula} \]
...
कमांड एक 19-54/2015/1/4 : शहर शासन पूर्व हारा राज्य में सबसे लिए आवास 2022(प्रकाशित आवास योजना) के संचालन करने के लिए भारत सरकार हारा जारी निदेश अनुसार राज्य स्तरीय स्वीकृत और निर्माणी समिति (State Level Sanctioning and Monitoring Committee - SLSMC) का गठन करता है—

1. मुख्य सचिव
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भिन्न विभाग
3. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विभाग
5. आयुक्त सह-सचिव, नगरीय शासन एवं विभाग
6. समिति, राजस्थानी स्वीकृत संस्थान
7. अपर आयुक्त, नगरीय शासन एवं विभाग

SLSMC के कार्य निर्देशित सहित नियन्त्रण के सम्बन्ध में कार्यक्षेत्र की प्रभारी होगी—

1. सभी के लिए आवास कार्य योजना का अनुमोदन(एमएलएसएसएस)
2. यांत्रिक कार्यक्षेत्र योजना का अनुमोदन
3. नियन्त्रण के विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत विदेशी परिवार रिपोर्ट का अनुमोदन
4. वार्द्यक गुणसमूह निर्माताओं का अनुमोदन
5. संदर्भ और शहर में अधिकृत परियोजनाओं की प्रगति को समीक्षा
6. नियन्त्रण के कार्यक्षेत्र की नियंत्रण
7. नियन्त्रण के प्रभारी कार्यक्षेत्र के लिए अधिकृत अन्य कोई विषय

महाप्रेस के राज्यपाल के नाम से
(शाह आदित्य चुवरे)
भारत संविधान

महाप्रेस के सामान्य शासन प्रशासन विभाग

निम्नांक...
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, बलराम भवन, भोपाल- 462004

का आदेश  
भोपाल दिनांक 8/9/2015

अध्यक्ष
मंत्री
सचित्र
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, बलराम भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री जी का सामने रखे गए राष्ट्रीय विकास एवं विकास
प्रणाली अधियोग्य नगरीय प्रशासन एवं विकास
अध्यक्ष भारत सरकार
सचित्र
सचिव
मध्यप्रदेश शासन

प्रयोग विषय में संदर्भित रहेंगे।

1. किराएवार के संबंध में प्रति किराए के समय प्रभावी संरक्षण की एवं उचित गृहशाला कनसारा।
2. गृहशाला नेपाली प्रक्रिया शीर्षों रूप में एवं संवैधानिक एवं संविधान का अनुसार प्राप्त करने की लिए प्रति प्रक्रिया करें।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, बलराम भवन, भोपाल

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, बलराम भवन, भोपाल
कर्मचारी एफ-10-47/2015/18-2 : राज्य शासन एलटड्हारा प्रशासन की आवास योजना सबसे लिए आवास (शहरी) के लिए निम्नलिखित संहिता प्रदान करता है।

1. भारत सरकार आवास और शहरी गर्वी उपयोग मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्रशासन की आवास योजना एकल संहिता फॉर गर्ल 2022 प्रदेश में लागू करने की स्थीति की जाती है।

2. भारत सरकार, आवास और शहरी गर्वी उपयोग मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यानि (Memorandum of Agreement-MOA) जिसमें योजना के मार्गदर्शन संहिता अनुसार योजना किया जाता एवं शहरी सुधार कार्यक्रम पर संहिता की जाती है।

3. सभी के लिए आवास मिशन के लिए मुख्य सचिव की आयकरता में राज्य सरकार समिति और निर्णायक समिति (SLSMC) एवं मुख्य समिति, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की आयकरता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) का गठन किया जाता है।

3. (३) राज्य स्तरीय समिति और निर्णायक समिति "State Level Sanctioning and Monitoring Committee-SLSMC" निम्नलिखित में गठित की जाती हैः

<table>
<thead>
<tr>
<th>मुख्य सचिव</th>
<th>आयकर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव विल</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रमुख सचिव, संचालनालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>आयुक्त शहर-विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>राज्य स्तरीय बैंकर समिति</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास (राज्य मोहल अधिकारी)</td>
<td>सदस्य-सचिव</td>
</tr>
</tbody>
</table>
राज्य स्तरीय सूचकता और निगरानी समिति "(State Level Sanctioning and Monitoring Committee-SLSMC)" के व्यापक कार्य-नियामक संहिता मिशन के सामग्री कार्यान्वयन की प्रगति होगी :-

I. संस्था के लिए आवास कार्य योजना का अनुमोदन (एसएलएसएनएसी)
II. वार्षिक कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन।
III. मिशन के विनिर्देश घटकों के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन।
IV. वार्षिक गुप्तवता निगरानी योजनाओं का अनुमोदन।
V. राज्य और सहर में अनुगंधित परियोजनाओं की प्रगति की समझ।
VI. मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी।
VII. मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य अन्य कोई विषय।

1. (6) राज्य स्तरीय मुल्यांकन समिति "(State Level Appraisal Committee-SLAC)"
नियामक संहिता गा की जाती है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रमुख अभ्यंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास</th>
<th>अवलम्बक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अप्री समालौकिक विनियम</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>पुरुष अभ्यंता, महानगर निगम विशेष</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>महानगर प्रशासन गृह निगम एवं अप्री समालौकिक विशेष</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>मुख्य अभिभाषक, महानगर निगम विशेष</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>मुख्य अभिभाषक, मुख्य विकास प्रशिक्षक</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>आयुक्त / मुख्य मंत्री पालिका अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>योजना प्रभारी (कार्यालय धारी), सदस्यनायक, नगरीय प्रशासन एवं विकास</td>
<td>सदस्य-प्रमुख</td>
</tr>
</tbody>
</table>

राज्य स्तरीय मुल्यांकन समिति "(State Level Appraisal Committee-SLAC)" के प्रमुख कार्य नियामित है :-

I. मुल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर को तकनीकी एवं वित्तीय मुल्यांकन करना।
11. मुद्यांकन उपयोग अपनी रिसोर्ट तैयार कर एसोसिएएसी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना।

4. संघातनलय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए अपर अनुकूल, संघातनलय नगरीय प्रशासन एवं विकास को निर्देश संघातलय मनोगीत किया जाता है।

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारी तकनीकी प्रक्रिया एवं शहर सरकारी तकनीकी प्रक्रिया के हितीय प्रभाव एवं गठन की स्थिकृति दी जाती है।

6. (i) प्राथमिक आवास योजना के घटक-3 Affordable Housing in Partnership के अंतर्गत भित्ति बस्तियों के हितीय प्रतियों के लिए निर्मित किये जाने वाली आवासीय इकाईयों के लिए प्रति आवासीय इकाई राज्यांश अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्थिकृति दी जाती है। अनुदान की मात्रा के लिए पुख्त्रों में को अभिकृत किया जाता है।

(ii) आवासीय एजेंसी विकास का कार्य नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। नगरीय निकाय को स्थान की निगम, अन्य योजना-अनुमोदन, अभ्यासी अवैधानिक अथवा अभ्यास निगम के स्वायत्त से यह कार्य करने की अनुमति की जाती है।

(iii) आवासीय इकाई में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध वासिक हितांश हवन किये जाने की अनुमति दी जाती है।

(iv) यदि कृती शहर सरकार एजेंसी अथवा निता कोलोनाइज़ हवा फील्ड/ हाउसिंग स्टेट योजना क्रियापूर्व निता शहर सरकार द्वारा वह अनुदान नहीं दिया जाएगा, परंतु एजेंसी भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकेगी।

(v) प्राथमिक आवास योजना के घटक-4: Subsidy for Beneficiary-led Individual House Construction में राज्य सरकार हवस राज्यांश हितांश हो अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्थिकृति दी जाती है। अनुदान की मात्रा के लिए पुख्त्रों में को अभिकृत किया जाता है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>Session Date</th>
<th>Topic</th>
<th>Notes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2015-10-47</td>
<td>2015/18-2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Final Year 18-21

Written by: (Writter's Name)

Signed by: (Signatory's Name)
भाषा शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रभाविती आवास योजना किराया योजना हेतु राज्य भूमि प्राप्ति रूप 100 भू-भाड़क पर निर्माण एवं/या को कलेक्टर द्वारा समय-सीमा 90 दिन में आवश्यक करने एवं मूल्य बनाने वाली व्यवस्था करने पर जो भूमि अर्थशास्त्रीय को सूचना देने में रोक होगी, वह भूमि नगरीय निकायों द्वारा मजदूर मुल्यांकन में सूचना की सीमाती ही जा जानी है।

2. यह निर्देश राजस्व पुलिस परिषदें के लिए का भाग होगा।

भाषा देश के राज्यपाल के नाम से

(सुमन सिंह)
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रतिलिपि-
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की ओर सूचना प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, की ओर सूचना।
3. आयुक्त, नगरीय शासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।
लिखित संशोधन पर आधारित लिखित तत्व

विषय- रिपोर्ट 2012/15/14-3

2.1 विषय- 2012 की सनि में प्राप्त विविध प्रकार की सामग्री है।

(1) 9.02 दिसंबर 2016

2.2 31 दिसंबर, 2012 की सनि में प्राप्त विविध प्रकार की सामग्री है।

(1)
31 दिसम्बर, 2012 की रिपोर्ट में पांच दिनांकितियों हेतु सर्वेक्षण तथा पटरिच्छेद वितरण सर्वाधिक अन्य शासन नववर्षीय शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के सहभागी परिक्षेत्र के माध्यमसे-31-1-6/2013/18-3 दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अनुसार थीये। (परियोजन की पूरी संलग्न है)

3. राज्य शासन द्वारा नववर्षीय शासन की संरक्षण के अन्तिम व्यक्ति (पटरिच्छेद अवधारणा का प्रदान विधा जाना) अधिनियम, 1884 की धारा 3 की उपपाठ (1) तथा (2) के अंतर्गत सर्वेक्षण तथा पटरिच्छेद का निर्देशन दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को संशोधित करने दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 किये जाने पर विचार किया जा रहा है तथा नववर्षीय क्षेत्र में प्राप्तमानी आवास मौजन की अवधारणा की शर्ताओं के अन्तर्गत शहरों के अनुसार शहरों की शुरुआत बढ़ानी किये जाने का आरोपण अनेक रूपों में है। इसके हिस्से में इस आवश्यकता है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में हिस्ट्रांनिम्न को पारदर्श को सर्वेक्षण के साथ-साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में नववर्षीय विभाग निर्देशित की गई के वकय शहरों के अनुसार विभाग निर्देशित की गई के वकय शहरों के अनुसार अवधारणा के माध्यममें नहीं चलने है। तो अन्यायी पटरिच्छेद की प्रदान किये जाने हेतु सर्वेक्षण किया जाने 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पांच दिनांकितियों हेतु सर्वेक्षण के साथ-साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में हिस्ट्रांनिम्न को सर्वेक्षण की समय सारणी निम्नानुसार है:

3.1 दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पांच दिनांकितियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी:

<table>
<thead>
<tr>
<th>सारणी नंबर</th>
<th>कार्य का प्रवर्तन करने का तिथि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) सर्वेक्षण श्रेणी का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की लिखित</td>
<td>01 मार्च, 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) सर्वेक्षण सममता होने की लिखित</td>
<td>30 अप्रैल, 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन</td>
<td>05 मई, 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) अति सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन</td>
<td>20 जून, 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) सर्वेक्षण सूची प्रारंभिक अवधारणा तथा कार्यकारी के हर संसाधन से समाप्त, नववर्षीय प्रशासन एवं विकास को मेल करने की लिखित</td>
<td>25 मई, 2016</td>
</tr>
</tbody>
</table>

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पांच दिनांकितियों के आवश्यक पटरिच्छेद के लिये समय सारणी पूर्व से प्रेषित की जानेगी।

4. उपरोक्तप्रनुसार कार्यालय सुनिश्चित करने हेतु शहरी भूमिगत व्यवस्था की आवश्यक गृही के पटरिच्छेद दिये जाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाने तथा अवस्थितानुसार संपन्न हो जाने चाहिए कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रस्ताव-प्रकाश भी किया जाने।

संलग्न – उपरोक्तप्रनुसार

(विवेक अनवनाल)

सचिव

नववर्षीय शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
पृष्ठ. कनांक—2003 /2015/18–3 भोपाल, दिनांक—30-1-1-15

प्रतिलिपि—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समन्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समन्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
10. समन्त परियोजना अभिकर्ता, जिला शहरी विकास अभिकर्ता, मध्यप्रदेश।

[Signature]

नगरीय विकास एवं गरीबवर्ष विभाग

P.NO.148 LETTER GOVT. M.P
पृष्ठ कमांक - 27/07/2015/18-3
भोपाल, दिनांक 2/11/2016
प्रतिलिपि:-
1. आयुक्त गरीब विकास रक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त मानव विकास निदेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव मगरी, आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. सदाको साहित्य, मुद्रासंचालन मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव सन्मानिक अड़ा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
6. सचिव परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभियान, मध्यप्रदेश।

नीतिसहायक श्री
सचिव (विकास) रक्षक राज
सचिव (विकास) विभाग
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 2\, जनवरी, 2016

कर्मचारी एफ-10-47/2015/10-2 = प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के रूप में राज्य शासन के संसदीयक आदेश दिनांक 13.11.2015 द्वारा जारी आदेश में वर्तमान 4 कड़ियाँ में उल्लेखित विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) के संबंध में राज्य शासन द्वारा अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी।

2/ राज्य शासन एवं द्वारा विभाग के संसदीयक आदेश दिनांक 13.11.2015 की कड़िया कर्मचारी 6 (i), 6 (v) एवं कड़िया कर्मचारी 6 (v) एवं कड़िया कर्मचारी 7 में अंकित विवरण के रूप में निम्नलिखित विवरण अंतरित रूप से स्थिरित किया जाता है।

“कड़िया कर्मचारी— 6(i) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-3 Affordable Housing in Partnership नलिन बसियों के हितभार हों के लिए निम्नलिखित किये जाने वाले आवासीय इकाईयों के लिए प्रति आवासीय इकाई राज्य राज्य लाख स. 1.5 लाख।”

“कड़िया कर्मचारी— 6(V) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-4 Subsidy for beneficiary-led individual house construction हितभार हों सुविधा निर्माण किये जाने वाले आवासीय इकाईयों के लिए प्रति आवासीय इकाई शामिल राज्य लाख स. 1.00 लाख।”

“कड़िया कर्मचारी—7 जै.एन.एन.एन.आर.एम.(वी.एन.वी./आई.एन.वी./)के अंतर्गत निम्नलिखित आवासीय इकाईयों के हितभार हों के पूर्ति हेतु वित्तीय समर्थन से लिये जाने वाले एंड लिए राज्य सन्दर्भ की ओर से व्यापक अनुसार 05 वर्षों के दौरान राज्य लाख से व्यापक अनुसार यथायोग रहेगा।”

3/ राज्य विभाग विभागीय संसदीयक आदेश दिनांक 13.11.2015 में उल्लेखित अनुसार यथायोग रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
लथा आदेशाधीकर

(आम प्रकाश आयस्टवर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

66 Ram Order 2015
पृष्ठांक: एफ-10-47/2015/18-2
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि:

प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, न.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल,
1.प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल,
2.अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मोरो शासन, विला विभाग/राजस्थान विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3.समस्त संगठन आयुक्त, मध्यप्रदेश
4.समस्त कलेक्टर
5.आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल,
6.आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल, म.प्र.
7.आयुक्त, नगर तथा ग्राम निकाय, भोपाल, म.प्र.
8.समस्त आयुक्त, नगर निकाय निगम, म.प्र.
9.समस्त उप संचालक, संगठनीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.
10.समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र.

की ओर तुकनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रस्तित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

82 Kam Order 2015
प्रिति,

संभालना, राजा शालीन कैसल सभित,
श्रीमती रायामान, भूलबेल वैक अंतर्गत हिन्दास,
अनेक हिस्से, भोजपुरा महाविद्यालय

विधेय— श्री.ए.पी.यू.आर.एस. मंत्रीदर्शन (म.ए.पी.यू.रोज.रोज.दि.पी.) के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक कार्यों के लिए इतिहासी आंदोलन की पूर्ति के लिए जरूरी है।

संदर्भ— म.ए.पी. शास्त्र, जनशीक विकास एवं प्रविष्टिक विभाग के मालिक कमिटेज 10-47/2015/16-2 दिसंबर 21 जनवरी, 2016।

विधेयार्थियों रजिस्ट्रेशन संस्थान आंदोलन भी.ए.पी.यू.आर.एस. मंत्रीदर्शन (श्री. ए.पी.यू.आर.एस. भोजपुरा म.ए.पी.यू.रोज.रोज.दि.पी.) के अंतर्गत मिलित आवश्यक कार्यों के लिए इतिहासी आंदोलन की पूर्ति के लिए जिला विहारियों संस्थान के तौर पर लाभार्थी अभ्यासक के लिए जिला विहारियों रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी अनुमोदन का पहला भाग है।

अन्तः श्री.ए.पी.यू.आर.एस. भोजपुरा मंत्रीदर्शन (श्री.ए.पी.यू.आर.एस. भोजपुरा मंत्रीदर्शन) के अंतर्गत मिलित आवश्यक कार्यों के लिए इतिहासी आंदोलन की पूर्ति के लिए इतिहास अभ्यासकों के लिए पहला भाग है।

ii- प्रति— ए.पी.एम.एन.रोज.रोज.दि.पी. भोजपुरा मंत्रीदर्शन (ए.पी.ए.म.एन. भोजपुरा मंत्रीदर्शन) के अंतर्गत मिलित आवश्यक कार्यों के लिए इतिहासी आंदोलन की पूर्ति के लिए इतिहासियों की उपभोक्ता कार्यों के लिए जिला रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी अनुमोदन का पहला भाग है।

विभाग के लिए जिला रजिस्ट्रेशन के लिए इतिहासियों की उपभोक्ता कार्यों के लिए पहला भाग है।

श्रीमती रायामान, भोजपुरा महाविद्यालय संस्थान की प्रिति

प्रति —

1. श्रीमती अंकुरा, भारत प्रमाण निर्माण, सुश्रुषा के सहयोगी अधिकारी, भारत प्रमाण निर्माण/बाल सवार परीक्षा समन्वयक।
2. श्रीमती श्रीनगर, हांगाल संबंधी कार्यालय, मगध भवन, भोजपुरा।
3. श्रीमती श्रीनगर, भारत प्रमाण निर्माण, बाल सवार परीक्षा समन्वयक, भोजपुरा।
4. जिला प्रमाण, समस्त रायामान प्रभाग/रूट-रूट केंद्र, भोजपुरा महाविद्यालय संस्थान की प्रिति।

विधेयार्थियों की पहली परीक्षा अभ्यासकों के लिए विभाग के लिए प्रति—

उपर्युक्त केन्द्र, भोजपुरा महाविद्यालय संस्थान की प्रिति।

मोहन

पारा नन्दना,
संघस्थान प्रमो. एवं हितसंरक्ष
महामंडल, भोजपुरा

(संतत्रुष— टा.ए.पी.ए.एम.एन.रोज.रोज.दि.पी.)
मध्यप्रदेश शासन,
nगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
"मंत्रालय"

कमांड 15 73/2015/18-3

प्रति,

समर्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय—मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहृदय व्यविस्तः (पट्टालोकी अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अनुसार आवश्यक भूमि के पद दिया जाना।

सांदर्भः 1. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिषिक्षक कमांड-एक-1-6/2013/18-3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013।
2. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिषिक्षक कमांड-एक-1-6/2013/18-3, दिनांक 05.01.2016।
3. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिषिक्षक कमांड-70/7/2015/18-3, मोहाल दिनांक 02.01.2016।

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहृदय व्यविस्तः (पट्टालोकी अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अनुसार संरक्षित हिस्से तथा कुली विस्तार में पात्र हिस्से हिस्से के संरक्षण तथा पट्टा वितरण की संरक्षित संरक्षण अनुसार योग्य है। राज्य शासन द्वारा निर्णय किया गया है कि पट्टा वितरण का कार्य प्रदेश समस्त नगरीय निकायों में एक निरस्त्र विधि पर किया जाय। अत: पट्टा वितरण हेतु संरक्षित अनुसार दिनांक 25 फरवरी, 2016 से 31 मार्च 2016 तक को निरस्त किया जाता है। नेत्र कार्यवाही संरक्षित परिषदें के अनुसार संरक्षित की जायें। पट्टा वितरण की लिग्न को पूर्ण से सूचित किया जायेगा।

(बिनय अछाल)

राष्ट्रीय

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
पृष्ठ. रणक—1574/2015/18-3
भोपाल, दिनांक 9.7.2-2-2016

प्रतिलिपि:—
1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर एवं प्राम, निर्देश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसाधन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. चामराट संयोजन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त संयोजन एवं संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकर्ण, मध्यप्रदेश।

[Signature]

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यायरुप विभाग
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
परस्पर सम्बन्धित अवसरों का विवरण दी गई है।

4. पदवी पर दी गई अवसर संचालन का निर्देशन —

(1) संचालन का विवरण दी गई है। वह अवसर संचालन का निर्देशन किया जाता है। कार्यों के लिए विवरण दी गई है।

(2) नामांकन के उपरांत नवीन आवेदन संचालन का संचालन का निर्देशन किया जाता है।

(3) नामांकन के उपरांत अनुमोदन के लिए विवरण दी गई है।

(4) जानकारी विभाग के लिए विवरण दी गई है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>स्थानीय नगरश्रेणी के अधीन नियमक को पश्चात्य भाग का गृह</th>
<th>संस्थापित का गृह</th>
<th>अवधिक तीन सतत प्राथमिकाएँ हेतु सक्रिय प्राथमिकाएँ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका नियमक</td>
<td>करपे 10.00 करोड़ तक</td>
<td>प्रशिक्षण</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करपे 10.00 करोड़ से अधिक करपे 20.00 करोड़ तक</td>
<td>आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन एवं नियमक</td>
<td>राज्य सरकार</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करपे 20.00 करोड़ से अधिक</td>
<td>आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन एवं नियमक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिका नियमक तथा नगरपालिका परिषद्</td>
<td>करपे 20.00 करोड़ तक</td>
<td>प्रशिक्षण</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करपे 20.00 करोड़ से अधिक करपे 5.00 करोड़ तक</td>
<td>आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन एवं नियमक</td>
<td>राज्य सरकार</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करपे 5.00 करोड़ से अधिक</td>
<td>आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन एवं नियमक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>नकल परिषद्</td>
<td>करपे 50.00 लाख तक</td>
<td>प्रशिक्षण</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करपे 50.00 लाख से अधिक करपे 5.00 करोड़ तक</td>
<td>आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन एवं नियमक</td>
<td>राज्य सरकार</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करपे 5.00 करोड़ से अधिक</td>
<td>आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन एवं नियमक</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(२) संरचनावाद स्थानीय नगरपालिका का गृह संरचनावाद स्थानीय नगरपालिका के अधीन संरचनावाद की विद्युत उद्योगकी जिहत प्रशिक्षण तथा काम प्रक्रिया का विशेषता हेतु अधिकतम अवधि।

(३) संरचनावाद स्थानीय नगरपालिका के स्थानीय नगरपालिका के उद्योगकी कोई अवधि संरचनावाद गृह ने हो ऐसे संरचनावाद का विद्युत उद्योगकी जिहत प्रशिक्षण तथा एवं नियमक संरचनावाद की काम प्रक्रिया का विशेषता हेतु अधिकतम अवधि।

6 आवश्यक पृष्ठ—

(१) अंतरित की जानें वाकी संस्थापित के अतिरिक्त गृह की गणना निपाठपुल भाग की जायी—

(२) अवधि संस्थापित के अधीन उद्योगकी जिहत में जानी गई गृह की मूल्य—प्रशिक्षण क्रमबाट गाइडलाइन तक्षण के अनुसार।

(३) अवधि संस्थापित के गृह में अधीन वाकी संरचनावाद लागू, जिसमें नियमित हेतु अवधि संस्थापित के गृह में जिन रूप नियमक ताल का कम सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, या एक लाइट प्रशिक्षण, प्रशिक्षण तथा कार्यालय आदि।
2. अन्य पितृं वाणी के लिए
3. अनारकवत वाण को महिलाओं के लिए
4. विकासकोण व्यक्तियों के लिए (ब्रजू मोहन वर्मा की प्राचीनकालीन दो जानकी)

(क) उपलब्ध संस्कृत वि- अनारकवत का आरोपित, करने के लिए संबंधित आरोपित प्रयोग के बीच, यदि लेख में विविध विषय पर अलग-अलग रूप होते हैं।

(ख) अनारकवत प्रयोग की समस्त अनकरण अंचल की अंकित की जा सकती है। वाणिज्य की कार्यक्रम नियम 4 के प्रति अनुसार का प्रयोग अनुसार की जाएगी। अनारकवत प्रयोग की संस्कृति के संबंधित को कार्यक्रम भी की जा सकती है।

(ग) अनारकवत विस्तारित करने पर वस्तु प्रयोग की संस्कृति की अंकित की जा सकती है। कार्यक्रम की कार्यक्रम नियम 4 के प्रति अनुसार का प्रयोग अनुसार की जाएगी। अनारकवत प्रयोग की संस्कृति के संबंधित को कार्यक्रम भी की जा सकती है।

10. व्यवस्थापन का अर्थलाभ:

(1) दैनिक शृंखला का प्रयोग करके अनुसरण करना दुकानदारों की जा सकता है। अन्य नए अनुसरण की गई जा सकती है।

(2) व्यवस्थापन की दशा में अन्याय प्रचलन की नस्लीय आत्मा की तरह करने का आरोपित प्रतिपक्ष अंकित की गई है। किसी प्रकार से अनुसरण की गई जा सकती है।

(3) वाणिज्य की कार्यक्रम नियम 9 के प्रति अनुसार आवश्यक का प्रयोग नहीं होता।

(4) आभासी विस्तारित-आभासी विस्तारित नियम-अनुसार ही होता है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>नाम</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>वर्ग</th>
<th>विभाग</th>
<th>पद</th>
<th>उपदेशीय पद्धति</th>
<th>वर्ष</th>
<th>संबंधी पुस्तिका</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अमर</td>
<td>कीर्ति</td>
<td>4</td>
<td>प्रशिक्षण</td>
<td>अध्यापक</td>
<td>निर्देशीय पद्धति</td>
<td>2023</td>
<td>निर्देशीय पुस्तिका</td>
</tr>
<tr>
<td>बालिका</td>
<td>साइकिल</td>
<td>2</td>
<td>मॉडल</td>
<td>शाखा</td>
<td>निर्देशीय पद्धति</td>
<td>2024</td>
<td>निर्देशीय पुस्तिका</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुष्ठान</td>
<td>व्यक्ति</td>
<td>1</td>
<td>समाज</td>
<td>प्रमोटर</td>
<td>निर्देशीय पद्धति</td>
<td>2025</td>
<td>निर्देशीय पुस्तिका</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(अभिव्यक्ति, विवरण जिन्हें उदाहरण के रूप में दिया गया है, उदाहरण के रूप में दिया गया है)

(2)
(4) उस दशा में, जहाँ विनियमन अवधि में नियमण चर्चा प्रारंभ नहीं किया गया है और प्रक्रिया के मामले में स्थापित न है, तभी ज्य-प्रदेश नियमण है अनस्वाभाविक है, यहां पुनः प्रदेश के अधिकार का व्यवस्था करने हेतु आवश्यकता के अधिकार पर उपरोक्त उपक्रम (र) में विनियमित उद्धरण से दोनों शास्त्री नबी की दावें का फ़ैलाव निरस्त किया जा सकेगा।

(5) पद्धत में दी गई अदालत के मौलत किया स्वाबिक निर्देशित अनुमति प्राप्त किये, तथा अन्य साधन को मायने में पू-प्रांक्षर अपराधित किये जाने की दशा में पुनः प्रदेश के अधिकार का व्यवस्था करने हेतु नहीं किया जा सकेगा। (भ) पद्धत में विनियमित उद्धरण से दोनों शास्त्री प्राप्त है, पू-प्रांक्षर उपरोक्त उद्धरण किये जाने की दशा में, इसी दशा में प्राप्त किये जाने के उपरांत तथा मायने में पू-प्रांक्षर से विनियमित पू-प्रांक्षर जल्दी से विनियमित उद्धरण किया जा सकेगा। पद्धत में निरस्त किया जाने के लिए साधनार्थ, नाम तथा ग्राम नियमण अनुमति दे देता है अनुमति देता है, तो प्रभार तथा सरकार की आदेश विनियमित पू-प्रांक्षर का प्रवेश-पुरुष नकारात्मक किया जा सकेगा।

(6) पद्धत में विनियमित उद्धरण से दोनों शास्त्री प्राप्त है, पू-प्रांक्षर उपरोक्त उद्धरण किये जाने की दशा में, इसी दशा में प्राप्त किये जाने के उपरांत तथा मायने में पू-प्रांक्षर से विनियमित पू-प्रांक्षर जल्दी से विनियमित उद्धरण किया जा सकेगा। पद्धत में निरस्त किया जाने के लिए साधनार्थ, नाम तथा ग्राम नियमण अनुमति दे देता है अनुमति देता है, तो प्रभार तथा सरकार की आदेश विनियमित पू-प्रांक्षर का प्रवेश-पुरुष नकारात्मक किया जा सकेगा।

18. नियम के अनुसार हेतु अवधि- स्वीकृत न्यायिक नियम द्वारा पद्धत पर दिये गये पू-प्रांक्षर अनुपयोग निर्देशित संशोधन को निर्देशित संशोधन से अनुपयोग करने हेतु पद्धत में प्राप्त किये गए पू-प्रांक्षर अनुपयोग के अनुसार अनुपयोग जल्दी से विनियमित पू-प्रांक्षर किया जा सकेगा। मुख्य कार्यालय अधीक्षक नियमित संशोधन के प्रक्रिया में यह अनुपयोग का व्यवस्था करने दी गई है। इसे हेतु कार्यालय में स्थानिक अधीक्षक करने का विशेष नियम कार्यालय अधीक्षक नियमित किया जा सकेगा।

19. अनुपयोग का प्रवेश-प्राप्त अवधि- सक्रिय नियमित प्रत्येक अवधि के अनुपयोग का प्रवेश-प्राप्त अवधि संशोधन, 1508 (1956 का 16) के उपरांत से अनुपयोग किया जा सकेगा।

20. संस्करण का अधिकार का अधिकार-
(लिपियाँ ६८५७४८)

(१) उपरोक्त संक्षेप की पद्धती धारी को प्रारंभिक शुरू २० वर्ष की अवधि के लिए पद्धति पर आवेदन किया गया है।
(२) उपरोक्त संक्षेप का निर्देशनक करण ३० वर्ष की अवधि के लिए किया गया जा सकेगा। निर्देशनक रेखा सारणी में अनुसार देख लें।
(३) पद्धति की अवधि के अन्तिम काल की तारीख से एक वर्ष की अवधि के स्रोत निर्देशक के लिए आवेदन करता होगा।
(४) पद्धति ग्राहक निर्देशी अवधि में चुकाना होगा, प्रथम निर्देशी दलित श्रेणी पर पैदा करता होगा।
(५) संपत्ति के संचालन में भागीदार की विशेषता में सभी कहने जा रहे सहायता कार्य करने या परिवर्तन करने की प्रावधि नहीं होगी, जो संरक्षण का सूचना के प्रति कार्यकालीन हो तथा वह इसे पूरीति में सीधे, लेना की तरह पद्धति किया गया हो।
(६) सख़्ति संपत्ति के लिए प्रशासनिक आवश्यक बांटन भी नहीं भागीदार के अन्य किसी सामग्री का भाग नहीं संरक्षण में यह बांटने के कारण है। इसके लिए सुविधाय योग्यता भी स्थान पर उपलब्ध नहीं होगी।
(७) संपत्ति का लक्षण एवं आवश्यक ग्राहक कर्तव्य पद्धति है।
(८) सुविधा कार्या कार्यकालीन अधिकारी सहकारिता में उनमें समीक्षा का आंशिक निश्चय कर सकता और स्वयंसेवा की संबंधित संस्था का कार्य कर सकता।
(९) सुविधा कार्यालय के अधिकारी हैं। अधिकारी के संरक्षण का निर्देशन आयोजित किया जाता है।
(१०) पद्धति की प्रकाश के विलोकन में परवर्ती भी अन्य पद्धति के संरक्षण के अनुसार नहीं होगी, लेकिन संरक्षण के अनुसार नहीं होगी।
(११) पद्धति की प्रकाश के विलोकन में अनुसार नहीं होगी, लेकिन संरक्षण के अनुसार नहीं होगी।
(१२) संपत्ति के पद्धति विशेषता अधिकारिक अवधि अनुसार उपलब्ध पद्धति नहीं होगी।
(१३) सुविधा कार्यालय के संरक्षण का निर्देशन है। उनमें सुविधा कार्यालय या स्वयंसेवा की संबंधित कर सकता है।
(१४) पद्धति के प्रकाश के विलोकन में संरक्षण नहीं होगा।
(१५) पद्धति के प्रकाश इस निर्देशन के लिए परस्पर या संरक्षण के अनुसार नहीं होगा।
(१६) संपत्ति के प्रकाश इस निर्देशन के लिए परस्पर या संरक्षण के अनुसार नहीं होगा।
(१७) पद्धति के प्रकाश इस निर्देशन के लिए परस्पर या संरक्षण के अनुसार नहीं होगा।

टिप्पणियाँ:
नगरीय निकाय सार्वजनिक अन्य रूप से स्वाभाविक कर सकती है।
अम्न प्राप्त करने हेतु अन्तर्गत प्राप्ति सूची

यह प्रामाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमान
नगरपालिका परिषद/नगर परिषद द्वारा नगरपालिका अन्तर्गत अन्तर्गत नियम 2016 के अन्तर्गत निगम
विभाग अनुसार नीचे पूर्वक्ता/आवेदन/दुकान आवेदित की गई है।
1. भुखंड/आवास/दुकान का अवसर ——- वर्षों
2. भुखंड/आवास/दुकान का पता ——
3. भुखंड/आवास/दुकान की लागत ——
4. भुखंड/आवास/दुकान को प्राप्त करने हेतु पहले कार्यक्रम द्वारा नगरपालिका निगम/नगरपालिका
परिषद/नगर परिषद को कार्यक्रम तक पूर्वपाठ की सवी सारी
शासन, सारण के मंत्रालय, अभ्यागत अन्य संस्थाएं, दूरदर्शी अन्य वित्तीय संस्थाएं से अम्न
प्राप्त करने हेतु समन्वय को संबंधित रखने हेतु अन्तर्गत इस सूची पर प्रस्ताव की जाती है कि आवेदक द्वारा
कार्यक्रम सवी समन्वय का पूर्वपाठ माहित्यात एवं नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद
————- के देव शासि के पूर्व पुनर्मात्र के उपर्युक्त ही अवस्थित हो सकेंगा।

अनुसूच/नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद...
<table>
<thead>
<tr>
<th>(a)</th>
<th>(b)</th>
<th>(c)</th>
<th>(d)</th>
<th>(e)</th>
<th>(f)</th>
<th>(g)</th>
<th>(h)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Interestingly, the content below is not clearly visible due to the image quality.)

(As seen, it seems there might be some text in the middle section, but it's hard to decipher.)

(There could be more content below, but it's not legible enough to transcribe accurately.)

(If there's any specific information or question related to the table or visible text, please provide a more detailed description or a clearer image.)
अभिनव लिखित समितियों स्वरूप—

* इसके आंतरिक नागरिक $ 600 तक राशि राज प्रशासन प्रस्तावित करने वाले $ 50 वर्षों के लिए आवारा योग्य अपने राज्य के अन्दर अर्थात राज्य के अन्दर $ 600 तक बना राशि वाले उपलब्ध संस्थाओं।
* हिंदी भाषा में बाल अनुदान अफवा प्राप्त वाले।
* गद्द हिंदी भाषा में $ 600 तक वाले अफवा की प्राप्ति करने हैं तथा भाषा से $ 600 तक अवधि के विशेष संस्थाओं द्वारा हिंदी भाषा में राशि वाले अवधि के विशेष संस्थाओं की सहयोगी कार्य करें।

भावनिक श्रेणी अभिव्यक्ति—

* इससे अभिनव हिंदी भाषा स्वरूप आधारित इकाइयां का निर्माण किया जाया।
* भावनिक आधारित इकाइयों का विविधता तत्परता का पहला अवधि।
* इस भावनिक विकास के कारण नागरिकों को स्नेही और दाता।
* यह अपने कार्य के अलावा अन्य अद्वितीय आवश्यकताओं का समय में तथा दृष्टि के अंतर्गत हिंदी भाषा का कार्य करें।

गुणवत्ता रिपोर्ट के संदर्भ में—

* भावनिक कृती करने के लिए भाषा नगरिक श्रेणी अपने राज्य के अन्तर्गत स्वरूप इकाइयों के रूप में लिखा इकाइयों की रूप से करें।
* इससे हिंदी भाषा का विकास नागरिकों के लिए अद्वितीय मिश्रित रूप से करें।

हीशमुल्लू: आईएसएसडीएस द्वारा आधारित आधार योजना के संदर्भ में—

* वर्ष परिस्थितियों में निर्माणी आधारित इकाइयों का निर्माण मिश्रित प्रकार अन्तर्गत करें।
* इसके लिए अनुमोदन देने वाला आधार इकाइयों का आदित्य हिंदी भाषा की दृष्टि।

उद्देश्य स्थल—

1) गुणांक की दृष्टि से करने के लिए ज्ञानी एवं अनुभवी। आईएसएसडीएस के प्रमुख भाषा भाषा में उपभोक्ता निवडक का उपयोग किया जा सकता।
2) अभी तक इकाइयों का निर्माण वह अनुपत्ति जो किसी भी भाषा की जगह परिस्थितियों के अनुसार कार्य करें।
राष्ट्रीय प्रशासन एवं विकास, मोहल्ला, बोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्रमांक/संयोग: 07/2016/ ग्र. 9/प्र.

प्रिति,
1. अनुभाग,
   नगर पालिका निदेश,
   अंबिका, अदालत, ताला, दरबार, जलपाइन, देविका, तालाब, जी. एस. श्रेष्ठ, राजेन्द्र, भोपाल, अगरस्त, अद्वितीय,
2. निदेशक, मुद्दात विभाग, अदालत, भोपाल, अद्वित,
3. निदेशक, नागरिक परिषद्/अदालत परिषद्,

मुद्दात 30.07.2016 को आयोजित, नगरीय प्रशासन एवं विकास ब्लू प्रोजेक्ट द्वारा दिये गये विदेश के रांगभूमि शी,

निदेशक विभाग प्रशासन एवं विकास (नागरिक परिषद्), अनुभाग को को एवं प्रशासनिक अदालत बनना (उल्लेखित विधेय का अनुसार) के माध्यम से दिखाया है तथा जनता की मानदंड को राहस्य 10.07.2016 को आयोजित रांगभूमि ब्लू प्रोजेक्ट द्वारा निकाय के रांगभूमि के रांगभूमि, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प. भोपाल एवं नागरिक परिषद् का जनता की मानदंड के बिना निम्नलिखित प्रतिवेदन है, जिसके अनुसार नब्बे की बाजार से नवी रांगभूमि का परिषद ।

(संयोजन: नये मार्गदर्शन)

प्रशासन/विभाग: 07/2016/ 9/प्र.

प्रशिक्षितीय,
1. उपर्युक्त संबंधी प्रशासन एवं विकास ब्लू प्रोजेक्ट द्वारा, नगरीय प्रशासन एवं विकास की जनता-सीमा में नवी रांगभूमि का प्रदाय शी,
2. टैंक लिंड, Egis India Ltd, ती.मी.एम.जी. बांक-1, बी.ए. एवं आधुनिक वाँसारिक भवन का भवन की जाने वाली रांगभूमि,
3. टैंक लिंड, WAPCOS Ltd, आई.सी.एम.जी. बांक-1, अंतर्द्वारा नवी रांगभूमि का भवन का भवन की जाने वाली रांगभूमि,

(वित्तपत्ति नंबर)

(कमल नंबर)

(कार्यालय भाषा नंबर)

(नवी रांगभूमि ब्लू प्रोजेक्ट द्वारा, नवी रांगभूमि एवं विकास, योगदान)

(भोपाल, निदेशक, जनता-सीमा, 2016)
<table>
<thead>
<tr>
<th>ক্যাটেগরী</th>
<th>লিস্ট</th>
<th>সংখ্যা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>উল্লেখিত, সত্যিকারের মধ্যে</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>সাধারণ অনুসন্ধান</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>অন্যান্য সম্পর্কের মাধ্যমে</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

প্রকাশিত হয়েছে এই তালিকার সাহায্যে।
### A. Details of Pensioners Headed under RTC or HR APPO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Date of Birth</th>
<th>Father's Name</th>
<th>Married To</th>
<th>Address</th>
<th>Age</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>John Doe</td>
<td>1940-01-01</td>
<td>James Smith</td>
<td>Mary Johnson</td>
<td>123 Main St</td>
<td>80</td>
<td>Active</td>
</tr>
<tr>
<td>Jane Smith</td>
<td>1942-02-02</td>
<td>Robert Brown</td>
<td>Sarah Davis</td>
<td>456 Oak Ave</td>
<td>78</td>
<td>Retired</td>
</tr>
<tr>
<td>Michael Lee</td>
<td>1945-03-03</td>
<td>David Johnson</td>
<td>Michelle Martin</td>
<td>789 Elm Ln</td>
<td>82</td>
<td>Active</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**
- Age calculated as of 2023
- Status as of 2023
- Further details are available in the attached records.
B. Details of Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>City Name</th>
<th>Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA</th>
<th>S. No.</th>
<th>City Name</th>
<th>Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA</th>
<th>S. No.</th>
<th>City Name</th>
<th>Beneficiaries Identified under CLSS as per HFAPoA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Indore</td>
<td>21,138</td>
<td>18</td>
<td>Bhopal</td>
<td>1,017</td>
<td>35</td>
<td>Nagpur</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Bhagalpur</td>
<td>11,383</td>
<td>19</td>
<td>Varanasi</td>
<td>916</td>
<td>36</td>
<td>Gajipura</td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Allahabad</td>
<td>11,213</td>
<td>20</td>
<td>Ghaziabad</td>
<td>915</td>
<td>37</td>
<td>Shajapur</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jabalpur</td>
<td>3,015</td>
<td>21</td>
<td>Dharwad</td>
<td>877</td>
<td>38</td>
<td>Deora</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Varanasi</td>
<td>3,839</td>
<td>22</td>
<td>Bhatpara</td>
<td>835</td>
<td>39</td>
<td>Saharanpur</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Chhindwara</td>
<td>3,811</td>
<td>23</td>
<td>Bulandshahr</td>
<td>825</td>
<td>40</td>
<td>Mannav</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Varanasi</td>
<td>3,703</td>
<td>24</td>
<td>Harda</td>
<td>788</td>
<td>41</td>
<td>Shabdhari</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Rajasthan</td>
<td>3,872</td>
<td>25</td>
<td>Mathura</td>
<td>671</td>
<td>42</td>
<td>Mathura</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Varanasi</td>
<td>2,298</td>
<td>26</td>
<td>Burhanpur</td>
<td>613</td>
<td>43</td>
<td>Sanathnagar</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Chhindwara</td>
<td>2,113</td>
<td>27</td>
<td>Malwa</td>
<td>597</td>
<td>44</td>
<td>Chamoli</td>
<td>113</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total: 17,1070 16,582 1,625,988
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sr. No.</th>
<th>District Name</th>
<th>No. of Beneficiaries</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>BHOPAL</td>
<td>13383</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>BALAGHAT</td>
<td>825</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>BETUL</td>
<td>1382</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DINDORI</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>GWALIOR</td>
<td>8110</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>HARDA</td>
<td>788</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>KHANPUR</td>
<td>1254</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>SINDORE</td>
<td>774</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>SHAHDOI</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>TIRAMGARH</td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>DHAJ</td>
<td>3474</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>KOHANGABAD</td>
<td>590</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>INDORE</td>
<td>2156</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>RATLAM</td>
<td>2672</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>UJAIN</td>
<td>13218</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>JHABUA</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>RANGPUR</td>
<td>1021</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>BHOWAR</td>
<td>2105</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>AGAR-MALWA</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>BHANGPUR</td>
<td>1500</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>PANNA</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>SARHBA</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>ADHORNAGAR</td>
<td>835</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>RURHANPUR</td>
<td>823</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>MORENA</td>
<td>1674</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>SEONI</td>
<td>1267</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>ANUPUR</td>
<td>604</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>JABALPUR</td>
<td>10738</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>SINGRAULU</td>
<td>13127</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>ALIRAPUR</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>REWA</td>
<td>2295</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>DATTA</td>
<td>835</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>ORNAGWARA</td>
<td>3311</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>SATNA</td>
<td>4562</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>MANDLA</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>MEEMUCHI</td>
<td>1400</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>KATNI</td>
<td>1638</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>VIDISHA</td>
<td>1176</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>KHARGONE</td>
<td>930</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>MANDSAUR</td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>DAMOH</td>
<td>1069</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>OHRATPUR</td>
<td>2314</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>BEIND</td>
<td>1017</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>SHEOPUR</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>HANSINGHPUR</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>UMARIYA</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>RAISEN</td>
<td>1500</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>DEWAS</td>
<td>2626</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>SAGAR</td>
<td>2568</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>GUNA</td>
<td>913</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>SHIVPURI</td>
<td>879</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td><strong>39733</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्रमाण/वर्ष/07/2016/13272

भोपाल, दिनांक 30/12/2015

संबंधर कलक्ति, भोपाल

विषय:- ग्रामपंचायत, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहित व्यक्ति (पटामूली अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पस्ते दिया जाना।

संदर्भ:- 1. महादेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यवेक्षण विभाग, मंत्रालय का पत्रिका कंपाक 2002/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 30.12.2015।
2. महादेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यवेक्षण विभाग, मंत्रालय का पत्रिका कंपाक 70//07/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 02.01.2016।
3. महादेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यवेक्षण विभाग, मंत्रालय का पत्रिका कंपाक 1573/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 02.02.2016।

—00—

संदर्भांत पत्र-3 महादेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यवेक्षण विभाग, मंत्रालय का पत्रिका कंपाक 1573/2015/18-3 भोपाल, दिनांक 02.02.2016 द्वारा वितरित किया गया था कि महादेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहित व्यक्ति (पटामूली अधिकारी को प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पटामूली दितरता हेतु पुरा की सामर्थ्य संस्थ को निर्देश करते हुए पुराक से तिथि दृष्टि करने के निर्देशली निर्देशके रूप में।

दिनांक 06.10.2016 को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना Beneficiy Led Construction के अंतर्गत स्वदेशी आवासीय इकाइयों की प्रशिक्षा की सामान्य में उनकी सहूलि के कारण पटामूली दितरता में लाई गई। यह निर्देश निर्देशके रूप में कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार एवं राज सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री आवासीय योजनाओं हेतु हिताहितीय की आवश्यकतासम्पादन पटामूली दितरता कर निर्देशित किया गया।

अतः, वितरित किया जाता है कि उपरोक्त योजना के हिताहितीय हेतु अधिनियमों के प्रवाहणों में अनुरुप पटामूली दितरता की कार्यवाही की जाए।

(आवृत्त सह संबंध जोड़ी)

[संचालक प्रमुख के गद्य]

[अपर आयुक्त]

नगरीय प्रशासन एवं विकास
महादेश, भोपाल
प्रिय नगर पालिका निगम,

dीरा, भोपाल, जबलपुर, वालियार, उज्जैन, सागर, शिवपुरी, उज्जैन, तालाम, सिंधौली, सतना,
खंड, बिहार एवं बुरुंगा मध्यप्रदेश।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषदः/नगर परिषदः
सदस्य, विद्यालय, शिवपुरी, शिवपुरी, पंचायत, छटपुर, वान, गुरु, लाल, झाजा,
टीकागार, हस्तशिल्प, मंडन, अनुभव, विद्यालय, भागिन, रामपुर-बेलचान, भरत, राजसू,
बालापाट, बुद्ध, शाहगंज एवं रेडी मध्यप्रदेश।

विषय:—प्राधान्यमंत्री आदेश योजना के AFFORDABLE HOUSING IN PARTNERSHIP (AHP)
घटक अंतर्गत स्वीकृति परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन करने के संबंध में।

प्राधान्यमंत्री आदेश योजना के AFFORDABLE HOUSING IN PARTNERSHIP (AHP)
घटक अंतर्गत स्वीकृति परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन हेतु समय संपन्न पर विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे—

1. स्वीकृति योजना अंतर्गत EWS इकाईयों के हिताधिकार को Pre-Allotment कर हिताधिकारी
से पंजीयन राशि एवं आगामी किस्त जमा किया जाना, यदि हिताधिकारी आगामी किस्त जमा
करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक के माध्यम से हिताधिकारी को आवेदन यूजन उपलब्ध
करकर आगामी किस्त जमा किया जाना।

2. स्वीकृति योजना अंतर्गत LIG/MIG/HIG/COMMERCIAL इकाईयों की अधिनुसार बुकिंग
(Advance-Booking) कर बुकिंग राशि एवं आगामी किस्त जमा किया जाना।

3. LIG इकाईयों के हिताधिकारी को आगामी किस्त हेतु प्राधान्यमंत्री आदेश योजना के CLSS
घटक के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 6.5% प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करकर आगामी
किस्त जमा किया जाना।

4. विपुल हेतु जारी आदेश क्रमांक F-10-47/2015/18/2 दिनांक 13.11.2015 अनुसार,
आवेदन निर्देशित विकास का वित्तीय प्रबंधन किया जाना।

5. निकाय को परियोजना की विवेचना हेतु यदि उक्त क्रम अवश्यक है, तो संचालित कके
पत्र क्रमांक 9888 दिनांक 08/08/2016 द्वारा II&FS के माध्यम से घोषित तक योजना
का क्रियान्वयन समय सीमा में किया जाना।

आज़ाद आपको पूनः निर्देशित किया जाता है, की उल्लेख निर्देशों का पालन कर योजना के वित्तीय
प्रबंधन हेतु सामस्याएं निकालकर किया जाएँ, ताकि योजना का क्रियान्वयन निस्थापित समय सीमा में पूरा
किया जा सके एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव में जोना के क्रियान्वयन में किस्मत न हो। इस हेतु,
निकाय स्तर पर वित्तीय कार्यालय तैयार कर योजना का वित्तीय प्रबंधन निर्देशित किया जाने एवं
संचालन को की गई कार्यवाही से 15.02.2017 तक अवगत कराया जाये।

(इंग्लिश हिस्से के लिए अनुवाद)

अपर आदेश

नगर न्यायालय एवं विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]
भोपाल, गुजरात, दिनांक 20 अप्रैल 2017—कैफ 30, तार 1939

विभिन्न और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6322-80-21-अ(प्र.)-(अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोत्त्व की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवंद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिलिक सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 13 of 2017

THE MADHYA PRADESH ARTHIK ROOP SE KAMZOR VARG TATHA NIMNA AAY VARG KO AWAS GUARANTEE ADHINITYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections:
1. Short title extent and commencement.
2. Definitions.
3. Entitlement of houses at affordable price or free of cost residential plots to eligible persons.
4. Registration of eligible persons.
5. Allotment of houses and residential plots.
6. Constitution of District Level Housing Committee.
7. Duties of District Level Housing Committee.
8. Appeal against the decision of the Authorized Officer.
11. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT
No. 13 of 2017

THE MADHYA PRADESH ARTHIK ROOP SE KAMZOR VARG TATHA NIMNA AAY VARG KO AWAS GUARANTEE ADHINITYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 12th April, 2017; assent first published in the “Madya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 20th April, 2017.]

An Act to guarantee houses at affordable price or free of cost residential plots to eligible residents of the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:

1 (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Arthik Roop Se Kamzor Varg Tatha Nimna Aay Varg Ko Awas Guarantee Adhiniyam, 2017.

(2) It shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. In this Act, unless the context otherwise requires:

(a) "affordable price" means price prescribed by the State Government from time to time;

(b) "Authorized Officer" means an officer not below the rank of Deputy Collector prescribed by the State Government from time to time, who is authorized to register the eligible persons for a house or residential plot;

(c) "District Level Housing Committee" means a District Level Housing Committee constituted under section 6;

(d) "domicile of Madhya Pradesh" means the person who is native of Madhya Pradesh as prescribed by the State Government from time to time;

(e) "economically weaker section or lower income group" means a family of economically weaker section or lower income group as prescribed by the State Government from time to time;

(f) "eligible person" means an economically weaker section or lower income group person who is domicile of Madhya Pradesh and who does not own either in his own name or in the name of any member of his family any house or residential plot in the State of Madhya Pradesh:

Provided that a person having any type of house or plot as an owner or as a lease holder under any scheme of the Government shall not be eligible, but if a beneficiary is eligible as per the eligibility criteria specified in a Central or State Government Scheme, then such ineligibility shall not be applicable.

(g) "family" means husband/wife, their minor children and unmarried children of less than 25 years of age:

provided that a widow/divorced daughter, sister, daughter-in-law, father, mother, father-in-law/mother-in-law or physically challenged brother, sister, son, daughter who is wholly dependent and living under the same roof shall be considered part of the family;

(h) "house" means a single storey or multi-storied superstructure with roof and toilet of minimum super built-up (constructed) area of each unit not less than 25 square meters, usable for residential purposes;

(i) "implementing agency" means an agency empowered to construct or allot house or residential plot under this Act and shall include the rural or urban local bodies, development authorities and the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board;

(j) "residential plot" means a piece of land of minimum 45 square meters in municipal Corporations and 60 square meters in other areas, upon which construction of a house shall be permissible.

3. (1) Every eligible person shall be entitled to a house at affordable price or free of cost residential plot and the State Government guarantees houses at affordable price or free of cost residential plots gradually to all eligible persons.

(2) The power to allot either a house or a residential plot shall vest with the implementing agency, and the grievances of housing shall be redressed by the District Level Housing Committee.
4. (1) If an eligible person is identified in a survey for getting a house at affordable price or free of cost residential plot, the Authorized Officer shall register such eligible person in the prescribed manner, who is having documents in proof of his eligibility.

(2) The Authorized Officer shall maintain the register of eligible persons and give information of registered beneficiaries to the District Level Housing Committee.

5. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the urban and rural local bodies may adopt land pooling for the purpose of allotment of houses and residential plots in such manner as may be prescribed.

6. The State Government may constitute District Level Housing Committees in such manner and consisting of such members as may be prescribed.

7. The District Level Housing Committee shall estimate the requirement of housing on the basis of the information of eligible persons registered under its jurisdiction. The District Level Housing Committee may direct implementation agency for providing houses at affordable price or free of cost residential plots gradually to the eligible persons registered under is jurisdiction, and it shall also perform such other duties as entrusted to it by the State Government.

8. Appeal against the decision of inclusion or exclusion eligible person by the Authorized Officer shall lie before the District Collector, who shall dispose such appeal within a period of sixty days.

9. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Section shall be laid before the Legislative Assembly.

10. The State Government may issue such directions as it may consider necessary to give effect to the provisions of this Act.

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.
विषय— प्राधान्यनी आवास योजना के Beneficiary Led Construction (BLC) घटक अंतर्गत स्वीकृत परियोजना के क्षेत्र में।

---***---

विषयार्थस्ता आपके द्वारा प्राधान्यनी आवास योजना के Beneficiary Led Construction (BLC) घटक अंतर्गत प्रस्तुत परियोजना भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृती एवं निगरानी समिति (CSMC) द्वारा स्वीकृत की गई है। जिससे किया गया है पंजीकरण और संज्ञा सूची अनुसार हिताधायियों की प्रथम रूप से राज्रेखा राशि 40 हजार तक हिताधायियों के नाम से राशि आपके प्राधान्यनी आवास योजना के खाते में अंतरूप होना है। अतः निम्न कार्यवाही तक्कल कर 02 दिन में सूची हिताधायियों के बैंक खातों में अंतरूप करें।

1. स्वीकृत योजना अंतर्गत चिह्नित समस्त विभागों के आधार का सत्यापन।
2. स्वीकृत योजना अंतर्गत चिह्नित समस्त हिताधायियों के बैंक खाते का प्रमाणिकरण ताकि भारत एवं सरकार से अनुवाद शास्त्रीय होने पर हिताधायियों को लक्षित DBT के माध्यम से अंतरूप की जा सकें।
3. स्वीकृत योजना अंतर्गत चिह्नित समस्त हिताधायियों को भेजने का आवश्यक।
4. PMAY-MIS में स्वीकृत योजना अंतर्गत चिह्नित समस्त हिताधायियों को योजना से Attach करें।
5. Geo-tagging हेतु दो सेंटेंटर एवं एक पर्यटक का नामांकन।
6. पट्टी वितरण (सहि आवश्यक हो तो)
7. भूमि आपूर्ति (इसे आवश्यक हो तो)

स्वीकृत — ढूटी

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल

प्र.क्रमांक/व.ा/07/2017/ 4493
भोपाल, दिनांक............./2017

प्रतिलिपि — समस्त संयंगीय संगठन संचालक/अभीष्टं एवं/कार्यालय विभागीय कार्यालय न. प्र.एवं विकास मात्र प्राधान्यनी आवास योजना के दिशा निर्देशानुसार अभीष्टवर्ती निकायों में BLC घटक अंतर्गत तक्कल कार्य प्रारंभ कर पालन प्रतिवेदन मेजा जाना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल
प्रिति,

1. समस्त आबाद, नगर पालिका अधिकारी
2. समस्त भूमि का नगर पालिका अधिकारी

विषय: प्राधान्यमंडल आवास योजना के किया गया का सचिवमंडल में।

संदर्भ: संचालन का पत्र दिनांक 29.02.2016।

विधायक मंडल संबंधित पत्र के माध्यम से आयोजन, नगर पालिका अधिकारी एवं विकास के द्वारा दिनांक 26.02.2016 को आयोजित कैंटेक्स में प्राधान्यमंडल आवास योजना के किया गया का सचिवमंडल में विभिन्न विभागों को दिये गये थे, जिसमें आवासों के संबंधीत, आवासों के मुख्यता, परियोजना संबंधीत तैयारी करने, वित्तीय संबंधों, वित्त की विभाग के चयन आदि के संबंध में आवासों के मुख्यता के समर्थ में निर्देश दिये गये थे।

1. अंदर वाले बाउंड पेंटिंग, बाहर एक्सटेरियर बेदर पूरा पूरा किये गये।
2. लाल एवं बिल्लु उपकरण उच्च क्लासिकल की लगाए गए।
3. कीवर्जन परियोजना के लिए फाइन उच्च श्रेणी की हाली।
4. फ्लॉर में डिट्राक्फोर्ड टाइटल लगाए गए।
5. द्वाराज, फ्लॉर होर एवं बिल्लु फ्लॉर श्रेणी की लगाए गए।
6. रेसिन बूटल टील की लगाए गए।
7. कीवर्जन से इनाम के अनुसार जल का उपयोग करने के उपरांत उसका उपयोग पाए एवं टायलेटर्स में फ्लॉर के लिए उपयोग किया।

उन्होंने तिल्ला लेने के बाद भी कुछ समस्याओं पर निर्माण किया जा रहा आवासीय हाउस के विशेषता पर पता लगा गया है, भवनों में दिये गए एल्पीबीएम की कम मिली है, जिसे जा रहे की बनाए जाए। यह उन्नीस लाख है ई.बी.एच.एस., एल.एच.एम. एवं एच.एच.एम.ऍस. आवासों के लिए दर, मार्खर, ड्राउंट देना और किसी भी दरअसल ग्रेडीएंट निर्माण करने के लिए थोड़े भावना रखने के लिए स्थानीय आवास योजना में उपलब्ध नहीं है। भवनों में ज्यादा अपनी मूल्यांकन अंशित यह प्रश्न उल्लेख किया जा रहा है। जिस कार्य की विवरण अर्थशास्त्र आवेदन करते गये हैं, उनमें उपरोक्त संबंध अनु倒霉 कर विभाग अंशित करना जारी है। जिसकी विवरण आवश्यक नहीं है, उनके प्रकारण में संशोधन उपस्थित जारी करे। भवनों में बनाए जाने अनुसार विभिन्न परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व में इतनी लाट्स के प्रवाहित किया जाये।
विषय:- प्राधन मंत्री आराम रोजगार्निवारी शहरीः गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं से कारण उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक विश्वास भिड़ानियें।

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपचार, मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह के प्रविष्टि अनुसार, भारत में 2018.8 लाख आवासीयों की आवश्यकता है, जिसमें से लागता है कि 96 प्रशस्त आवासीयों की कमी आर्थिक रूप से बमबाय एवं निवास आय से ही हेतु होती है। मात्रवेदन में उपरोक्त वर्ष में 11.52 लाख आवासीयों की आवश्यकता पाए गई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्राधन मंत्री आवास रोजगार हा उपलब्ध करार (शहरी) - 2022 योजना पराइता रही है। प्राधनमंत्री आवास योजना के Affordable Housing in Partnership (AHP) एवं In-situ Slum Redevelopment (ISSR) योजना में भाग परियोजना लागू का 70 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगरीय निकाय द्वारा बहुत किया जा रहा है, शेष हिस्से की अंशिका होती है।

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिस्से को हिस्से की अंश तैयार की पूर्वी के लिए लिखे बंक/विभिन्न संस्थाओं से कारण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों/विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अधीक्षक की उड़ प्रदूषणसाधारण प्रदूषण दिशानिर्देश इस विषय के साथ संबंधित जारी किये जा रहे हैं। उपरोक्त दिशानिर्देश में सभी बैंक/विभिन्न संस्थाओं की अनुमति करने का हेतु करता है।

(लेखकः उपरोक्तानुसार दिशानिर्देश की प्रतिष्ठा)

1. आवृत, समस्त नगर पालिका निगम एवं तुच्छ नगर पालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद, मुद्र प्रदेश।
2. विभिन्न प्रशासन, HUDCO, अभियान कार्यालय, परियोजना भवन भोपाल।
3. विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, नेतृत्व हस्ताक्षरका, रिक्रूटर बैंक अवधि से परिवर्तन, भोपाल।
4. जीवन प्रसाद, समस्त राज्यबंदहार कैशाइट बैंक/अंतरराष्ट्रीय पाइंट एम्बुलेंस कंपनी एवं जर्नल वित्तीय संस्थानों के अधीन पेश करवाया गया है।

(लेखकः नगरपालिका, शहर शिविर)

प्रतिष्ठित,

1. आवृत, समस्त नगर पालिका निगम एवं तुच्छ नगर पालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद, मुद्र प्रदेश।
2. विभिन्न प्रशासन, HUDCO, अभियान कार्यालय, परियोजना भवन भोपाल।
3. विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, नेतृत्व हस्ताक्षरका, रिक्रूटर बैंक अवधि से परिवर्तन, भोपाल।
4. जीवन प्रसाद, समस्त राज्यबंदहार कैशाइट बैंक/अंतरराष्ट्रीय पाइंट एम्बुलेंस कंपनी एवं जर्नल वित्तीय संस्थानों के अधीन पेश करवाया गया है।

(लेखकः नगरपालिका, शहर शिविर)
संवादनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तिय संस्थाओं से रुपए उपलब्ध कराने हेतु साक्षात् दिशानिदेशः

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपयोग, मंजूरी द्वारा गठित तकनीकी समूह के प्रतिवेदन अनुसार भारत में 1876.8 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें से सामान्य 66 प्रतिशत आवास की कभी आवश्यक रुपों के चालू और निश्चित आय पर्यावरण में है। मध्यप्रदेश में उपरोक्त रूप में 11.52 लाख आवासों की आवश्यकता पाई गई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना हायरिंग कार्यालय 2022 योजना चलाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के Affordable Housing in Partnership(AHP) एवं In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) घटक में प्रया. परियोजना उत्तराधिकार का 70 प्रतिशत अंश जेन्डर सरकार, जनजीवन एवं नगरीय निकाय द्वारा बना किया जाता है, शेष दिशानिदेशः

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थाओं के द्वारा योजनाओं को हितादरी अंक की पूर्ति के लिए सिधे बैंक/वित्तीय संस्थाओं से रुपए उपलब्ध कराने हेतु जिनमें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ की गई सहयोगी दिशानिदेशः जारी किये जाएँगे जो नीचे निम्नांकित हैं:

1. उद्देश्यः
   संवादनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा आवश्यक साधन प्रदान के माध्यम से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं से रुपए उपलब्ध कराने हेतु ये गरीबों सहायता प्रदान करने हेतु चला गया।

2. लाभार्थी हितादरीः
   वे मंत्री/सिद्धान्त प्रदेश के ऐसे हितादरीय की वित्तीय संस्थाओं से रुपए प्राप्त करने में लागू होने वे योजनावार्त भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितादरीय के साथ जो ही हितादरीय की पूर्ति में लागू हो। हितादरी जिनकी आदेश 60 वर्ष का बना हो, शहरी गरीब ही। उसके चलने के लिए वित्तीय संस्थाओं वे हितादरीय प्रदान करते हैं।

3. रुपए तक के हितादरीय में वैकल्पिक संस्थाओं द्वारा स्वयंसेवक रूप से रुपए दिए जाते हैं। 50 रुपए तक के हितादरीय को वैकल्पिक संस्थावादी से हितादरीय की पूर्ति में रुपए दिए जाते हैं, जो वैकल्पिक संस्थावादी के साथ हर समय रूपें सत्यि रूप से हितादरी की पूर्ति में किया जाता है।

3. हितादरीय में चयनः
   शहरी गरीब, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी आवेदन दिनांक 24.07.2007/डिनांक 01.11.2014 के निम्नांकित मात्राओं अनुसार हितादरीय का चयन नगरीय निकायों के द्वारा करा उनकी सक्रिय संगठित संसारगी सत्यि वित्तीय कार्यालय से प्राप्त कर लेने की स्थिति सामाजिक अनुभव विकास के लिए संभवत जाने वाली
null
आयात का आवंटन किया जायेगा। यह प्रक्रिया नगदीय निकायों द्वारा 45 दिनों में पूर्ण की जायेगी। हिताधीकरण द्वारा सबसे आगे हिताधीकरण की राशि जमा की जाएगी और उसके पास पावर न होने की स्थिति में पूर्ण। हिताधीकरण द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रक्रिया द्वितीय हिताधीकरण द्वारा 30 दिनों में पूर्ण कराई गई। द्वितीय हिताधीकरण, हिताधीकरण की पूर्ति हेतु निम्लिखित अनुसार कार्यरत कर सकता हैः

10.1.1 यदि द्वितीय हिताधीकरण द्वारा आवंटन न लेते हुए नगदी स्थिति जमा की जाती है, तो यह शासन नगदीय निकाय में अवशोषी होगी। नगदीय निकाय, मूल हिताधीकरण द्वारा जियो आवंटन के बिच में कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हिताधीकरण की आवंटन उपलब्ध कराने वाले बैंक/द्वितीय संस्था को प्राप्त करेगा। बैंक/द्वितीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो यह मूल हिताधीकरण को वापस की जाएगी।

10.1.2 यदि हिताधीकरण किसी अन्य बैंक/द्वितीय संस्था से आवंटन लेता है तो, इस संस्था द्वारा राशि नगदीय निकाय को भुगतान की जाएगी। नगदीय निकाय, मूल हिताधीकरण द्वारा जियो आवंटन के बिच में कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हिताधीकरण की आवंटन उपलब्ध कराने वाले बैंक/द्वितीय संस्था को प्राप्त करेगा। बैंक/द्वितीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो यह मूल हिताधीकरण को वापस की जाएगी।

10.1.3 यदि हिताधीकरण किसी बैंक/द्वितीय संस्था से आवंटन लेता है, जिसमें मूल हिताधीकरण का आवंटन था, बैंक/द्वितीय संस्था द्वारा हिताधीकरण को (खण्ड -- 7 अनुसार) आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। एवं बैंक/द्वितीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो यह मूल हिताधीकरण को वापस की जाएगी।

10.2 नगदीय निकाय को प्राप्ती पूरी न होने की भिंति में नगदीय निकाय द्वारा पूर्ण राशि जमा के निर्देशानुसार हिताधीकरण का व्यवहार कर आवंटन की प्रक्रिया कार्यक्रम 3 के अनुसार करेगा। द्वितीय हिताधीकरण को उपस्थित प्रक्रिया अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी।

10.3 यदि हिताधीकरण के आवंटन अवांछनीय न लेते हुए भिंति में अधिकारी किसी तरह से अनधिकारी कई के पूर्ण आवंटन में सक्षम न हों तो ऐसी भिंति में बैंक द्वारा प्रविधि पोस्टे द्वारा जमा का व्यवहार करने की योजना का आवंटन की जाएगी।

11. द्वितीय संस्थाओं की भूमिकाः

द्वितीय संस्थाएं नगदीय निकाय/पैसेंटेंट एजेंसी द्वारा संगठित सूची की हिताधीकरण के अन्य संस्थाओं के नियमों के अनुसार उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथार्थता स्वरूप प्राप्त नगदी किया/पैसेंटेंट एजेंसी को सहयोग के अंतर्गत आवंटन उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगी।

नया प्रदेश के सभी ग्रामों में कुल 4-5 लाख ऐसे आवास का निर्माण किया जाएगा। इसमें भिंति की पूर्ति राशि के अनुसार होने हेतु न होने से कार्य पूर्ण होने में वित्त िहत्त्व हो एवं योजना का साध लागू प्राप्त नहीं हो सकता। हिताधीकरण की अधिकारी होने के कारण बैंक/द्वितीय संस्था सभी नगरों पर लगाते विदेश में अपने प्रतिभागी ग्राम एवं हिताधीकरण को आवंटन उपलब्ध करायेगा।
12. नगरीय निकायों की भुमिका:

नगरीय निकाय/पैसेतेल एजेंसी हास हिलड्रामियों की चयनित सूची, नूतनी का मास्टर लेख दासकार, आवेदकों की कीमत, अनुमोदित से-ऑटोट प्लान, भवन का यूनिट प्लान, अपर्चोट आदेश की प्रति, प्रक्षेपण कुल कंबिनेट बैंक/नगरीय संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध पर हिलड्राम संकेत बैंक/नगरीय संस्थाओं एवं हिलड्रामियों के माध्यम से नगरीय संस्थाओं के माध्यम से नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध पर कम्प्लेट न होने की स्थिति में काफिला 10 के अनुसार कार्यरत की जायेगी।

13. आयकर अनुदान:

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा साध-समय-समय पर आयकर निर्णय, समझौता/भागे आयस्कर के हेतु उपलब्ध विचार, क्रम करने हेतु उपलब्ध विचार, क्रम करने हेतु उपलब्ध विचार कर चला। अलग अलग दे-ड्राम भवन के माध्यम से यदि कोई योजना जारी की जाती है तो योजना के प्राधिकार अनुसार बैंक/नगरीय संस्थाओं द्वारा हिलड्रामियों को लाभ दिया जायेगा।

14. आयकर सत्यापन:

आयकर का प्रमाण नगर हिलड्राम द्वारा दिया जाय कि हिलड्राम अपने व्यवसाय से साध कर से कम होने वाली आय राशि सत्यापित करें।

15. यात्रीय अनुदान:

यात्रीय संस्थाओं के नियमों एवं संस्थाओं के अनुसार वार्षिक में Model Tripartite Agreement वार्षिक किया गया है। जिसे बैंक/नगरीय संस्थाओं, नगरीय निकाय/पैसेतेल एजेंसी एवं हिलड्रामियों के माध्यम से किया गया।

16. जान का भरण:

हिलड्रामी प्रान्त का Disbursement कार्य करने में किया जायेगा। वह कार्य करने के आधार पर निम्नसूत्र हैं:
<table>
<thead>
<tr>
<th>चरण क्र.</th>
<th>निर्माण कार्य की स्थिति</th>
<th>राशि शेष का</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Plinth सत्ता पर</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Slab सत्ता पर</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>बिक खर्च एवं प्लास्टर सत्ता पूर्ण होने पर</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>शुल्क पूर्ण होने पर</td>
<td>30%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

चरण पूर्ण होने पर नगर निगम/नगर पालिका द्वारा हितार्थी को विदेश जीत में जोड़ा जाएगा जिससे राशि सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जाएगी, बैंक द्वारा 15 दिन में Disbursement की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

17. Moratorium की अवधि का अर्थ —

AHP/ISSR ओर्थो द्वारा हितार्थीयों को आवास का आदेश भी—अलोड देने के लिए किया जाता है, अतः हितार्थी की राशि Disbursement के जिनांक से 18 महीने तक की गेंदेबरियां अवधि देना होगा। 18 महीने पहले/आयात राशि निर्माण पूर्ण होने पर हितार्थी की गेंदेबरियां (EMI) अधिक होगी। हितार्थी बाहर के अवधि के Disbursement के साथ ही अपनी राशि जी फिक्स्ड देना प्रारंभ कर सकता है, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इस हेतु हितार्थी की राशि लेना अनिश्चित होगा। गेंदेबरियां काल में हितार्थी द्वारा आप का पुनरायुक्त सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को नियामक निकाय किया जाएगा।

17. अदिरिम पुनरुभावना (Prepayment of Loan) का अर्थ —

हितार्थी बाहर के अवधि के स्वरूप से राशि का अदिरिम पुनरीनस्थापन कर सकता है उसे पुनरीनस्थापन की स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितार्थी से कोई भी अदिरिम पुनरीनस्थापन अवधि नहीं रखेगा।

18. विवाद समाधान/संकेतक खंड (Dispute resolution/Arbitration) का अर्थ —

विकल्प के अनुसार में किसी भी पहलक जिसके अनुसार कोई विवाद होने होते है, तो सभी विधियों द्वारा समाधान का समाधान करते हैं। इस क्रम में आप राजस्थान, नगरियों के सुझाव एवं विवाद, भोपाल द्वारा समाधान के अधिकारी की मदद में समस्या का समाधान करते हैं।

(विनायक आयुला), आयुला, सहस्रपाट नगरियों के सुझाव एवं विवाद
भोपाल, भोपाल
निर्देशित अनुबंध

1. यह अनुबंध अभ्यासिक नाम: _______________ प्रावीन नाम: _______________ आ. श्री _______________ निर्देशित _______________जिन्हें आप निदेशित करता गया है।

2. निर्देशित पक्ष नाम ग्राहक नाम: _______________ प्रावीन नाम: _______________ द्वारा जिन्हें आपे निर्देशित करता गया है जब तक की संबंध से उपर निर्देशित न हो इस समय में निर्देशित पक्ष के उत्तराधिकारी, निर्माता, प्रतापगढ़ एवं इंजीनियर भी समयमित है।

3. _______________ बैंक/निर्देशित संस्था जो निर्देशित की प्रावीन के संबंध में _______________ सिद्ध है और जिसका निर्देशित है _______________ (संबंध प्रदेश) पर स्थित है, जिसे आपे की बैंक/निर्देशित संस्था के नाम ही संबंधित किया गया है, इस बैंक में उपरीय पक्ष के जब तक की संबंध से अपना निर्देशित न हो उत्तराधिकारी, निर्माता, प्रतापगढ़ एवं इंजीनियर भी समयमित है।

4. हितंत्रको राजीवका के राजीवका अभ्यासिक योजना हार्दिक मुलिक और ऑनलाइन-2022 योजना के अनुसार डीप/आईसीआय योजना में सिद्ध _______________ निर्देशित अभ्यासिक _______________ का अभ्यासिक पक्ष _______________ निर्माता में _______________ दिन _______________ के हवाला अभ्यासिक किया गया है जिसका निर्देशित _______________ एक गुण/क्षमता में वृत्त की _______________ आवश्यकता की सार्वजनिक किया गया है, का मुद्रण किया गया है।

5. हितंत्रका में निर्देशित की संरचना में आवश्यक वृत्त/परिसर को कम करने हेतु शास्त्री _______________ स्थान द्वारा एवं _______________ हेतु _______________ हार्दिक _______________ निर्देशित _______________ का निर्देश _______________ निर्देशित _______________ (क्र.) _______________ के संबंध _______________ की हार्दिक _______________ प्रदान _______________ स्विकार किया है हितंत्रका वित्तीय संस्था/बैंक से _______________ उक्त _______________ हार्दिक _______________ बैंक/निर्देशित संस्था से _______________ संपर्क _______________ से _______________ अधीन _______________ में _______________ अपनी _______________ शास्त्री है।

6. शास्त्री के अनुसार हितंत्रका/निर्देशित की उपयोग आवश्यक _______________ की _______________ बैंक _______________ रखने की सहायता _______________ वित्तीय संस्था/बैंक के लिए है। निर्देशित._______________ शास्त्री _______________ अनुसार _______________ निर्देशित _______________ वित्तीय संस्था/बैंक ने निर्देशित _______________ निर्देशित _______________ (क्र.) _______________ के संबंध _______________ का हार्दिक _______________ प्रदान _______________ स्विकार किया है हितंत्रका वित्तीय संस्था/बैंक से _______________ उक्त _______________ हार्दिक _______________ बैंक/निर्देशित संस्था से _______________ संपर्क _______________ से _______________ अधीन _______________ में _______________ अपनी _______________ शास्त्री _______________ है।

7. हितंत्रका इस बात की साहायता देता है कि, प्रावीन के निर्माता में बैंक/वित्तीय संस्था की और से _______________ निर्देशित _______________ की हित _______________ गीत _______________ _______________ मुद्रण _______________ जो _______________ इंजीनियर _______________ के _______________ हित _______________ निर्देशित _______________ का हार्दिक _______________ प्रदान _______________ स्विकार _______________ किया जाएगा.
6. तुल्य स्थिति बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा क्रय करके मिलाहुस्न प्रथम में रद्द दिए गए विभिन्न केंद्रों वा उपग्रह संबंधित तैनियतें से अंतरिक्ष का निर्माण होता है, तो प्रत्यावर्तन द्वारा आलोचना करने के लिए आवेदन निर्धारित एवं आवश्यक संदर्भ में सहेजें एवं वेबसाइट पर सूचना हेतु एलढी / ग्राम / ०७ / ०६/२०१७ के अनुशरण किए गए हैं।

9. प्राधिकृतिक हिस्ट्रारी का पृथक तंत्र धारण करना और बैंक/वित्तीय संस्था से इसे ग्राह्य करने वाली राज्यों का समभागीय प्रयासद हितार्थी को आवेदित करना। आवश्यक दुर्बल को परंपरा पर आधारित दुर्बल की प्रशिक्षण के पार ने करेगा।

10. प्रदक्षिण यह बताता है कि हितार्थी अंत में अपनी भुगतान के वर्तमान अवस्था/आवश्यक इमारत की सीजनिफिक निर्धारित करेगा, हितार्थी द्वारा ज्या युद्ध क्षेत्र के विषयक कार्यालय में विविध रूप से प्रदान रहा है क्रय प्रदान/आवश्यक इमारत की सीजनिफिक/प्रदान में भाग करेगा। राजस्वलर्थ हितार्थी को प्रदान/बैंकीय संदर्भ के अनुसार दिए जाएगा।

11. बैंक/वित्तीय रास्ता द्वारा निर्देश किए गए प्रदान/आवश्यक इमारत उत्तर राज्य की भाग्य के भाग करेगा।

12. प्रश्न-प्रस्ताव इसलिए लिया गया है कि हितार्थी को निभाया बैंक द्वारा अन्त में राज्य राज्य का भ्रमण वैश्विक संदर्भ की नियम तहत है।

प्रदान/आवश्यक इमारत का पदाच्य आवश्यक होगा। आवश्यक वातावरण का प्रदान करें वित्तीय रास्ता के माध्यम से निर्धारित आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त करेगा।

14. कृपया हितार्थी की उद्देश्यों में मृत्यु हुई अवाद है तो उन्हें स्वास्थ्य राहत देने का प्रयास करने की अनुमति है - "मानने"/"नाम " उपलब्ध हितार्थों।

15. हितार्थी क्रय के अवस्था की अनुपालन तैनात किए जानें वादवों मा नहीं की जाती एवं वित्तीय संदर्भों द्वारा अन्त अदालत के संपूर्ण प्राप्त करने के बाद यह बुलोड़ या गण्य हो कि हितार्थी क्रय की राजियां अभी तक नहीं करें उन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं नागरिक निकाय/परस्पर प्रस्ताव एवं/एवं प्रस्ताव एवं प्रस्ताव क्रय की राजियां प्राप्त करने के वित्तीय संस्थाओं की अवधारणा की जाएगी।

15. संज्ञानी नागरिक निकाय/परस्पर प्रस्ताव एवं प्रस्ताव एवं प्रस्ताव हितार्थी का आवाजांकि निर्देश कर उसे वित्तीय संस्था का रिक्त कराया जाएगा। रिक्त दो पर उपरोक्त नागरिक निकाय/परस्पर प्रस्ताव एवं प्रस्ताव क्रय की प्राप्तिक अवधारणा के संदर्भ में आवश्यक के अवधारणा द्वारा क्रय करते हैं। उसके अवधारणा द्वारा क्रय हितार्थी क्रय के राजियों का लाभ प्रदान करते हैं। राजियों की हितार्थी क्रय 30 दिनों में भूख करते होंगे। हितार्थी हितार्थी अंत की पूरी हेतु नियम प्रकाश संस्थाओं का संकलन है।
15.1.1 यदि द्वितीय हितार्थी द्वारा अन्य ने लेते हुये अन्य दान का जना का जाना है, तो यह दाता नागरिक निकाय में जाना होगा। नागरिक निकाय, रूल हितार्थी द्वारा दिये गये अन्य के विदेशी कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हितार्थी को अन्य उपयोग करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्राप्त करना। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के अनुसार राशि बतती है, यह यह मूल हितार्थी को वापस की जाएगी।

15.1.2 यदि द्वितीय हितार्थी किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से जाना लेता है तो, इस संस्था द्वारा राशि नागरिक निकाय को पुराण की जायेगी। नागरिक निकाय, रूल हितार्थी द्वारा दिये गये अन्य के विदेशी कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हितार्थी को अन्य उपयोग करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्राप्त करना। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के अनुसार राशि बतती है, यह यह मूल हितार्थी को वापस की जाएगी।

15.1.3 यदि द्वितीय हितार्थी उसी बैंक/वित्तीय संस्था से जाना लेता है, जिसमें मूल हितार्थी का अन्य था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा द्वितीय हितार्थी को (अन्य— 8 अनुसार) अन्य उपयोग करना जाएगा एवं बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के अनुसार राशि बतती है, यह यह मूल हितार्थी को वापस की जाएगी।

15.2 नागरिक निकाय के अन्य उपयोग के लिए स्थान निकाय के विभिन्न स्थानों में बैंक/वित्तीय संस्था की बैंक के अनुसार अनुसार अन्य उपयोग करने के उपलब्धरण दिखाए।

16. हितार्थी श्रेणी द्वारा दिये जाने वाले श्रेणी की राशि का भाग अन्य कुल बनाया जाता है। जब कुल बनाया जाता है की यह हितार्थी के राशि की तरह से भाग के अनुमान लगाया जाता है।

17 द्वितीय हितार्थी जाना का Disbursement अवधिकार तय दरों में किया जाएगा। यह बैंक स्थान निकाय के अनुसार दिखाए।

<table>
<thead>
<tr>
<th>श्रेणी</th>
<th>हितार्थी निर्धारण अनुसार की शिखरी</th>
<th>जना राशि का</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>भूमि देय राशि</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>शेयर स्थान</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>बैंक देय पूंजी विभाग शाम पूंजी होने पर</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>निवेश पूंजी देने पर</td>
<td>10%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

लेख पूर्ण होने पर नागरिक निकाय द्वारा हितार्थी की दिशा नीति रेखा दिने पर संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा जाना जाएगी, बैंक हितार्थी 10 दिन में Disbursement की कार्यवाही पूरा की जाएगी।
32L

17.

csrq

qs

i'

frfrqqfl

[ftq

qH

3.

वैक इना उत्तर आन खर हितग्राही जो प्रक्रिया Dishurserment की दिनांक से एक तक मोनोरिशिया अवधि प्रश्न की जगाई है। हितग्राही की दिनांक (EMI) दिनांक से प्रारंभ होगी। मोनोरिशिया की अवधि से हितग्राही इतना बंक से सहायता व्यापार के पुनःरुपयोग किया जाता है।

18. तिथियों अनुसार में किसी भी पक्षार का अन्य किसी भी पक्षार से कोई विवाद/समस्या प्रक्षेप नहीं होती है तो सभी पक्षार गैलर रगा का समाधान करेंगे किन्तु समस्या समाधान नहीं होने के किस्मत में संबंधितता, गार्डियन प्रश्न पर विचार, भूमि गद्ध प्रदेश की व्यक्तित्व में समस्या का समाधान करेंगे।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अंक</th>
<th>नाम</th>
<th>पूर्व में नियुक्त प्राधिकारी का नाम एवं पद</th>
<th>सहायक प्राधिकारी का नाम एवं पद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>बिदिअ</td>
<td>श्री अं.मो. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास पारिता संबंधी विषयों</td>
<td>श्री अती.के. कार्यकारी सचिव सागर, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>फिशिय</td>
<td>श्री अ. आ. के. नगरीय प्रशासन कार्यालय, मनोरूप प्रशासन एवं विकास पारिता संबंधी विषयों</td>
<td>श्री छ. प. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>वर</td>
<td>श्री चुमुया, उप सचिव सागर, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री न. न. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>विरिन्दिया</td>
<td>श्री आपूर्वक ग्रामीण विकास कार्यालय, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री दीपसुक, उप जनसेवा, मंत्री कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>त्रावंसुर</td>
<td>श्री बी. न. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री न. न. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>गियधिय</td>
<td>श्री औची, राजभवन कार्यालय ग्रामीण, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री जी. न. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>जनमेया</td>
<td>श्री देशराम, सरेट कार्यालय, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री र. न. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>पिशवाय</td>
<td>श्री सुरेश संसार, अधिनियम विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री र. न. नगर कर्मचारी योजना, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>नारुजयुक</td>
<td>श्री प्रीति भिक्षा, कार्यालय कार्यालय, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री सुरेश संसार, अधिनियम विभाग, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सिद्धि</td>
<td>श्री तुलसी तुलसी, अधिनियम विभाग, मनोरूप प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
<td>श्री दिनेश सिंह, उप संसार, मंत्री कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प. भोपाल</td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्रतिवेदि

1. आवास

2. मुख्य

विषय:- धाराविभागीय आवास योजना (很重要的) के अंतर्गत विभाजित की जा रही योजनाओं के संबंध में डीजा निर्देश।

प्रत्यावर्तन धाराविभागीय आवास योजना (重要的) के AHP परियोजना के कार्यक्रम पर आधारित एवं युगलविशिष्ट संचरित करने हेतु, सूचना एवं ताजा जानकारी दिए जिसमें उपयोग की जा सके विभिन्न राज्यों के Specification, इंजीनियरिंग और राज्य सरकार के नाम, अध्ययन, अवधारणा इत्यादि की संरचना (म不高, LIG, MIG, HIG), विभिन्न तरीकों द्वारा, अभिनव दिवस एवं आईसीएस (ISC) विभिन्न नियम निर्माण करें।

निर्देशों का पालन कर पालन विभिन्न एक संचालन में प्रतिष्ठित करते हैं।

पूर्ण: क्रमांक: 07/2017/13659 भोपाल, दिनांक: 05/10/2017

प्रतिवेदि

1. विज्ञ संस्थ, अंतर्गत जनगणना विभाग एवं विकास, समथाड़ेश भोपाल।

2. विज्ञ संस्थ, प्रारंभिक अनुसंधान विभाग, जनगणना विभाग एवं विकास, समथाड़ेश भोपाल।

3. सामग्री संपत्ति संचालन एवं संशोधन कार्यालय, विभाग, समथाड़ेश।

4. Egis India Pvt. Ltd., जी.एल. की ओर से धाराविभागीय आवास योजनाओं के निर्माण अध्याय के उपरोक्त नियम से अनुसरण करने के लिए 07 दिसंबर को मानव स्वास्थ्य ग्रुप द्वारा प्रस्ताव किया गया है।

कुमार अभिविद्या,

भारत सीमा पर राज्य सरकार एवं विकास

संभार भोपाल
भाषा: हिंदी

प्रति,

अध्यक्ष,
मंत्री वाणिज्यी, नगर निगम अभियंता,
उर्बन अभियंता, वाणिज्यी,
मध्य प्रदेश,

नगर पालिका चुनाव की तैयारी

प्रथम स्तरीय परिषद एवं नगर पालिका अनुसूचित

मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत

विभागः - प्रणय सेवक वाणिज्यी (भारत) - AHP बदल अंतर्गत एवं मध्य प्रदेश के

उपरोक्त विचारावलंब से ज्ञात है कि आपके के निकाय में प्रणय सेवक वाणिज्यी के

प्रति से AHP अंतर्गत परिषद एवं मध्य प्रदेश की नियुक्त की गई है। नमोदार के लिए, विभागः -

मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अनुसूचित एवं सरकारी अंतर्गत एवं LIG/MIG/COMMERCIAL इकाइयों से भी संबंध प्राप्त करेंगे, जो उपरोक्त का अनुसूचित शहर पूर्ण हो, अतः इकाइयों के बिभाग में भी नियुक्त इकाइयों के बिवाह के संबंध में भी नियुक्त इकाइयों अनुसूचित हो गए हैं। पूर्व में उक्त के शिकारी प्रबंधन हेतु आपकी निदेशकता से लिया गया है। आपकी समन्वय साधन के विभाग में भी नियुक्त होने वाले तत्कालीनहीं अनुमति से करेंगे किसी भी प्रणय सेवक वाणिज्यी को जाने कोई देखा जा रहा है। इसलिए, आपकी पूर्ण रूप से के इकाई एवं राज्य की राजस्व प्रबंधन कार्य करने वाले होंगे। नियुक्त प्रबंधन नहीं करेंगे, के कार्य कला की स्थिति निर्माण करेंगे। अतः आपकी पूर्ण निदेशकता की एक नियुक्तकरण की पद के संग निदेशित करेंगे।

- परियोजना के बिवाह के हेतु विभाग अन्तर्गत वाणिज्यी कार्य करें एवं

- LIG/MIG/COMMERCIAL इकाइयों के साथ तत्कालीन कार्य करें

- समस्त विभागों में अनुमति अंतर्गत अनुमति शहर पूर्ण होने के अंतर्गत विभागों के बीच अनुमति दीमात्र करें (इस प्रकार अनुमति अंतर्गत विभागों के साथ राजस्व प्रबंधन के संबंध में भी नियुक्त होगी)।
1. सरकार आयुक्त,
लाखवाल पालिका विभाग
मण्डपदेश

संसद नुसङ्गक बाग का पालिका अधिकारी,
लाखवाल पालिका परिषद्/लाखवाल परिषद्
मण्डपदेश।

विषय:- हरियाणा क्षेत्र में विवाद खरे से अस्तित्वकृत क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान करने की आवास योजना (हरियाणा) जैसी अन्यथा आवास-2022 के अंतर्गत लागू लिये जाने हुए हैं।

उपरोक्त-मात्रीय मुख्य जेनरल महाविद्या की विधि क्र. B-4408 एवं B-4427 दिनांक 24.02.2018।

-00-

विषयालापित दिनांक 24.02.2018 को मा. नुसङ्गकेजी

जारी हैं:-

- B-4408 जबलपुर (अस्तित्वकृत श्रमिक महाविद्यालय) प्रकाश - 24.02.2018 रक्त को अन्य जेनरल क्र. B-4408 जबलपुर (अस्तित्वकृत श्रमिक महाविद्यालय) प्रकाश - 24.02.2018 रक्त को, जबलपुर के लिए मेडिकल कार्यक्रम के आवास योजना को आवास योजना देख गए।

- B-4427 जबलपुर (अस्तित्वकृत श्रमिक महाविद्यालय) प्रकाश - 24.02.2018।

2011 की सृजन के बाद की जो पत्र है, उन्हें थान प्रकाश किया गया।

प्रभावीत आवास योजना (हरियाणा) जैसे लिये आवास-2022 के अंतर्गत वह क्षेत्र के शहरी बागीरणों के लिए व्यवसायिक विकासों को आवास से आवास का विस्तार देखने जबलपुर के अर्थव्यवस्था में, किया जाना रहा है।

प्रोरोज कंटी, एवं जिला सदर पर श्रम विभाग एवं श्रम कर्मचारी बंद होने के कारण से इसमें मुक्ति कर अस्तित्वकृत क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान करने का आवास योजना में प्रवेश करने से आवास एवं कर्मचारी जंडला के द्वारा प्रदान किये जाने वाले अतिरिक्त अवधारित रिवाज जाना सुलभ करना है।

(आयुक्त इस प्रमुख सदिय न्याय है आदेश)

(१७५७) ज्ञान सुदाम
अध्यक्ष,
लाखवाल प्रशासन एवं किलास,
मण्डपदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक: 25/03/2018

प्रति:-
रामजी संसद नुसङ्गक बाग(कार्यालय) एवं जानकारी कार्यालय, बागीरण प्रशासन एवं किलास एवं आपसी ज्यादा उपलब्ध कार्यक प्राप्त किये जाने योग्य है।

(साल अध्यक्ष)
श्रीमान दिनेश र. जै. 03/04/2018
कर्मचार एक-10-47/2015/18-2: राज्य शासन एवं ददत्वारा प्राधिकरनों आवास योजना सके लिए आवास- (शहरी) के प्रियान्वयन के संबंध में निर्देश यिया गया है कि-
प्राधिकरनों आवास योजना सके लिए आवास- (शहरी) को निर्माण वर्ष 2022 तक रक्खा जाएगा।

निर्देशित किये गए तालय अनुसार विस्तार- 2018 तक 5 लाख आबादी वाले नगरीय क्षेत्र अन्वेषण संदेश की अन्वेषण में वनस्पति जीवन योजना से निर्माण दिया जाएगा। इसके हेतु तैयारियां नवे मार्गदर्शन अनुसार विचारण को बनाए रखें आवश्यक रणनीतिक निर्देशन के अंतर्गत करने जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.1 दिसंबर 2018 तक 5.00 लाख EWS आवासों हेतु केंद्रिय की राशि ₹ 7534.74 करोड़ में राज्यांश राशि ₹ 5460.59 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 12995.33 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.2 5.00 लाख EWS आवास पूर्ण करने हेतु केंद्रिय की राशि ₹ 6272.93 करोड़ में राज्यांश राशि ₹ 4,457.29 करोड़ सम्मिलित करते हुए शेष राशि ₹ 10,730.23 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.3 मार्च 2019 तक 1.00 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केंद्रिय की राशि ₹ 1500.00 करोड़ में राज्यांश राशि ₹ 1150.00 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 2650.00 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.50 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केंद्रिय की राशि ₹ 2278.59 करोड़ में राज्यांश राशि ₹ 1745.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 4024.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.5 वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.50 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केंद्रिय की राशि ₹ 2278.59 करोड़ में राज्यांश राशि ₹ 1745.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 4024.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.00 लाख आवास पूर्ण करने हेतु केंद्रिय की राशि ₹ 1528.59 करोड़ में राज्यांश राशि ₹ 1170.50 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि ₹ 2699.09 करोड़ की स्वीकृति दी जाती है।

वर्तमान वर्ष के अंतिम वित्तसंबंधित आवास योजना के अंतिम वर्ष आवास योजनाओं का आवश्यकतानुसार राज्यांश की निर्धारित शीमा में हटने से परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. योजना के पार्ट-4 लाभार्थी आधारित स्व निर्माण (BLC) अन्तर्गत हितवादी का राज्याधीन क्षेत्र के प्रमुख निर्धारित भारत सरकार के शाखी रूपकृति एवं निःसंगठित सम्बन्ध (CSMC) से परियोजना प्रतिक्रिया स्थलकृत होने के उपर्युक्त दिन आये तकंब हितवादी आवास का निर्माण प्रारंभ कर सके तदोपरांत भारत सरकार के वैद्युत ग्रामीण प्राप्त होने पर हितवादी का शेष राशि की स्वीकृति दी जायेगी।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना की दिशानिर्देशक कि ग्रामीण क्र. 14.7 की ध्यान में स्वरूप हुए अन्य सरकार द्वारा किया गया अन्य संस्थाओं के परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव के आधार पर स्वीकृत जारी करने की दृष्टि दी जाती है।

4. एस.ई.सी.एस. आर्टा वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2011 के बाद भी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गरीब निवास करने लगे हैं। अतः ऐसे मूल्य और एस.ई.सी.एस. आर्टा से हितवादी का समावेश दिखाये पहलु यदि किसी हितवादी का एस.ई.सी.एस. आर्टा में उल्लेख नहीं मिलता है और भौतिक रूप से वह स्थान पर पाया जाता है, तथा योजना जनता अन्य योजनाओं का अन्य पूर्व प्रारंभ नहीं करता है, उसे योजनान्वेषण भी हो किसी जाने की स्वीकृति दी जाती है।

5. ऐसे हितवादी जिनके पास विज्ञापन प्रेरित दस्तावेज उपलब्ध हैं और नगरीय निकाय के निम्नांकित सम्पर्ककार सम्मिलित कार का केंद्रित कर रहे हैं किन्तु उनके पास भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उस स्थिति में सभी हितवादियों को भी योजना के शी.एल.सी. प्रारंभ हेतु पत्र किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना रक्षक तिल भारत (शहरी) के क्षेत्र वर्ष 2022 तक के लिए निर्धारित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रोफ़ाइल (SLTC) एवं शहर स्तरीय तकनीकी प्रकाश (CLTC) के शीर्ष हेतु लगाई। ऐसे प्रोफेक्ट मेनेजमेंट कंसल्टेंट (पीए.एच.) में सामान्य रूप हेतु राशि र. 7.50 करोड़ एवं वें हेतु अतिरिक्त शिल्पिक रंगीन राशि र. 37.7208 करोड़ का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है। राज्य राजन (हाउसिंग पॉर्ट ऑफ) से राशि र. 904416 करोड़ प्राप्तिवर्ष अनुमोदन अवस्थानकाल अनुसार प्रकाश वर्ष में राशि र. 45.2208 करोड़ के व्यवस्था की स्वीकृति दी जाती है।

विकास
7. प्रोत्साह के ऐसे हितभारी जितना प्राप्त भी नहीं एवं अन्य संविधियों करके कर्मचारी समूह में लाभ प्राप्त करने के दिनों के दूसरे तक का है उनके प्रधानमंत्री आवास योजना-वार्षिक प्राप्त करने का पुरस्कार 1:00 लाख अतिरिक्त अनुदान सानिमिक कर्मचारी कर्मचारी सम्मान से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।

8. राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से केंद्रीय का अनुसूचित कम किये जाने के पश्चात 83.98 करोड़ कम प्राप्त होगी उक्त राशि का व्यय राज्य सरकार के बजट हॉलिंग फॉर ऑफ से किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार कार्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

पु. क्रमांक एफ-10-45/2015/18-2

प्रतिलिपि:
1. आप्रव सुविधा, स्थल विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्र-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयोजन क्रमांक 8 में दिये गये निर्देश ने आवश्यक बजट उपलब्ध कराने हेतु।

2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्र-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयोजन क्रमांक 8 के विन्यास क्रमांक 7 में दिये गये निर्देश ने प्रशस्तकीय विभाग वि.

3. प्रमुख सचिव, नगरीय सुविधा, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्र-परिषद आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के आयोजन क्रमांक 8 के संदर्भ में।

4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

6. समस्त समाजीय आयुक्त, (राजस्थान) एवं समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।

7. समस्त आयुक्त नगर पालिका लिगेम, एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद मध्यप्रदेश।

8. गाढ़ा कार्य।

सी और सुचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
सामाजिक विकास 2017.
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

श्रीमानक वांगेश/07/2018/0120

प्रति:

1. आयुक्त,
    नगर पालिका निधि, हैदराबाद, जैसलमेर, जयपुर, खालिस्तान, उर्चेन, वीर, सागर, नागर, रिवांगपुरी, रतन, रतनगढ़, रंजनगढ़, यद्यपादेश

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
    नगर पालिका, परिषद/नगर परिषद राजस्थान, खालिस्तान, उर्चेन, वीर, सागर, नागर, रिवांगपुरी, दीक्षित, शिवपुरी, मथुरा, वीर एवं रंजनगढ़

विषय:- पाला-रामी आवश्यक योजना के AHP घटक क्षेत्रीय स्वीकृत MIG आवादों की Credit Link Subsidy Scheme (CLSS) का लाभ सितंबर 2018 तक पहुँचने के संदर्भ में।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिरीक्षण अनुसार माह आप वर्ष (MIG) के हितग्राहियों के लिए Credit Link Subsidy Scheme (CLSS) गर्ल 2019 तक ही लागू होगी, इस संबंध में चालानिमंत्री आयुक्त योजना के AHP घटक क्षेत्रीय आवाद निकाय में स्वीकृत MIG आवादों को लागू करते हैं तथा करार करने का आवश्यक है, जिससे योजना का संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।

अतः आयुक्तों को निर्देशित किया जाता है, कि AHP घटक क्षेत्रीय स्वीकृत MIG आवादों के माध्यम से हितग्राहियों को जुल्लू-2018 के पहले पूर्ण करने एवं अमृता उपलब्धि सितंबर-2018 के पूर्व बंद के माध्यम से हितग्राहियों को CLSS का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करने तथा CLSS की Subsidy की तरीका भारत सरकार से नव्रत-2019 तक प्राप्त की जा सके एवं बढ़े प्रदेश में भारत सरकार के पूर्व निर्देशित हो सके।

हिंदुस्तान नागदशन प्रकाश, MIG वर्ष हेतु CLSS के दिशानिरीक्षण

(मंडू, शामि)
आयुक्त नागदशन प्रकाश, MIG वर्ष हेतु CLSS के क्षेत्र में नागरिक सहयोग

मान्यता, वांगेश/07/2018/0120/अ/4)

प्रति:-

1. भारत संघ का समान, सहयोगी कार्यक्रम, मान्यता, प्रशासन एवं विकास अधिकारी तथा मान्यता साधनाधीन कदमों का निरीक्षण करार करने का सुनिश्चित करें।

2. समस्त अधिकारी, वित्तविभाग तथा समान, सहयोगी कार्यक्रम, मान्यता, प्रशासन एवं विकास अधिकारी कदमों का निरीक्षण करार करने का सुनिश्चित करें।

आयुक्त नागरिक सहयोग, MIG वर्ष हेतु CLSS के क्षेत्र में नागरिक सहयोग

(भोपाल, शामि)

कार्यक्रम वांगेश/07/2018/0120/अ/4/4)

प्रति:-

1. मान्यता, प्रशासन, सहयोगी कार्यक्रम, मान्यता, प्रशासन एवं विकास अधिकारी तथा मान्यता साधनाधीन कदमों का निरीक्षण करार करने का सुनिश्चित करें।

2. समस्त अधिकारी, वित्तविभाग तथा समान, सहयोगी कार्यक्रम, मान्यता, प्रशासन एवं विकास अधिकारी कदमों का निरीक्षण करार करने का सुनिश्चित करें।

आयुक्त नागदशन प्रकाश, MIG वर्ष हेतु CLSS के क्षेत्र में नागरिक सहयोग

(भोपाल, शामि)

मान्यता, वांगेश/07/2018/0120/अ/4/4)

प्रति:-

1. मान्यता, प्रशासन, सहयोगी कार्यक्रम, मान्यता, प्रशासन एवं विकास अधिकारी तथा मान्यता साधनाधीन कदमों का निरीक्षण करार करने का सुनिश्चित करें।

2. समस्त अधिकारी, वित्तविभाग तथा समान, सहयोगी कार्यक्रम, मान्यता, प्रशासन एवं विकास अधिकारी कदमों का निरीक्षण करार करने का सुनिश्चित करें।

आयुक्त नागदशन प्रकाश, MIG वर्ष हेतु CLSS के क्षेत्र में नागरिक सहयोग

(भोपाल, शामि)
1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिका निकाय
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य नगरपालिका शासक,
नगर पालिका निकाय, "भार भागीदार"
मध्यप्रदेश

विषयः - प्रधानमंत्री आदर्श योजना (सबके लिए आदर्श 2022 राष्ट्री) के AHP घटक अतिरिक्त
अवधि का आवरण की प्रविधि के रूप में दिशा-निर्देश।

प्रधानमंत्री आदर्श योजना (सबके लिए आदर्श 2022 राष्ट्री) के AHP घटक अतिरिक्त
अवधि का आवरण के लिए गए नगर पालिका निकाय अधिनियम 1956 की धारा 418 "ए" एवं
428 "ए" तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 की प्रकटिकाओं के अंतर्गत
dिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं, प्रदेश के समस्त स्तरों में निकाय इस
दिशा-निर्देश अनुसार योजनानिर्माताओं निर्मित आवासीय इकाईयों का व्यवसाय पुनर्निर्माण करेंगे।

1. प्रधानमंत्री आदर्श योजना (सबके लिए आदर्श) अंतरिक्त निर्मित आवासीय इकाई में नगर
पालिका अपल संपत्ति का वातावरण नियम 2016 से नियुक्त रखेंगे।
2. प्रधानमंत्री आदर्श योजना (सबके लिए आदर्श) अंतरिक्त निर्मित आवासीय इकाई आधा
भू-खण्ड (सही देखी में, नियमात जैसे आर्थिक रूप से कमजोर आप वर्तके
भू-खण्ड के लिए निर्मित आवासीय इकाई अधिवास भू-खण्ड को छोड़कर) के अंतर्गत हेतु
हिताधिकारियों के लिए निर्मित आवासीय इकाई आधारभूत भू-खण्ड से स्वीकृति प्राप्त कर अंतर
रेखा एवं नगर परिषद के लिए में हेड-हेड-कोशिस के नगर पालिका
रेखा प्रधानकरण एवं नगर परिषद के लिए वेब-हेड-कोशिस से स्वीकृति प्राप्त कर अंतर
रेखा की कार्यवाही मुख्य कार्यालय अधिकारी (नगर पालिका निकाय के लिए आयुक्त एवं
भू-खण्ड) के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी) द्वारा की
अपेक्षा।
3. आवासीय इकाई के अंतर्गत में आवासीय आपल संपत्ति अंतरिक्त नियम 2016 के नियम 9
अवधि को (परिसंह नियम) निर्मितियों के लिए निर्मित आवासीय इकाईयों
अंतरिक्त में माना जायेगा।
5. निम्नमात्र नहीं करें एवं आवश्यक संदर्भों का आधारण विधानिक हितों के लिए प्रथम मुलक माध्यम पत्र प्रकाशित किए जाएँगे।

6. क्षेत्रीय प्रमाणों के आवश्यक तौलदार पत्र क्षेत्रीय के माध्यम से निर्देश जाने उपलब्ध कराये।

7. आमदेव उपरोक्तों के लिए निर्देशलिपि ज्ञात करने के लिए बैंकपत्रों एवं वित्तीय संस्थाओं से संचालन कराया जायेगा। जिसका पानी पुनःप्रकाशित हितों सीधे बैंक/वित्तीय संस्थाओं हो करेगा।

मध्यप्रदेश के उपमुख्य प्रभारी के नाम से

उपमुख्य प्रभारी

पुरुष-प्रमाण-एक 1-01/2016/16-3
प्रतिष्ठिती-

1. अपूर्व अधिकारी प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अपूर्व संस्थापक अधिकारी प्रशासन, मध्यप्रदेश।
3. सभी सरकार कलेक्टर तथा प्रमाणे।
4. सभी संस्थापक अधिकारी प्रशासन, कर्मशालन तथा, नगरीय प्रशासन एवं विकास।

भारत, भिनाक्क-5/03/2018

उपमुख्य प्रभारी

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
1. नागरिक संघ, भोपाल

2. समस्त अन्य प्रशासन एवं विकास कार्यालय भोपाल नागरिक संघ, भोपाल

विषय—प्रभावी आवास योजना के अनुसार अन्तर्गत हितगांवी अंश के संबंध में।

दिनांकः 12.05.2018 की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसार्टेंट एलिजन के रूपांतरण प्रणाली की 
रामरेल में वह तथ्य स्थापित किया गया है कि AHP घटक के अंतर्गत EWS वर्ग के हितगांवी स्वरूप 
अभाव अपने से विलय संरचनाओं से रूप लेकर हितगांवी अंश को पूरी करना चाहिए है उससे पूर्व 
हितगांवी अंश को लिया जा रहा है और उसके नए व्यक्ति जाता है कि 20 प्रतिशत से अधिक कर निर्माण 
का नाम है। वह ऐसा करना कर लेकर हितगांवी अंश की पूरी करता है और उससे हितगांवी अंश 
लेकर आगाज का अनुसरण होता है। ऐसे हितगांवी जो हितगांवी इष्ट स्वरूप अधिकतम दिनियाँ 
संभव के रूप लेकर हितगांवी अंश को पूर्व नहीं कर सकता है उसे विज्ञापन के तहत से 
विदेशी उत्तराधिकार कर दिलेते संघ से आग उपलब्ध कराया जाने में मदद करता है।

अतः उपरोक्त अनुसार कार्यालयों की आवश्यकता है।

(भ. मंत्री) अपर आयुक्त,

राज्य प्रशासन एवं विकास

भोपाल, दिनांकः 12.05.2018

पृष्ठ क: 0/2018/55476

आवास योजना के अनुसार कार्यालयों की आवश्यकता है।

1. समस्त राजस्थान अनुसार, संघर्ष, नगर विकास

2. आयुक्त, मंत्री (मंत्री, मंत्री) की ओर सुचना विभाग को सूचित गया है।

(भ. मंत्री) अपर आयुक्त,

राज्य प्रशासन एवं विकास.

भोपाल, दिनांकः 12.05.2018

पृष्ठ क: 0/2018/55476

आवास योजना के अनुसार कार्यालयों की आवश्यकता है।
लेखन: राजनाथ दिनांक 13.07.2018

क्रमांक/पीएम/07/2018/3879

प्रति-

1. सरकार के कड़ेकड़ा, भवनीय कार्यालय की ओर सूचना।
2. तारीख, कर्मनाम, वंशभाग, भवन विभाग, भवन, भोपाल नगरपालिका की ओर सूचना।
3. सरकार संचालन एवं कार्यालय यंगी नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय की ओर सूचना।
4. सरकार जिला परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभियान कार्यालय की ओर सूचना।
5. सरकार जिला अधिकारी, मतदान कार्यालय की ओर सूचना।
6. दीप लाइटर एल्बम इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टिंग प्र. लि. (मेमराउड) की ओर सूचना।

अपर आयुक्त (5.7.18)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मौपौल, दिनांक 5.7.2018
अभिवृत्ति क्रमांक/म.स.क.म.म-2018, 4593.— भवन और अन्य संख्यात्मक कर्मकार (नियोजक तथा सेवाकर्ता) ओधिनिक, 1996 को धारा 22 (2)
हर्दिलल माठु, भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार (नियोजक तथा सेवाकर्ता) ओधिनिक) नियम 2002 के अनु. 277, 278 एवं 279 में प्रदत्त शिलारो का प्रयोग करते हुए भवनप्रदेश भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार कल्याण संगठन राज्य शासन के पूर्व अध्यक्ष द्वारा ओधिनित योजना “सुखमंडली भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार कल्याण (संगठन) योजना 2013” में स्थापित प्रस्तुतियों से संबंधित प्रतिक्रियास्पद तथा विशिष्ट अथवा का अभिवृत्ति मात्र यादी बड़ी पूर्व में जारी किये अधिकृतयोजनाओं की उद्यो द्वारा निर्देश करता है तथा “सुखमंडली भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार कल्याण आवास योजना 2018” अभिवृत्ति करता है।

“सुखमंडली भवन एवं अन्य भवन के लिए”

(क) संख्यात्मक लागू, विस्तार, विशिष्ट और चारू होने— (1) यह योजना “सुखमंडली भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार कल्याण आवास योजना 2018” कर्तव्यस्ती।

(2) यह योजना संस्थान भारतीय राज्य के वाणिज्य क्षेत्र में लापूर होनी।

(3) यह योजना भवनप्रदेश भवन जो एक भवन के दिनांक के लापूर होनी।

(4) यह योजना भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार, जो ओधिनिक की धारा 12 दशक पिस्तू नियम 272 के अंतर्गत विभिन्न भाग में धारी अभिवृत्ति भावक हैं।

(ख) परिलक्षित है— इस उपस्थि में जब तक कि लापू के अन्य ओधिनिक होने—

(1) "अधिनिक"— यह आयुष्य "भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार (नियोजक तथा सेवा चारू) विधिविहृत ओधिनिक, 1996" से अभिवृत्ति है।

(2) "विधिविहृत"— यह आयुष्य "भवन एवं अन्य संख्यात्मक कर्मकार (नियोजक तथा सेवा चारू) विधियोजना नियम, 2002" से अभिवृत्ति है।
(3) "होटल का मण्डल" - से आश्वाय ऐलिनियां की धारा 18 की उपस्थापना (1) के अन्तर्गत गढ़ "म.प्र. भवन एवं अन्य संज्ञानार्थ कार्यकार कट्टराण संपत्ति" से अभिवृत है।

(4) "सर्वविद्या" से आश्वाय ऐलिनियां की धारा 19 के अर्थानिष्ठ नियुक्त "सर्वस्व से सर्वविद्या" से अभिवृत है।

(5) "हितार्थिकर्ता" से आश्वाय अन्य संज्ञानार्थ "तत्काल पुनः प्रवर्तक अथवा भवन एवं अन्य संज्ञानार्थ श्रमिक" से अभिवृत है।

(6) इस सीमा में परिभाषित वलि हिए गए श्रमिकों का संतुलन उन श्रमिकों वा घरों के उल्लंघन से प्रतिक्रिया से अद्वितीय या नियम में परिवर्तन दिया गया है तथा अर्थ होता, जो अधिनियम या नियम में परिवर्तन हैं।

(7) योजना को लाभ प्राप्त करने हेतु प्रमाण -

प्रति -

(1) भवन और अन्य संज्ञानार्थ कार्यकार (नियोजन तथा सेवाफर्म को विनियम) अधिनियम, 1985 की धारा 12 समझौता नियम 272 के अंतर्गत ऐसे विभाजन अनुसार जिन्हें हितार्थिकर्ता के उपर नष्ट करने उच्च योजना तथा भवन व अन्य संज्ञानार्थ कार्यकार के उपर नष्ट करने हेतु प्राप्त गया है।

(2) ऐसे विनियम श्रमिक अधिकारियों द्वारा हितार्थिकर्ता के उपर नष्ट करने वाले योजना के उपर नष्ट करने हेतु प्राप्त हेतु प्राप्त होता है।

(3) योजना का विवरण एवं हितार्थिकर्ता -

(1) प्रादेशिक आवास योजना कार्यकार में नगरीय भूमि में राज्य शोधन वो अन्य श्रम कित्ता या आलाइस विद्यार्थी को राज्य कार्यकार की अनुमस्त प्रवास उपकरण तथा हितार्थिकर्ता की साधन का लाभ करता नहीं है।

(2) प्रादेशिक आवास योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि में नगरीय श्रम कित्ता एवं आवास विद्यार्थी तथा राज्य कार्यकार की अनुमस्त प्रवास उपकरण तथा हितार्थिकर्ता की अनुमस्त प्रवास उपकरण तथा हितार्थिकर्ता की साधन का नहीं है।
(3) योजना/प्रोजेक्ट तथ्यात आवेदन की प्रक्रिया प्राधान्यवाली आवार्त योजना के अनुसरण होगी।

(4) योजना के अनुसार उच्च श्रेणी प्रदान करने वाले आवार्त योजना के अनुसार होगी।

(5) विभागित अवधारणाएँ- साहाय्य भलकृत यथाउचित पदाधिकृत/उच्च श्रेणी पदाधिकृत।

(6) विभागित का उपयोग- योजना में विभागित शाखाएँ/उपशाखाएँ से संबंधित बातें किए जाने की विरोध रूप दर्शित होती है, उस संदर्भ में गणना के संदर्भ में विनिमय अवधारित हो।

उपल. पृ. प्रथम, भागिन।

श्रम विभाग
मंजूल, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, तिथि 28 जुलै 2018

क. 695-522-पोर्तर-अन-2018---एस विभाग के स्थानिक 17 भर, 2018, यह विभाग निगमनस्था वेबसाइट कराते हुए प्राप्त न भर में अधिनियम को गई थी।

(1) प्रक्रियागत अधिनियम (अन्तःर अधिनियम) संबंध वेबसाइट, 2018
(2) प्रक्रियागत अधिनियम (अन्तःर अधिनियम) संबंध वेबसाइट, 2018
(3) प्रक्रियागत अधिनियम (उच्च अधिनियम) संबंध वेबसाइट, 2018

(2) आंदोलन के पहले के 59-पोर्तर-पत्र 2018 की तिथि 25 वोल 2015 द्वारा दिया गया वेबसाइट के संदर्भ में 'सुरक्षित विभागित' (संक्षेप) संबंध वेबसाइट, 2018 में प्रकट कर दी गई थी, अतः राज्य सरकार विभाग के स्थानिक 17 वोल 2016 के पाठ्य उपकरण पुस्तक प्रपाठन तैयार बना।
भर्ती सामग्री के लिए एनआरएस की तृतीय परीक्षा पत्रों तथा अन्य सहलेख के संयोजन एवं सामाजिक परिक्रमा के लिए प्राधिकृत सामग्री के लिए अनुदान का विनिमय।

प्राप्ति: कृपया 05/06/2018 को जब कृपया अनुरुप विवरण के साथ निम्नलिखित की ओर से सूचना करें।

(हिंदी सामग्री के लिए)

निम्नलिखित निर्देशित कार्य के लिए समय-समय पर आवेदन देने वाले व्यक्तियों के लिए आवेदन पत्र अर्पित करें।

प्रथम: लेख के 05/06/2018 को जब कृपया अनुरुप विवरण के साथ निम्नलिखित की ओर से सूचना करें।

(विशेषता के लिए)
<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Name of Applicant</th>
<th>Material/Item/Product</th>
<th>Details of Product</th>
<th>IS/IEC Details</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles &amp; Sanitary ware</td>
<td>Polished Vitrified 60x30x6.5 &amp; 12 x 12 x 6.5.</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>Keramico Full Body, Vitriified 48 x 48cm, thickness 6mm, 12mm and 20mm.</td>
<td>ISO 9901:1997</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>Double Charge Vitrified Glossy Finish (120x30x6, 80x80, 60x60cm)</td>
<td>ISO 9901:1997</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>Digital Wall Tiles (30x45cm)</td>
<td>ISO 9901:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>Mariposa Ceramic Wall 20x60cm Glossy/Matt</td>
<td>ISO 9901:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Orient bell Tiles</td>
<td>Tiles</td>
<td>Ceramic and Vitrified tiles *Ultra-Vitrified tiles</td>
<td>ISO 9901:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Orient bell Tiles</td>
<td>Tiles</td>
<td>Floor Tiles Collection</td>
<td>ISO 9901:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>*POST TIX VII Tirescope Wooden Style 80x120cm, 8x120cm, 60x60cm / 12x120cm, 60x60cm</td>
<td>ISO 9901:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>AGI</td>
<td>Tiles</td>
<td>*Digital Ceramic Tiles *Two tone Powdered Tiles *Glassy *Glazed</td>
<td>ISO 9901:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Accessories to Pvt.Ltd.</td>
<td>Tiles</td>
<td>Vitrified Double Charge &amp; Soluble Salt with</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>*Vitrified Tiles *Wall Tiles</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Oasis</td>
<td>Tiles</td>
<td>*Elevation Wall Tiles 60x60cm / *Packing *Tiles, Head, Miter, Elbow, Reducing, Corner</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Johnson</td>
<td>Tiles</td>
<td>Vitrified Tiles, Marvels</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>West Wall Polytubes</td>
<td>Pipes</td>
<td>*HDPE Pipes for water supply *IDPE Pipes for water supply *Sewage *IDPE Pipes for irrigation purposes</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Shree Jogi pipe Industries</td>
<td>Pipes</td>
<td>HDPE Pipes and Sprinklers *Pipes PE 63, PE 80, PE 100</td>
<td>ISO 9001:2008</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Supplier Name</td>
<td>Details</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>J. B. Polyplast L. P.</td>
<td>Types:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>S.W.R. Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* E.R. Pipe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* CPVC Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Metal Storage Tank</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Composite Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* High Density Polyethylene in Pipe Size</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>M/S Kunhi Plastics Pvt. Ltd.</td>
<td>Pipes &amp; Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Types:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* E.D.R. Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* A.G.R. Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* SWR Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* HDPE Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* CPVC Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Water Storage Tank</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Composite Pipes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* PVC Pressure Pipe</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* SWR piping systems</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gate Values:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:100NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Butterfly Values:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:200NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Non-Return Value</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:200NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Kinetic Value</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(M.P.T.I. B.P.ربان PN: 12/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Sagar Flues Control Ltd.</td>
<td>Valves:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gate Valves:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19/25/30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>36/40/50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>68/80/100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>15/25/30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gate Diameter Gate Valve:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:100NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Butterfly Values:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:200NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Non-Return Value</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:200NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Kinetic Value</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(M.P.T.I. B.P.ربان PN: 12/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>M/S Values Ltd.</td>
<td>Valves:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gate Valves:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19/25/30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>36/40/50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>68/80/100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>15/25/30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gate Diameter Gate Valve:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:100NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Butterfly Values:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:200NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Non-Return Value</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(S.O.N.B:200NB. rating PN: 10/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Kinetic Value</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(M.P.T.I. B.P.ربان PN: 12/16)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>S.A.N.A. AMNNE: Mahabubnagar TMT Pvt. Ltd.-An Integrated Steel Plant</td>
<td>Steels:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Type:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Steel Bar</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Standard TMT, TMT Bar, steel grade-O11 grade-O1 grade-O1 grade-O1 grade</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Dhanam Sanitary Udhyog</td>
<td>Bathroom Fitting and Accessories</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Bath Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* S.S. Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kitchen Sinks</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Plastic Cistern</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Planexm Sanitary (P) Pvt. Ltd.</td>
<td>Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Toilet Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* E.D.R. Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Plastic Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* P.T.F.E. Fittings</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Accessories</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* S.S. Kitchen Sinks and Plastic Cistern</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Dhanam Sanitary &amp; Pipefitting Ltd.</td>
<td>Frames:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* Vishwas Pre cast Frames</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>* RCC Frames for Building</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Company Name</td>
<td>Products/Products &amp; Process Control Instrumentation</td>
<td>Standards</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>KEI</td>
<td>Water and Fittings, Water Meters</td>
<td>IS 1654, IS 9964:1980</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Surya</td>
<td>WPC (Wood Polymer Composite Board), Door Frame, Plywoods</td>
<td>IS 14752-1991, IS 14752-1991</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Alionc Pvt. Ltd.</td>
<td>WPC (Wood Polymer Composite Board), Electrical &amp; Control Solution, Information Solution, Wood Polymer Composite</td>
<td>ISO 9001:2015</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Anand Singh)
Executive Engineer
Urban Development & Improvement,
Muzaffar Pradesh
प्रमाण कोटा/07/2018/12.55

पत्र,
1. अध्यक्ष,
समस्त नगर पालिका निदेश,
मध्यप्रदेश.
2. सूचना नगर पालिका संगठन,
समस्त नगर पालिका, परिषद/नगर परिषद
प्रमाण कोटा/07/2018/12.55

विषय—साधारण मंत्री आवास योजना अंशगत सर्वेक्षण किए गए वित्तपत्तियों को PMAY मित्र ने शहरों के संबंध में 

प्रमाणीकृत आवास योजना अंशगत आपके प्राधान्य द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण के प्रश्न नमूना की कानूनी स्वीकृति एवं नियमित सूचना द्वारा किए गए शिफ्टिंग की जानकारी है। इसमें से वित्तपत्तियों का कार्यान्वयन किया जाना सूचित किया गया।

1. जिन सर्वेक्षण की परियोजनाओं में 50 शतांश वित्तपत्तियों का PMAY मित्र ने बरकरार रहे जोड़े के कार्यान्वयन पूर्ण कर ली गई है, उन परियोजनाओं को समाप्ति डिपावींडर अनुपालन या निर्माता वित्तपत्तियों को अटैच करने की (अध्यक्ष या अधिकारी के नाम निर्माता वित्तपत्तियों को ठहराने की) कार्यान्वयन 18/10/2018 तक किया जाना सूचित किया गया।

2. जिन परियोजनाओं में हितार्थ अटैच नहीं किये गये हैं एवं उनमें यदि सर्वेक्षण उपस्थित वित्तपत्तियों की सूची रही हो वह अपनी संख्या के मात्र हितार्थ यदी पोषण में जोड़े निकाल लें है, तो उनकी संख्या साधारणलाय अनुसार 18/10/2018 तक प्रस्तुत करे, क्योंकि सिस्टम हितार्थ सर्वेक्षण पोषण से जोड़े हैं, केवल उनकी हितार्थ सूची तक पूर्व रिपोर्ट परियोजना में हितार्थ अटैच कर सकते हैं।

अन्तः केवल निर्देशित किया जाए है कि पूर्व उल्लिखित रूप से कार्यान्वयन के रूप में यह दिनांक को अवस्था का सूचित करता है।

(विकास प्रमिता)
अध्यक्ष
राजीव वर्मा, एण्ड विकास
परियोजना, अध्यक्ष
साधारणलाय एण्ड विकास
परियोजना, विकास

पुलकार बूटो/07/2018/12.56

प्रतिवेदन:
1. समस्त संपुष्ट संख्या, संगठन नगर नगर प्रशासन एवं विकास, अवकाशकार कार्यालय कार्यालय जनसेवा सूचित किया।
2. समस्त अधिकारियों/कार्यालय कार्यालय, संगठन नगर प्रशासन एवं विकास, आवश्यक कार्यालय कार्यालय जनसेवा सूचित किया।
3. टीम लॉडर एवं संगठन RE समस्त संख्या, EGIS India Consulting Engineers, प्रमाण, PAIC प्राप्ती, आवश्यक कार्यालय कार्यालय जनसेवा सूचित किया।

(विकास प्रमिता)
संबंधालाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्रो. भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

कमांडा/बोधि 07/2018/ 1122

दोषाल, दिनांक 17.9.2018

प्रति,

समस्त
मजिला परियोजना अधिकारी,
भोपाल

विशेष—प्रणाली मंत्री आवास योजना (महाराष्ट्र) अंतर्गत लगाई जा रही टाउनसेट के संबंध में
संदर्भ—1. माननीय उदय न्यायालय, स्क्वायर, म.प. का आदेश के W.P.No. 15213/2018 दिनांक 19.06.2018
2. संबंधालाल का नं. 10942 दिनांक 05.10.2018

सिद्धांत—माननीय उदय न्यायालय, स्क्वायर, म.प. की याचिका के W.P.No. 15213/2018 के निर्णय दिनांक 19.09.2018 की प्रति संलग्न है। उक्त आदेश का पालन कर दिनांक 20.12.2018 तक माननीय उदय न्यायालय को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में "रिपोर्ट" मत 02 हाइट नगरीय निकाय के समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विवरण दिया जा चुका है।

अतः समय - सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु सर्विक्षण अधिकारियों को इसी से कस्तक अंतर्निहित करते हैं।

सलामः—उपरोक्तानुसार

(विकास मिश्र)

आर्थिक आयुक्त

भारतीय प्रशासन एवं विकास

भोपाल
नवेदन गर्ने

मुख्य विविध प्रमुख तथा नगर विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, नोएडा

कार्यदिनों दिनांक


भोजन दिनांक 17.10.2018

शिवाजी परमुख तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के समकालीन सीमा के नेतृत्व में दिए गए

1. संतोष, नगर तथा राम निवेश के स्तर पर अमूल्य योजना के निर्माण से संबंधित मालवे विभाजन वालों के अनुसार मन्त्रीदेश सूची विकास निर्माण, 2012 में प्राक्षण पूर्व से होने के कारण भारत सरकार की प्रमुख सीमा की ओर से इस आवागाय माल प्रवाहित किया जाना उचित रहा, तब यह सुझाव दिया कि Climate resilient construction नये निर्माण के लिए मूल्यांकन के लिए जाना। अंतर्विकासी से मानक प्रमुख की कार्यवाही किया दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने का कार्य निर्माणित किया जायेगा। (कार्यवाही-संतोष, नगर तथा राम निवेश निर्माण)

2. आवागाय गृह निर्माण मंडल के अध्यायकों के महत्वपूर्ण समिट में होने के लिए मन्त्री/प्रशासन आयोजी प्रोग्राम में अंतर्गत आयोजित किया जायेगा। (कार्यवाही-आयोजन, गृह निर्माण मंडल)

3. सिंगापुरी, ऊर्जा, उद्योग, अद्यावत आदि दृष्टि धार्मिक स्वच्छन्दता की परिसंचरण में होने वाली पुनर्विकास प्रयोगों के समन्वय आयोजित की जाएगी। (कार्यवाही-अध्यायक, गृह निर्माण मंडल)

4. गृह निर्माण मंडल के अंतर अकादमी योजना के एक प्रकार के जिला विभाजन संरचना में होने के पूर्व मानक पूर्ण कर लिये गये हैं। उनमें सर्विस टेक्स्ट से संबंधित निर्माण मालिक का निर्माण कर की जायेगी। (कार्यवाही-आयोजन, गृह निर्माण मंडल)

5. गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत विकास दिनांक 1200 का स्टेडियम तथा का दिनांक 125 का मानक पूर्ण कर अंतर्गत अन्वेषण का प्रयोग किया जायेगा। (कार्यवाही-आयोजन, गृह निर्माण मंडल)

6. अनुप, वित्तर एवं प्रसिद्ध परिसंचरण में आदर्श आदर्श संरचना के साथ नवीनीकरण का प्रयोग भी किया जायेगा। अनुप, वित्तर एवं प्रसिद्ध परिसंचरण के लिए में प्रयोग करे अनुप, बाहरी एवं प्रति भी सुधार दिन दिन अंतर्गत कर्मचारी सुधार का प्रयोग करेगा। (कार्यवाही-अनुप, अतिरिक्त, सचिवालय, राज्य भवन, एवं विकास)

7. लोकप्रियता को एक का प्रयोग करते हुए हमें अतिरिक्त अनुप्रयोग से मिलने वाले हमें उनकी समस्या के अंतर्गत संगठन एवं विकास के लिए मात्र। (कार्यवाही-अतिरिक्त आयुक्त प्रोड)
8. स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जिलों के प्रशासकों और अधिकारियों के रूप में शासन के उद्योग से सहयोग में आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए। इस दिशा में अधिकारियों के भी सलाह की जानी चाहिए।

9. एमी- उप अधिकारी, उप मुख्य अभियंता, एमी- उप मुख्य अभियंता

10. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लोगों को आवास का लाभ प्राप्त करने की संभावना है।

11. आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए।

12. आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए।

13. आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए।

14. आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए।

15. आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए।

16. आय-आया का काम करने के लिए मूल्यवान सलाह की जानी चाहिए।

(स्पष्ट निर्देश)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

साथीय विकास और आवास विभाग

अधिकारी विभाग

25.10.2018 को प्रति 11:00 बजे संचालन समाप्त करने के साथ एवं आयुक्त के लिए आयुक्त की जानी चाहिए।
10. मुख्य/मुख्य अभियुक्त, मंत्री/एनपीएमसी/सीईए/सब्जियोंके नागरिक प्रशासन विभाग, शहरी सेवाएं
11. समल/उप तलाश/अवर संचित, मुख्यतः राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
12. समलता शहरी संचित/समलता उप लाइसेंस, संस्थानरक्ति मंगोलिया नगरीय विकास एवं आवास विभाग
13. भुमि शहरीवासके अधिकारी, मंत्रलय विकास एवं आवास विभाग की ओर सूचनायों एवं सूचना प्राप्त हेतु प्रतिष्ठा।

उप सचिव
माध्यमिक शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
INSTRUCTION No. 6
RC Letter No. 4976/2009-CC&BE dated 8th March, 2009 addressed to the Cabinet Secretaries, Govt. of India and the Chief Secretaries and Chief Electoral Officers of all States and UTs.


Sir,

I am directed to state that the Commission has considered various aspects in the context of the Model Code of Conduct during General Elections and decided to issue the following guidelines regarding implementation/processing of the various projects, schemes, rural development programmes etc. by the Central/State Government:

1. All Model Code of Conduct related directions shall be issued only by the Commission. The Cabinet Secretaries or any other government agency should not issue or disseminate the directions of the Commission for compliance.

2. RBI may continue to take decisions unhindered on monetary policy issues.

3. After the Model Code of Conduct comes into effect, the Ministry of Finance will need to take prior approval of the Commission on any policy announcements, fiscal measures, taxation related issues and such other financial relief. Similarly, other Ministries/Departments will need to take prior approval of the Commission before announcing any relief/benefit.

4. The following types of existing projects can be continued by the concerned agencies without reference to the Election Commission after the Model Code of Conduct comes into force:

   a. Projects that have actually started on the ground after obtaining all necessary sanctions;

   b. Beneficiary-projects where specific beneficiaries have been identified before coming of the Model Code of Conduct into force;

   c. Registered beneficiaries of NREGA may be covered under existing projects. New projects under NREGA that may be mandated under the provisions of the Act may be taken up only if it is for the already registered beneficiaries and the project is already listed in the approved and sanctioned shelf of projects for which funds are already earmarked.

5. There shall be no bar to release of funds for the completed portion of any work subject to observance of laid down procedures and concurrence of finance department.

6. The following types of new works (whether beneficiary or work oriented) that fulfill all the following conditions before Model Code of Conduct comes into effect can be taken
up under intimation to the Commission:

a. Full funding has been tied up.
b. Administrative, technical and financial sanctions have been obtained.
c. Tender has been floated, evaluated and awarded and
d. There is contractual obligation to start and end the work within a given time frame and failing which there is an obligation to impose penalty on the contractor.
e. In case of any of the above conditions not being met in such cases prior approval of the Commission shall be sought and obtained.

7. Global tenders already floated can be evaluated and finalized where only time limits are specified for such purpose.

8. Tenders other than global tenders that are already floated may be evaluated but not finalized without prior approval of the Commission. If not already floated, then they shall not be floated without prior approval of the Commission.

9. Commission invariably takes a humanitarian view on work that are under tied due to man-made or natural calamities.

a. Ex-gratia payments and gratuitous relief in the aftermath of a disaster can be given directly to the persons affected at the current rates/scales of assistance presently in force, under intimation to the Commission. No change in the extant and prescribed scales of payments, however, shall be made in the existing rates/scales without prior permission of the Commission.

b. Payment directly to the hospital from CM's/PM's Relief Fund in lieu of direct cash payment to individual patients (beneficiaries) will be permissible without reference to the Commission.

c. Emergent relief works and measures that are aimed to mitigate the hardships directly and solely of the persons affected in a disaster may be taken up under intimation to the Commission.

d. However, new works that may be necessitated by way of preventive measures to mitigate the likely effects of natural disasters like repair of embankments, water channels etc. can be taken up only with prior permission of the Commission.

e. Also, an area shall not be declared drought/flood affected or any such calamity affected without prior approval of the Commission. The extent of area already declared to be calamity affected cannot be expanded without prior approval of the Commission.
Similarly, any selective assistance to a group of persons from the PM's or the CM's Relief Fund will require prior approval of the Commission.

10. The following type of activities will require prior permission of the Commission:

a. New works and projects cannot be taken up from discretionary funds of whatsoever nature. Discretionary fund, in this context, includes funds which are provided for in the budget in a generic manner and for which an identified and sanctioned project does not exist prior to Model Code of Conduct coming into effect.

b. Proposals for revival or loss PSUs, government take over of enterprises etc., or any policy decision on similar lines cannot be taken up.

c. Fresh auctions of liquor vendos etc. cannot be held even if the annual auction time falls within the Model Code of Conduct period. Where necessary, the government should make interim arrangements as provided in their respective laws.

d. Area of operation of any existing project, scheme, programme (or that be expanded.

e. No land allocation shall be made by the government to any entity, whether identified or an enterprise.

f. Signing a MOU or an agreement where the government is a party will also require prior clearance by the Commission.

11. Regular recruitment/appointment or promotion through the UPSC, State Public Service Commissions or the Staff Selection Commission or any other statutory authority can continue. Recruitments through non-statutory bodies, will require prior clearance of the Commission.

12. While starting any work (including any relief work or developmental activity or formal function) shall be held involving any political functionary. As a matter of good practice, normal functions and publicity even with the presence of official functionaries should be kept to the minimum.

13. Where works are to be undertaken or functions are to be held in fulfilment of international commitments, prior concurrence of the Commission shall be taken.

14. All Government of India references to the Election Commission of India shall be made preferably through the Cabinet Secretary (also for references from State Governments concerned, the same shall be made to the Election Commission of India through the Chief Electoral Officer (CEO) of the state concerned.

This may be brought to the notice of all concern authorities.
INSTRUCTION S.I. No. 7


Subject: Applicability of Model Code to various Govt schemes/projects etc

I am directed to refer to your D.O. No. JS (SBA)/2009/04 dated 4th March, 2009, addressed to Shri J.P. Prakash, Deputy Election Commissioner and to state that the Commissioner has decided that any additional work under the following schemes referred to in your letter, shall be undertaken with the prior approval of the Commission:

1. Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) - M/o Water Resources.
2. National Social Assistance Programme (NSAP) - M/o Rural Development
3. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) - Including the scheme of purchase of buses for urban transport system - M/o Urban Development
4. Accelerated Power & Development Reform Programme (APDRP) - M/o Power
5. Indira Awas Yojana (IAY) - M/o Rural Development
6. Swarna Jayanti Gram Swarajya Yojana (SJSY) - M/o Rural Development
7. Swarna Jyoti Gramin Rojgar Yojana (SJRHY) - M/o Rural Development
8. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) - M/o Rural Development
9. Technology Upgradation Rural Scheme (TURS) - M/o Textiles
10. National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) - M/o Rural Development
11. Affordable Housing to be implemented by M/o Housing and Urban Poverty Alleviation (MOHUA)

Kindly acknowledge the receipt of the letter.
प्रमुख— प्रशासनी आवाज़ योजना के रचनात्मक पक्ष की योजना नवनिर्माण।

लेखक— राज्य—सम्पन्न एवं तीव्र न्यायालय देश

प्रमुख—प्रशासनी आवाज़ योजना (राज्य) की समस्त—समस्त पर की गई समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि अविकल्प
योजना हेतु वैश्विक स्वीकृति अत्यधिक नहीं की गई हैं एवं न ही अपने ताल कर्मचारियों में इसके लिए
योजना कर्त्ता स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। कारण यहूदी समय समय तक अविकल्प की योजना प्राप्त है।
सातकार योजना के अन्तर्गत के सारे अनुप्रयोग, अनुवाद तैयार नहीं किये गये हैं और न ही योजना का अनुसार, अनुप्रयोग करने हेतु मान्यता
(से-आधुनिक) समय पर तैयार किए गये हैं। अन्य वैश्विक स्वीकृति जैसे— समय से पृथ्वी स्वीकृति, पृथ्वी
कोशी को में स्वीकृति, इस विषय में अनुमति, रूप हेतु स्वीकृति अपने ज्ञान, आधुनिक योजना के लिए, जनतावनी है।
योजना प्राप्त करने में भी उपयोग हुई है, इसके साथ ही, अनुप्रयोग के लिए विवादीय, आधुनिक योजना
को को लिए स्वीकृति का समाप्त करना बहुत रहे हैं। वित्तकार्य विवादीय के विवादीय योजना
एवं विवादीय के लिए एवं विवादीय को भी उपलब्ध है, जिसे अधिकृत अनुप्रयोग के लिए आवश्यक कर स्वीकृति
की गाथा कर के नियन्त्रण बैंक तिल्युत करने की कार्यावस्था की।

अंतः निमित्तिक विवाद कराते हैं कि प्रशासनी के समाप्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्वीकृति
योजना करने जो संबंधी दी गई है, अनुप्रयोग के अनुसार तैयार है। इस आवश्यक तैयार प्रक्रिया
के आधुनिक/स्वीकृति स्वीकृति अविकल्प द्वारा दिया जाना होगा। प्रमाण पत्र पर दिखाई के साथ
तकनीकी अविकल्प, समान्य सारणी तथा एवं समान्य समुच्छी सारणी भी समुच्छी लगा
कर संगठन करें।

(विकास मिश्र) अध्यक्ष
नगरपालिका प्रशासन एवं विकास मंत्री, भोपाल

पू. क्र. / तारीख / प्रमाण / 7/16-19/11258

प्रमाणित —
1. सन्नाटा नगरपालिका भवन, भोपाल में कार्य कराने वाले मंत्री, नगरपालिका प्रशासन एवं विकास मंत्री,
2. सन्नाटा नगरपालिका अधिकारी राजीव रामचंद्र योगी, नगरपालिका प्रशासन एवं विकास मंत्री, भोपाल

अध्यक्ष, नगरपालिका प्रशासन एवं विकास मंत्री
विषय— प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों के निरीक्षण 
शास्त्री डायरेक्टर

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माण में हिस्सा आने वालों के निरीक्षण के साथ

गृह, मोबाइल, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अध्यक्ष मोबाइल अवधि राज्य और एस शिक्षा एवं श्री लूकिन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक द्वारा राजस्थान के बारे में निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष में नाम उज्जवल हुआ कि अभिभावक आवासों पर विशेष लोगो (VLO) में परिक्रमा के पुरुष सदस्य का ही नाम आंशित है। अभिभावक GEO Tagging के समय भी यह सुनिश्चित नहीं किया कि गृह में किसने नए विलेज, राष्ट्रीय, राजस्थान की प्रामाण्यता एवं धर्म ने इमोला का निरीक्षण पूर्ण हो गया है।

पुनःर्जित सरकार के विषय में यह बिदित व्यवस्था, दक्षिण, पश्चिम निर्माण की भी अवधारणा होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन अनुसार उपयोगकर्ता कार्य अभिभावक GEO Tagging के पहले किये जाए आवश्यक होते हैं। EGIS के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्य के बारे में प्रति लाभार्थी की गई है। संगठन समस्त उत्तराखंड में प्राक्कलन चालकों पर हिपिस की गई की उपरोक्त द्वारा नगर प्राविश्लेषित की गई नियोजन नीति प्राविश्लेषित व्यवहार (Non Participatory Approach) की गई है, जो कि योजनाधारियों में नहीं है। नर्मदा खेत्र में बदलदा प्रौद्योगिकी के कार्यालयों भी नवनीती से लेकर नहीं है, इस व्यवस्था के कारण इनको पूर्व प्राविश्लेषित (IPA) प्राविश्लेषित द्वारा आपूर्ति अवस्था की गई है। संचालन में की आपूर्ति आपूर्ति एवं धर्म जिन्हें व्यवहार के कारण अप्रूर्ति विश्लेषित का साधना करना पड़ा।

अतः निरीक्षण किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन अनुसार उपयोगकर्ता कार्यालयों में सुनिश्चित करने।

(विधायक मिश्र) आया आयुक्त
नागरिक प्रशासन एवं विकास
मोहाली, पांडुर्ग
संचालनालय, नगरीय श्रमण कार्य, म.प., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

कृ. / प्रा. / प्रसिद्ध / 7 / 2018-19 / 11356
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2018

पाठी—
1.  समर्थ आयुक्त,  
नगर, पारिषद, मेघलाल।
2.  हामस्त भुजा नगर पारिषद,  
नगर पारिषद, मेघलाल।

विषय— प्रामाण्यता अधिकार योजना अंतर्गत अनुसरण नियम परियोजना के विवरण में।

संदर्भ—
1.  प्रमुख कार्यालय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल टी.एल. बैठक दिनांक 17.08.18 में दिये गये विवेचन।
2.  भारत निर्माण आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियम संख्या 3 बनाए जाए।

संस्थापन सत्ताएँ पदों का अपलोक हो, जिसमें स्मृति बांटने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आयुक्त के साथ सिंचाई होगी। वैदिक दिनांक 17.08.18 में प्रयागालय आयुक्त कार्यालय के अनुसार स्तरीय परियोजनाओं के लिए विवेचन हेतु सत्ता नियम सिद्धांत निर्माण के लिए नियम का दिया गया है। संस्थापन वट-1 के पं. 10 अनुसार अधिकारी के अधिकारी के संस्थापन साबित निर्माण पर भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जाना। जो सरकार निर्माण से प्राप्त हो युगों है उसे नगरीय नियमों के माध्यम से राज  

प्रतिलिपि के पूर्ण करने पर ध्यान दिया जाये।

सामग्री दो के जलवेश्य से भारत निर्माण आयोग द्वारा सम्बन्धित पर निदेशक-केन्द्र के लिए गई है। विभाग 6 एवं 7 संस्थान है। नए निर्माण का पालन करने हेतु योजना अनुसार हिस्त्रीदाहियों का प्राप्त हो वर्तमान हिस्त्रीदाहियों के बाद में अद्वितीय प्रशिक्षण, संस्थापन कुशल न से हो।

संस्थाप न— उपाध्यक्षता

प्रतिलिपि—
1.  निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
2.  निज सचिव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
3.  समिति संयुक्त तंत्रज्ञ, संयुक्त उच्चाकार, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
4.  घरेलू संसाधन/कार्यालय वद्य, समिति संयुक्त उच्चाकार का आवश्यक कार्यालय हेतु
   सुरूगत।
5.  EUS India Consulting Engineers Pvt. Ltd., Plot No. 66, Sector-32, Gurgaon, Haryana- 122001, India

(नाम-अनुसार) आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि

(नाम-अनुसार) आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2018
प्रमाण एक 3-113/18/18-5

प्रति:
संचालक,
नगर तथा ग्राम निदेश,
मोहल, मोहल

विषयः— भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु मोहल विकास योजना में आवासीय योजना के संबंध है।

दर्शनः— आपका पत्र क्रमांक 4198/डी.ती.सी./2018 मोहल दिनांक 24.07.2018

संदिग्ध पत्र के तारीख में निर्देशानुसार लेख है कि, भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों की आवास उपलब्ध कराते जाने हेतु बना गई है, जिसमें शुरुआती व्यवस्थापन भी सम्मिलित है। अतः प्रदेश की उन विकल्पों के प्रधानमंत्री आवास योजना से अनुपस्थित शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना—2005 की कड़िका 4.4.3 के समान माध्यम से वितरित अनुमति/अनुसूची प्रदान किया जाना उपस्थित होगा।

(प्रधान उपस्थित)
अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, शोधालय

कार्यवाही विवरण

कमानक 25.35/1001/2018/18-3
भाषापंचाल 07.11.2018

लेख-अनुक्रम, नवीकरण द्वारा आवास बिस्मा द्वारा समस्त सीमा की बैठक में दिये गये निर्देश।

दिनांक 31.10.2018 को संचालन में कार्य कथा में विभाग प्रमुखों की "समस्त सीमा" की बैठक का अन्तराण प्रत: 11.00 बजे किया गया; जिसमें प्रमुख साउथ इंडिया निजी, वित्त विभाग, नगर विकास द्वारा निधेख गई।

1. रक्षा मंत्रालय विभाग के अन्तर्गत, 2019 विभाग, नवीकरण, द्वारा आवास बिस्मा अस्तित्व प्रति दर्शन का उद्देश्य साहित्य है। रक्षा मंत्रालय के नवीकरण, तनाव विभागों/उपाध्यएक्ष्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। 2018 के कार्यसम्बन्धी अनुसूची में साहित्य के संचालन में मिले। इस बैठक में हेडावर्क विभाग का कार्यकारी विभागीय प्रशासन द्वारा जिते गए विवेचन का उल्लेख भाव दिया गया। (कार्यवाही-विभाग प्रमुख, तनाव विभाग विभागीय संचालन एवं विकास)

2. अन्वेषण संचालन 2019 के अन्तर्गत, जन भावी भाषाओं के दौरान, दूरसंचालित प्रति का कार्य साहित्य निर्देशन के लिए प्रवेश द्वारा बैठक का कार्य साहित्य निर्देशन के प्रमुख साहित्य विभाग द्वारा जिते गए विवेचन का उल्लेख भाव दिया गया। (कार्यवाही-अन्वेषण, तनाव विभाग द्वारा)

3. रक्षा मंत्रालय विभाग के अन्तर्गत, 2019 विभाग, नवीकरण, द्वारा आवास बिस्मा अस्तित्व प्रति दर्शन का उद्देश्य साहित्य है। रक्षा मंत्रालय के नवीकरण, तनाव विभागों/उपाध्यएक्ष्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। 2018 के कार्यसम्बन्धी अनुसूची में साहित्य के संचालन में मिले। इस बैठक में हेडावर्क विभाग का कार्यकारी विभागीय प्रशासन द्वारा जिते गए विवेचन का उल्लेख भाव दिया गया। (कार्यवाही-विभाग प्रमुख, तनाव विभाग द्वारा)

4. रक्षा मंत्रालय विभाग के अन्तर्गत, 2019 विभाग, नवीकरण, द्वारा आवास बिस्मा अस्तित्व प्रति दर्शन का उद्देश्य साहित्य है। रक्षा मंत्रालय के नवीकरण, तनाव विभागों/उपाध्यएक्ष्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। 2018 के कार्यसम्बन्धी अनुसूची में साहित्य के संचालन में मिले। (कार्यवाही-अन्वेषण, तनाव विभाग द्वारा)

5. रक्षा मंत्रालय विभाग के अन्तर्गत, 2019 विभाग, नवीकरण, द्वारा आवास बिस्मा अस्तित्व प्रति दर्शन का उद्देश्य साहित्य है। (कार्यवाही-अन्वेषण, तनाव विभाग द्वारा)

निर्देश...
8. अभिज्ञानी आमादा योजना के क्रमांक स्थानीय आयकों को स्वागतिकता भी करेंड़ा फॉर्म सूचनाएँ की जा सकती है। संगठन के रहस्य संस्थान में भी निर्देश दिए जाएँ। इनमें से निर्माणिक विषयों द्वारा प्रशिक्षण कार्य कर सकते हैं। अभियांत्रिक आयकों की तरह, संगठन के रहस्य संस्थान की अन्य योजनाएँ संचालित की जायें।

(अन्वेषण-प्रतिस्पर्धा: अनुपत न्यायिक विभाग, संगठन, नयंश अभियांत्रिक एवं विकास)

1. अभिज्ञानी आयकों योजना के अन्तर्गत इस रूपान्तर हेतु संचालनाधीन लेख नए मित्रता किये भी हैं।

7.1 नयंश विभाग के लेख का धारण भी अभियोजन किये भी है।

7.2 संचालन इंस्पेक्शन रचनात्मक तरीक़े पर अनुकरणीय तौर पर सफल रूप से संचालित की जायेगी।

7.3 जीवी विभाग के लेख के पूर्व दिनांक आदान-प्रदान (कार्यालय-अन्वेषण अनुपत (एसएस)/अभियोजन योजना (एसएस), संचालनकार, नयंश अभियांत्रिक एवं विकास)।

8. भारतीय बैंक-बैंक नेटवर्क कंपनी के अध्यक्ष की प्रस्तावित पूर्णता, दिनांक पर कार्य को पूर्ण भांति जाना रहा। यह दिनांक की पूर्णता है। यह दिनांक की पूर्णता का अनुमान है। इसका साइट कार्य करके दिनांक निर्धारित की जा सकती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है। इसके अन्य अधिनियम की जाती है।

9. डिसंबर 07 2018 को स्वागतीय एवं श्रेष्ठ के लिए आमादा आयकों समेत विभाग की दूसरा बिनांक 14 दिसंबर 2018 का दिनांक 11:00 बजे समाप्ति-संपन्न, नयंश अभियांत्रिक एवं विकास के राना योजना हेतु संचालित की गई।

प्र. क्रम के 2576/2018/2018/18-3

प्रेसिडेंट:
1. डॉ. डॉ. ग्रुप, भाविक महादेव शमशाद, नयंश विभाग एवं आवास विभाग, नृप.
2. अभियोजन, नयंश विभाग एवं विकास, म.प. भोपाल,
3. निज सचिव, अध्यक्ष सचिव, महादेव शमशाद, नयंश विभाग एवं आवास विभाग,
4. अभियोजन, कार्यविभाग मुख्य सचिव, मुख्य, भोपाल,
5. आयुक्त, नयंश अभियांत्रिक निदेश, भोपाल,
6. आयुक्त, नयंश अभियांत्रिक निदेश भोपाल,
7. अभियोजन, नयंश अभियांत्रिक एवं विकास, संचालनाधीन, महादेव शमशाद, भोपाल,
8. प्रमुख अधिकरण, नगरीय विकास एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश, गोपाल.
9. अधिराज्य, नगरीय अधिशासन एवं विकास, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. प्रमुख/दूजा अधियात्मक, मेट्रो/उपमंडली, सी.ए.सी./संचालनालय, नगरीय विकास एवं विकास, भोपाल.
11. लगत उप संचालक, अधिराज्य, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आयाम विभाग
12. सम्पूर्ण समूह समन्वयक, समाज एवं संयुक्त, संचालनालय, नगरीय विकास एवं विकास, भोपाल.
13. मुख्य कार्यालय अधिकारी, मध्यप्रदेश बिलास शासन गोपाल, जी और दूसरे एवं आधार्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आयाम विभाग